FOR REFERENCE ONLY.

दश माला, खंड 27, अंक 20

शुक्रवार, 9 अगस्त, 2002
18 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 27 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 20, शुक्रवार, 9 अगस्त, 2002/18 श्रावण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये जाने की सत्तावनवीं वर्षगांठ .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 381 और 382	2-4
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 383 से 400.	4-26
अतारांकित प्रश्न संख्या 3913 से 4136	27-268
सभा पटल पर रखे गए पत्र	268-275
शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	275
शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त समिति में रिक्ति भरे जाने के बारे में प्रस्ताव . .	276
अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2002-2003 अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1999-2000 और रेल अभिसमय समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करने के बारे में संकल्प	
श्री नीतीश कुमार	276-278
विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2002	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	279
श्री नीतीश कुमार	279
खंड 2, 3 और 1.	280
पारित करने के लिए प्रस्ताव	280
विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2002	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	280
श्री नीतीश कुमार	281
खंड 2, 3 और 1. . .	282
पारित करने के लिए प्रस्ताव	282

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

शुक्रवार, 9 अगस्त, 2002/18 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अ]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये जाने की सतावनवीं वर्षगांठ

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे एक उल्लेख करना है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि जापान के दो नगर, हिरोशिमा और नागासाकी क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराये जाने से नष्ट हो गए थे। हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और लाखों लोग अपंग हो गए थे। इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया था कि परमाणु विध्वंस के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं।

आज जबकि पूरा विश्व वैश्विक आतंकवाद का शिकार है, राष्ट्रों के बीच चिरस्थायी शांति और सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए परमाणु अस्त्रों को समाप्त करना और अधिक आवश्यक हो गया है।

इससे पहले कि पूरे विश्व का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए सभी देशों को उन संधियों और समझौतों का ईमानदारीपूर्वक पूरी तरह से पालन करना चाहिए जो परमाणु अस्त्रों तथा जनसंहार के अन्य पारंपरिक और जैविक हथियारों से विश्व को मुक्त कराने के निमित्त किए गए थे। हमें मानव शांति के विरुद्ध कार्य कर रही तमाम ताकतों का विरोध करने और उन्हें कुचलने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति पैदा करनी चाहिए।

अब सदस्यगण परमाणु विध्वंस के कारण हताहत हुए लोगों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (राजगंज) : महोदय, मैंने पेट्रोलियम मुद्दे से संबंधित एक नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री प्रवीण राष्ट्रपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल मैंने प्रारंभ कर दिया है। आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ब्रह्मानन्द मंडल, प्रश्न सं० 381।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : प्रश्न संख्या 381।

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

यूरोपीय संघ द्वारा गैर-शुल्क अवरोध

***381. +श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री वी० वैत्रिसेलवन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारतीय उत्पादों पर विभिन्न प्रकार के गैर-शुल्क (नॉन टैरिफ) अवरोध लगा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यूरोपीय संघ इस मामले में भारत को अफ्रीकी, कैरेबियाई और प्रशांत क्षेत्र के देशों की तुलना में प्राथमिकता नहीं दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ के बाजारों में भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है/पड़ने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने इस मुद्दे को यूरोपीय संघ या विश्व व्यापार संगठन के साथ उठाया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में यूरोपीय संघ/विश्व व्यापार संगठन की क्या प्रतिक्रिया है ?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कुछ भारतीय उत्पाद, विशेषत: कृषि तथा समुद्री उत्पादों के क्षेत्रों के उत्पाद यूरोपीय संघ (ई०यू०) के बाजार में कतिपय गैर-टैरिफ बाधाओं (एन०टी०पी०) का सामना कर रहे हैं। ये गैर-टैरिफ बाधाएं स्वास्थ्य, एस०पी०एस०/टी०बी०टी० अपेक्षाओं, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के भीतर उनका सुमेलीकरण न होने समेत उच्चतर मानक एवं लेबलिंग संबंधी अपेक्षाओं, कोटा इत्यादि के रूप में होती हैं।

(ग) और (घ) ई०यू० द्वारा जून 2000 के ए०सी०पी०-ई० यू० भागीदारी करार के अंतर्गत 77 अफ्रीकी, कैरेबियाई तथा प्रशांत (ए०सी०पी०) देशों को गैर-पारस्परिक व्यापार अधिमान प्रदान किए जा रहे हैं। यह पहल, जिसका उद्देश्य अल्प विकसित देशों के साथ आर्थिक भागीदारी करना है, टैरिफ/कोटा के संबंध में ई०यू० में अतिरिक्त बाजार पहुंच मुहैया कराती है।

(ङ) भारत से यूरोपीय संघ को होने वाले निर्यातों का हिस्सा हमारे वैश्विक निर्यातों का लगभग 20-25% बनता है। यूरोपीय संघ द्वारा गैर-टैरिफ बाधाओं समेत अनेक कारक निर्यात वृद्धि के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। यूरोपीय संघ की व्यापार संबंधी ऐसी विशेष व्यवस्थाओं का अफ्रीकी, कैरेबियाई, प्रशान्त/अल्प विकसित देशों के साथ हित की समानता रखने वाले कुछ उत्पादों पर व्यापारिक गंतव्य को बदले जाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(च) और (छ) ई०यू० के साथ यूरोपीय संघ की गैर-टैरिफ बाधाओं समेत भारत यूरोपीय संघ के व्यापारिक मुद्दों का निराकरण द्विपक्षीय संयुक्त आयोग/उप आयोग की बैठकों में तथा संबंधित द्विपक्षीय कार्य दलों में हुए विचार-विमर्शों समेत विभिन्न द्विपक्षीय विचार-विमर्शों में किया जाता है। इन मुद्दों को डब्ल्यू०टी०ओ० के उचित मंच पर भी उठाया जाता है। ऐसा पिछला मंच 24-26 जुलाई, 2002 को डब्ल्यू०टी०ओ० द्वारा की गई यूरोपीय संघ की व्यापार नीति की समीक्षा का था।

अध्यक्ष महोदय : श्री रतन लाल कटारिया, प्रश्न संख्या 382 ।

श्री रतन लाल कटारिया : प्रश्न संख्या 382 ।

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

*382. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दूसरे दौर के आर्थिक सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण कितना लाभप्रद है ?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) 1990 के दशक की प्रारम्भिक अवधि के दौरान शुरू किए गए आर्थिक सुधार मुख्य रूप से उद्योग पर केन्द्रित थे। इनमें लाइसेंस हटाना, विनियंत्रण, व्यापार उदारीकरण, टैरिफ को कम करना और वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार शामिल थे। इन सुधारों से कृषि क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुआ। दूसरे चरण के सुधारों में कृषि को मुख्य केन्द्र बिन्दु बनाया गया। इस वर्ष के प्रारंभ में, इस दिशा में उठाया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम मुख्य कृषि उत्पादों के लाने ले जाने और संग्रहण पर प्रतिबंधों को हटाना है। साथ ही, नई निर्यात एवं आयात नीति के तहत प्याज जैसे कुछ चयनित मामलों को छोड़कर कृषि उत्पादों के मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है। सरकार अन्य कई सुधारों संबंधी उपायों पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को प्रदान करें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अब तक प्राप्त किया गया लक्ष्य 16 प्रतिशत के करीब है।

(ग) यह बाकीदारी के अपेक्षाकृत अल्प अनुपात के कारण लाभप्रद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, प्रश्न संख्या 383 ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आपका प्रश्न है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पेंशन योजना में सुधार

*383. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न पेंशन योजनाओं में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ऐसी योजना बनाने हेतु एक शक्ति सम्पन्न दल गठित करने का है, जिसके अनुसार सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी पेंशन योजनाओं को एक ही नियामक संगठन के अंतर्गत लाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस शक्ति सम्पन्न दल के विचारार्थ विषय क्या हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अधीन बनाई गई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 उक्त अधिनयम की अनुसूची-I के अधीन 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली निर्दिष्ट फैक्टरियों और प्रतिष्ठानों पर पहले से लागू हैं। इस योजना का सतत् रूप से अनुवीक्षण किया जाता है और बेहतर कार्यान्वयन के लिए उसे अनुकूल बनाया जाता है।

बजट, 2001-2002 में सरकार की घोषणा के अनुसरण में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो असंगठित क्षेत्र में पेंशन सुधारों के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है। सरकार ने एक मंत्री दल के माध्यम से "इरडा" की इस रिपोर्ट की समीक्षा प्रारम्भ की है।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, सरकार बजट, 2001-2002 में सेवा में प्रवेश करने वाले नए व्यक्तियों के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर एक नई पेंशन योजना संकल्पित कर चुकी है। इस घोषणा के अनुसरण में सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले नए व्यक्तियों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू करने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। विशेषज्ञ दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने रिपोर्ट की समीक्षा प्रारंभ की है।

इस समय सरकार द्वारा ऐसे किसी अधिकार-प्राप्त दल के गठन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

शेयरों की पुन: खरीद

***384. श्री विनय कुमार सोराके :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कटौती और शेयरों की पुन: खरीद के संबंध में कंपनी अधिनियम 1956 के उपबंधों के दुरुपयोग की संज्ञेयता ली है;

(ख) क्या ये कमियां मैसर्स स्टरलाईट कम्पनी द्वारा आरम्भ की गई हाल की योजना से सामने आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) 19.04.2002 के अपने आदेशानुसार मुम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 100 से 104 के साथ पठित धारा 391 से 394 के अन्तर्गत मैसर्स स्टरलाईट इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि० द्वारा प्रबंध की योजना के रूप में शेयरों की पुन: खरीद की अनुमति है। कम्पनी कार्य विभाग ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है। फिर भी, अपीलीय न्यायालय ने शेयरधारकों को कुछ छूट देते हुए उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश को ज्यों का त्यों रखा है।

आयकर चूककर्त्ता

***385. श्री भान सिंह भौरा :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दस व्यक्तियों और निगमित निकायों के नाम क्या हैं, जिनके ऊपर हाल के वर्षों में बकाया आयकर की राशि सबसे अधिक थी;

(ख) सरकार ने इन चूककर्त्ताओं से आयकर वसूलने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार वसूली प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार उच्चतम बकाया मांग वाले 10 व्यष्टियों एवं निगमित निकायों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) देय आयकर की वूसली करने के लिए किये गए उपाय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हैं।

(ग) कर प्रक्रियाओं जिसमें वसूली की प्रक्रिया भी शामिल है, को सरल एवं कारगर बनाना एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1	2
1.	सहारा इण्डिया फाइनेंस कारपोरेशन लि०
2.	सहारा इण्डिया म्युचुअल बेनेफिट कम्पनी लि०
3.	शॉवालेस कम्पनी लि०
4.	मारूति उद्योग लि०
5.	सहारा इण्डिया एयरलाइन्स लि०

1	2
6.	विदेश संचार निगम लि०
7.	मैसर्स ग्रोमोर रिसर्च एंड एस्सैट मैनेजमेंट लि०
8.	जी०टी०सी० इण्डस्ट्रीज लि०
9.	ट्रायम्फ इन्टरनेशनल लि०
10.	प्रीमियर ऑटो मोबाइल लि०

क्रम सं०	व्यष्टि का नाम
1.	सर्वश्री हर्षद एस० मेहता
2.	'' हर्षद एस० मेहता (धनकर)
3.	'' हितेन पी० दलाल
4.	'' भूपेन्दर सी० दलाल
5.	'' अश्विन एस० मेहता
6.	'' ज्योति एच० मेहता
7.	'' एस० रामास्वामी
8.	'' सुधीर मेहता
9.	'' जे०पी० गॉधी
10.	'' पल्लव एस० सेठ

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

***386. श्री मनसुखभाई डी० वसावा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पास इस समय विभिन्न देशों के मुद्रा भंडार, पृथक-पृथक कितने हैं;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा-भंडार में से प्रतिवर्ष कितनी राशि का निवेश किया है; और

(ग) विदेशी मुद्रा-भंडार का उत्पादक कार्यों में उपयोग नहीं किए जाने का मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में मुख्यत: परिवर्तनीय दुर्लभ मुद्राएं शामिल होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा निर्धारित विशेष आंकड़ा संप्रेषण मानक (एस०डी०डी०एस०) आंकड़ा टेम्पलेट के प्रयोजन के लिए मुद्राओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है (1) विशेष आहरण अधिकार (एस०डी०आर०) बास्केट वाली मुद्राएं, और (2) गैर-विशेष आहरण अधिकार बास्केट वाली मुद्राएं। 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार भारत की प्रारक्षित निधि का 99.89 प्रतिशत एस०डी०आर० बास्केट वाली मुद्राओं में था और शेष 0.11 प्रतिशत गैर-एस०डी०आर० बास्केट वाली मुद्राओं में था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में निवेश को समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों द्वारा प्रशासित किया जाता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा भंडारों में से निवेश विदेश में अनुमोदित विदेशी प्रतिभूतियों और जमाराशियों में किया जाता है जिसके लिए निवेशित निधियों की सुरक्षा, नकदी और प्रतिफल पर उचित विचार किया जाता है। भारत का विदेशी मुद्रा-भंडार जो मार्च 2000 के अंत में 38.0 बिलियन अमरीकी डालर था, मार्च 2001 के अंत में बढ़कर 42.3 बिलियन अरमीकी डालर हो गया और पुन: मार्च 2002 के अंत में यह बढ़कर 54.1 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया। जुलाई, 2002 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा-भंडार 59.96 बिलियन अमरीकी डालर पर था।

(ग) उत्पादक क्रिया-कलापों, विदेशी मुद्रा-भंडार के उपयोग और मुद्रा स्फीति दर के बीच सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है। फिर भी, वर्ष 2001-02 के दौरान विदेशी मुद्रा-भंडार में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में बिन्दु-दर-बिन्दु वार्षिक मुद्रा स्फीति दर 2000-01 में 5.6 प्रतिशत से कम होकर 2001-02 में 1.6 प्रतिशत हो गई थी और 20 जुलाई, 2002 को यह 2.7 प्रतिशत थी।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में धान का अधिशेष भंडार

***387. श्री अरुण कुमार :**
सरदार सिमरनजीत सिंह मान :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 1992-93 से भारी मात्रा में धान के भंडार (मिलों के लिए अनुपयोगी) पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन गोदामों में राज्य-वार धान की कितनी मात्रा है;

(ग) ऐसे धान की राज्य-वार मात्रा कितनी है, जो मानवीय उपयोग के योग्य नहीं है;

(घ) क्या मिलों के लिए अनुपयोगी इस धान को बेचने की पेशकश की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इन भंडारों से अब तक कितनी मात्रा में धान की बिक्री हुई ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मिलिंग न करने योग्य और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त धान की कुल राज्यवार मात्रा नीचे दी गई है :–

क्रम सं०	राज्य का नाम	मात्रा टन में	
		मिलिंग न करने योग्य धान	मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त
1.	बिहार		35
2.	पंजाब	2196	22660
3.	उत्तर प्रदेश		11
4.	उत्तरांचल		30
	जोड़	2196	22736

मिलिंग ने करने योग्य 2196 टन धान का निपटान करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

अप्रैल, 2002 और जुलाई, 2002 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रमश: 27585 टन मिलिंग न करने योग्य धान और 72036 टन मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त धान का निपटान किया गया था।

निर्यात वृद्धि

*388. **श्रीमती प्रभा राव :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परवर्ती दो वर्षों की सकारात्मक वृद्धि के बाद 2001-2002 के दौरान भारत की निर्यात वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान भी निर्यात वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 और चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यात में कितनी गिरावट आई हैं और वे प्रमुख मदें कौन सी हैं जिनके निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने न केवल निर्यात में वृद्धि करने बल्कि निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत के पण्य वस्तुओं के निर्यात में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी तथा 11 सितम्बर एवं उसके पश्चात् की घटनाओं के प्रभाव के कारण वर्ष 2000-01 की तुलना में 1.17% की गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान भारत के पण्य वस्तुओं के निर्यात में क्रमश: 10.8% तथा 19.7% की वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल-जून 2002-03 में भारत के निर्यातों में 11.29% सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

वर्ष 2001-02 के दौरान जिन प्रमुख वस्तु क्षेत्रों के निर्यात में गिरावट प्रदर्शित हुई है, वे निम्नानुसार हैं :–

मदें	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	वृद्धि दर
वस्त्र	9617.20	-10.07
रत्न एवं आभूषण	7305.71	-1.06
चर्म तथा चर्म वस्तुएं	1905.55	-2.00
समुद्री उत्पाद	1213.99	-12.90

तथापि, अप्रैल, 2002-03 में जिन प्रमुख वस्तु क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है, वे निम्नानुसार हैं :-

मदें	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	वृद्धि दर
रत्न एवं आभूषण	625.46	56.06
रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	607.02	19.14
इंजीनियरिंग	555.37	31.24
वस्त्र	809.09	12.63

अल्पावधि नियमनकारी उपायों के अलावा निर्यात निष्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बाजार पहुंच संबंधी उपाय (एम०ए०आई०) को सुदृढ़ करना, निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों को सहायता (ए०एस०आई०डी०ई०) द्वारा राज्य सरकारों की भागीदारी शामिल हैं। वर्ष 2002-2007 के लिए मध्यावधि निर्यात नीति की घोषणा के अलावा, आयात-निर्यात नीति 2002-07 में निर्यात को और अधिक बढ़ाने हेतु अनेक उपायों की घोषणा की गई है जिनमें–विशेष आर्थिक जोनों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट उपाय, कतिपय कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कुछ स्वीकार्य खर्चों की प्रतिपूर्ति की एक स्कीम, लघु क्षेत्र जनित निर्यातों में मदद करने के लिए संघों का विकास करना, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यातों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, सौदों की लागत में और कमी करना इत्यादि शामिल हैं।

तम्बाकू का न्यूनतम समर्थन मूल्य

*389. **श्री वाई०जी० राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग देश में उगाई जाने वाली तम्बाकू की 20 किस्मों की उपेक्षा करके केवल एफ०सी०वी० के तम्बाकू का ही न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है;

(ख) यदि हां, तो अन्य किस्मों की उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य किस्मों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी०ए०सी०पी०) केवल फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ०सी०वी०) तम्बाकू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है क्योंकि केवल इसी किस्म के उत्पादन को सरकार द्वारा तम्बाकू बोर्ड के जरिए विनियमित किया जाता है। इस समय गैर-एस०सी०वी० तम्बाकू की किस्मों को इस विनियमन के कार्य क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्याह्न भोजन योजना

*390. **डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे-मील) के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से घटिया स्तर के खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से स्कूलों में उपलब्ध कराए गए मध्याह्न भोजन को खाने के बाद छात्रों के बीमार होने की राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य सरकारों से दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) एक मामले में विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने "घुघरी" खाने के बाद अपचन और पेट की बीमारी की शिकायत की थी। जांच के दौरान यह पाया गया था कि "घुघरी" तैयार करने के लिए आपूर्ति किया गया गेहूं अच्छी गुणवत्ता का था लेकिन यह समस्या किसी अन्य कारण से हुई थी।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों के अनुरूप खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्नों का स्टाक उठाने से पूर्व उनकी गुणवत्ता के बारे में स्टाक का निरीक्षण करने और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए स्वतंत्र होती हैं।

कर संग्रहण पर व्यय

*391. **श्री जी०जे० जावीया :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में सही-सही कितनी राशि संग्रहित की गई है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान यह देखा गया है कि उत्पाद कर के संग्रहण पर होने वाला व्यय वास्तविक रूप से कर संग्रहण की राशि से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष एकत्र किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राशि इस प्रकार है :–

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर (निगमित तथा आयकर)	अप्रत्यक्ष कर (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क)
2001-2002	68221	112516
2000-2001	67254	116068
1999-2000	55993	110322

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर संग्रहणों के संबंध में प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए कर कानूनों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कर्मचारी संवर्गों का पुनर्गठन, प्रचालन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण आदि जैसे उपाय किए जा चुके हैं।

अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम, 1952

*392. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायदा व्यापार के अधीन कौन-कौन सी वस्तुएं आती हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान सरकार को अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम, 1952 का उल्लंघन किए जाने के कितने मामलों की जानकारी मिली हैं; और

(ग) उपरोक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की विभिन्न धाराओं के तहत इस समय 42 वस्तुओं में वायदा/भावी सौदा व्यापार की अनुमति दी जाती है। वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 1.4.2001 से 31.3.2002 के दौरान अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में कुल 31 मामले सरकार (वायदा बाजार आयोग) के ध्यान में आए। अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जाती है, जिन्हें उचित न्यायिक अदालत में आरोप पत्र दायर करने से पूर्व छापे मारने/तलाशी लेने और दस्तावेज जब्त करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य पुलिस प्राधिकारी दस्तावेजों की जांच और विशेषज्ञ राय के लिए वायदा बाजार आयोग की सहायता लेते हैं। अग्रिम संविदा अधिनियम के तहत 1991 से अब तक 882 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 575 मामलों की जांच के बाद छोड़ दिया गया है, 18 मामलों में विभागीय कार्रवाई की गई, 289 मामलों में अभियोजन का सुझाव दिया गया है। 289 मामलों में से 36 मामलों में दोषसिद्धि पाई गई, 21 को दोषमुक्त पाया गया और 232 मामले लंबित हैं।

विवरण

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 15 के तहत भावी सौदा व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त वस्तुएं

क्रम सं०	वस्तुएं	क्षेत्र
1	2	3
1.	मूंगफली	समूचा देश
2.	मूंगफली का तेल	समूचा देश
3.	मूंगफली की खली	समूचा देश
4.	बिनौला	समूचा देश
5.	बिनौले का तेल	समूचा देश
6.	बिनौले की खली	समूचा देश
7.	तिल (तिल और जिंजली)	समूचा देश
8.	तिल का तेल	समूचा देश
9.	तिल की खली	समूचा देश
10.	कोपरा/नारियल	समूचा देश
11.	कोपरा तेल/नारियल तेल	समूचा देश
12.	कोपरा खली/नारियल की खली	समूचा देश
13.	कुसुम	समूचा देश
14.	कुसुम का तेल	समूचा देश
15.	कुसुम की खली	समूचा देश
16.	रेपसीड/सरसों	समूचा देश
17.	रेपसीड तेल/सरसों का तेल	समूचा देश
18.	रेपसीड की खली/सरसों की खली	समूचा देश
19.	चावल की भूसी	समूचा देश
20.	चावल की भूसी का तेल	समूचा देश
21.	चावल की भूसी की खली	समूचा देश
22.	सूरजमुखी के बीज	समूचा देश
23.	सूरजमुखी का तेल	समूचा देश
24.	सूरजमुखी की खली	समूचा देश
25.	आर०बी०डी० पामोलीन	समूचा देश
26.	भारतीय रुई (पूरी ओटी हुई, आधी ओटी हुई या खुली)	समूचा देश
27.	कपास	समूचा देश
28.	स्टेपल फाइबर यार्न	समूचा देश
29.	कच्चा जूट	पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के राज्य
30.	जूट उत्पाद (हेसियन और बोरे और कपड़ा/बैग और/थैले, टिवन्स और/या धागे जो किसी भी मिल द्वारा निर्मित हों तथा/या किसी विनिर्माता द्वारा बनाया गया जूट का कोई भी उत्पाद)	समूचा देश
31.	हल्दी	समूचा देश
32.	काली मिर्च	ग्रेटर बम्बई की सीमाओं में तथा केरल राज्य में

1	2	3
33.	गुड़	समूचा देश
34.	एरण्ड	समूचा देश
35.	एरंड का तेल	महाराष्ट्र राज्य में
36.	आलू	समूचा देश
37.	सोयाबीन	समूचा देश
38.	सोया तेल	समूचा देश
39.	सोया खली	समूचा देश
40.	चीनी	समूचा देश

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 के तहत भावी सौदा व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त वस्तुएं

क्रम सं०	वस्तुएं	क्षेत्र
1.	काफी	समूचा देश
2.	चाय	समूचा देश

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की परिवहन लागत

*393. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीदे गए खाद्यान्नों को समुचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में दूरवर्ती स्थानों पर ले जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खरीद केन्द्रों के निकट गोदामों का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) देश के अधिशेष वाले क्षेत्रों में वसूल किए गए खाद्यान्न अन्य क्षेत्रों को भेजे जाने होते हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता पूरी की जा सके, खाद्यान्नों का बफर स्टाक सृजित किया जा सके और आगामी मौसम में वसूली करने के लिए वसूली राज्यों में भंडारण स्थान सृजित किया जा सके।

गोदामों का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की एक योजना स्कीम है। 10वीं योजना के दौरान इस स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा 6.78 लाख टन की भंडारण क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। 7 वर्षीय गारण्टी स्कीम के अधीन भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किया जा रहा है। उक्त स्कीम के अधीन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में निर्मित की जाने वाली 85.47 लाख टन भंडारण क्षमता में से 36.73 लाख टन भंडारण क्षमता पहले ही प्राप्त कर ली गयी है। इसके अलावा, खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अधीन यह प्रस्ताव है कि बनाओ और चलाओ आधार पर निजी निवेशकों के माध्यम से हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर साइलो का निर्माण किया जाए। इन साइलो की कुल क्षमता 21 लाख टन होगी। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्नों के भंडारण के लिए प्राइवेट पार्टियों के साथ-साथ केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भांडागारण निगमों और अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा भी गोदामों का निर्माण किया जाता है।

औद्योगिक नीति की समीक्षा

*394. **श्री हरिभाई चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान औद्योगिक नीति की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा से क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) नई नीति का औद्योगिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : **औद्योगिक नीति की समीक्षा और इसकी प्रभावकारिता** (क) से (ग) औद्योगिक नीति की समीक्षा किया जाना एक सतत् प्रक्रिया के रूप में है। इस समीक्षा का केन्द्र बिन्दु उद्योगों का विकास तथा संवर्धन किया जाना है। सामान्यत: भारतीय उद्योग की प्रति-स्पर्धात्मकता का संवर्धन करने और विशेष रूप से मांग में वृद्धि, अवसंरचना आधार में सुधार करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, श्रम नम्यता लागू करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों को प्रोत्साहित करने, अधिक नकदी की व्यवस्था के जरिये उद्योग के संचालन संबंधी महौल में सुधार करने, तथा स्टाक बाजार की भावनाओं में सुधार किए जाने के लिए अनेक उपाय शुरू किये गये हैं। इनमें से कुछ उपायों का नीचे उल्लेख किया गया है :–

– रिजर्व बैंक की वर्ष 2002-2003 की मंदी के समय की ऋण नीति में विकास की गति को बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें कृषि, आवास, लघु उद्योग क्षेत्र तथा निर्यातों को प्रोत्साहन दिया गया है।

– अप्रैल, 2002 में घोषित की गई भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति का उद्देश्य सुधरे रूप में ऋण लाने संबंधी सुविधा मुहैया करना और संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद जमा अनुपात (सी०आर०आर०) को 5.5 प्रतिशत से कम करके 5

प्रतिशत कर दिया है और इस कारवाई से उधार देने के लिए बैंकों को 5,000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दिये जाने की संभावना है। इस कार्रवाई से नकदी की स्थिति में और सुधार आएगा।

– वर्ष 2002-2003 के केन्द्रीय बजट में सड़क विकास तथा अवसंरचना और निर्माण कार्यों की योजनाओं के लिए आवंटन किये गये हैं, जिनसे विशेष रूप में इस्पात और सीमेंट की मांग में वृद्धि होगी।

– औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने पूंजीगत वस्तुओं, लुग्दी और कागज पर सीमेंट उद्योगों के क्षेत्रवार अध्ययनों का कार्य विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सौंपा है ताकि इन उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया जा सके।

– केन्द्र सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र के सुधारों को बल मिला है, जिसके तहत राज्यों को उतना अनुदान दिया जाता है, जितना कि वे अपने विद्युत क्षेत्र के घाटों को कम कर सके हैं। विगत कुछ वर्षों में हरियाणा, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश घाटा कम करने में सक्षम रहे हैं। अब ये तीनों राज्य त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के अंतर्गत समतुल्य अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।

– विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधारों को किए जाने हेतु संसद में विद्युत विधेयक का मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया है।

– वर्ष 2002-2003 के केन्द्रीय बजट में, आठ मदों को छोड़कर, शेष सभी मदों पर 16 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क को हटा दिया गया है। बाइसाइकलों, हैण्ड पम्पों, खिलौनों तथा छतरियों, छत की टाइलों तथा प्रि-रिकोर्डिड ऑडियोकैसेटों के पुर्जों तथा उपकरणों से भी 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

– नये संयंत्र एवं मशीनरी पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है।

– लघु उद्योगों को ऋण देने संबंधी प्रवाह में सुधार लाने के प्रयासों के अंतर्गत में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों के लिए समपार्श्विक आवश्यकता की मूल्य सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी है। इसका अभिप्राय यह होगा कि बैंक लघु क्षेत्र के एककों को 15 लाख रुपये तक की राशि के ऋण बिना समपार्श्विक के संवितरित कर सकते हैं।

निर्यात को बढ़ाने संबंधी उपाय

– मध्यावधि निर्यात नीति में अगले पांच वर्षों के लिए 11.9 प्रतिशत मिश्रित विकास दर का अनुमान लगाया गया है ताकि वर्ष 2006-2007 में विश्व बाजार में मौजूदा 0.6 प्रतिशत हिस्से की तुलना में 1 प्रतिशत हिस्से को प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सरकार ने वर्ष 2002-2003 के लिये निर्यात में 12 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

– विश्व बाजार में 1 प्रतिशत हिस्से के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्ष 2002-2007 के लिए मध्यावधि निर्यात नीति विश्व की प्रमुख आयातक अर्थव्यवस्थाओं की आयात की मद सूची के आधार पर मूल्यांकन करने का एक अवसर प्रदान करती है। 4-अंकीय स्तर पर कुल 220 मदों को संभावित निर्यात किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है। इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल सहित प्रमुख क्षेत्रों में और अनुषंगी मदें, वस्त्र, मणियों तथा आभूषणों, रसायनों तथा अनुषंगी क्षेत्रों में निर्यात के लिए उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्षेत्रवार नीतियों की भी घोषणा की गई है।

दीनदयाल हथकरघा संवर्धन योजना

***395. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीनदयाल हथकरघा संवर्धन योजना के आरंभ के बाद से इसके अंतर्गत अभी तक क्या कार्य किया गया है;

(ख) उक्त योजना किन-किन राज्यों में शूरू की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार कितनी निधियां जारी की गई हैं; और

(घ) सरकार ने देश के सभी राज्यों, विशेषकर बिहार और झारखंड में इस योजना को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) भारत सरकार ने दीन-दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत इसके प्रारंभ से लेकर वर्ष 2000-2001 में बुनियादी निवेश और विपणन प्रोत्साहन घटक दोनों के अंतर्गत सहायता को शामिल करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को 13,294.22 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत किया है। अब तक बुनियादी निवेश घटक के अंतर्गत 81,157 लाभार्थियों को कवर करने के लिए योजना की 1119 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु 4614.60 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। योजना के विपणन प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत 4431.79 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। 10वीं योजना अवधि के दौरान योजना के लिए 31,000.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

(ख) और (ग) राज्यों के नाम जहां पर योजना शुरू की गई है और दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्रम सं०	राज्य का नाम जहां योजना शुरू की गई है	स्वीकृत निधियां	जारी निधियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	2971.22	1884.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	312.30	156.04
3.	असम	3528.79	1856.78
4.	चंडीगढ़	40.71	32.58
5.	दिल्ली	20.00	20.00
6.	गुजरात	425.00	425.00
7.	हिमाचल प्रदेश	62.51	31.12
8.	जम्मू व कश्मीर	57.64	44.54
9.	कर्नाटक	301.00	298.50
10.	केरल	550.80	550.80
11.	मध्य प्रदेश	55.00	42.88
12	मणिपुर	287.16	143.51
13.	मेघालय	12.04	6.00
14.	नागालैंड	579.73	379.60
15.	राजस्थान	5.00	5.00
16.	तमिलनाडु	2431.81	2339.42
17.	त्रिपुरा	66.61	37.06
18.	उत्तर प्रदेश	1213.77	697.40
19.	उत्तरांचल	80.66	40.25
20.	पश्चिम बंगाल	112.47	55.84
	कुल	13294.22	9046.39

(घ) इस योजना को बिहार और झारखंड सहित सभी राज्यों में शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :–

1. सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध करते हुए उन्हें योजना के दिशा-निर्देशों के साथ पत्र भेजे गए हैं कि वे योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यवहार्य प्रस्ताव भेजें।

2. राज्य सरकारों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और बुनकरों को उनकी विशिष्ट भाषा में योजना की प्रतियां वितरित करने का अनुरोध किया गया है।

3. सभी राज्यों के हथकरघा के प्रभारी मंत्रियों और हथकरघा के प्रभारी सचिवों की बैठकें आयोजित की गई हैं।

4. व्यवहार्य प्रस्तावों की सिफारिश करने के लिए राज्य स्तरीय परियोजना समिति गठित करने और परियोजना का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

जहां तक बिहार और झारखंड राज्यों का संबंध है अभी तक वहां से योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोई व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

प्रथम सार्वजनिक निर्गम (आई०पी०ओ०) का उचित मूल्य

*396. **श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास कंपनियों द्वारा अपने "प्रथम सार्वजनिक निर्गम" (आई०पी०ओ०) का उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने संबंधी पर्याप्त शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस मामले में किस सीमा तक सक्षम है और क्या मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसके पास संसाधन हैं;

(ग) क्या मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को अद्यतन बनाया गया है जिससे कंपनियों की आई०पी०ओ० पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन दिशानिर्देशों को अद्यतन बनाने और उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) वर्ष 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना से पूर्व पूंजी बाजारों का नियमन पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत स्थापित पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय द्वारा किया जाता था। मई, 1992 में इस अधिनियम के निरसन के पश्चात् सरकार ने पूंजी निर्गम और उसके प्रीमियम पर भारतीय कंपनियों का नियंत्रण समाप्त कर दिया है। कंपनियां अपने पेशकशी दस्तावेजों में औचित्य दर्शाते हुए अपने निर्गमों की कीमत निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। सेबी ने जून, 1992 में प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण संबंधी सेबी दिशानिर्देश नामक प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। सेबी इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है तथा समय-समय पर

स्पष्टीकरण जारी करता है। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के अलावा लेखाकरण अनुपातों का प्रकटीकरण तथा इन अनुपातों पर आधारित निर्गम मूल्य का औचित्य दर्शाया जाना अपेक्षित है। यदि अनुपात निर्गम मूल्य का औचित्य नहीं सिद्ध करते तो निर्गमकर्ता निर्गम संबंधी आगे कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त पेशकशी दस्तावेजों में अनुमानों तथा अनुमानित वित्तीय सूचना की अनुमति नहीं है और इन्हें कीमत निर्धारण के औचित्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

आर्थिक सुधार

*397. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन ने भारत से विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने और ऊंची गरीबी दर को प्रभावशाली तरीके से कम करने के लिए आर्थिक सुधारों को तेज करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के उपरोक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) भारत की तीसरी व्यापारी समीक्षा 19 जून और 21 जून, 2002 को हुई थी जिसमें डब्ल्यू०टी०ओ० के अत्यधिक सदस्यों ने भाग लिया और रुचि प्रदर्शित की। डब्ल्यू०टी०ओ० व्यापार नीति समीक्षा निकाय की अध्यक्ष ने अपनी समापन टिप्पणियों में कहा था कि इस समीक्षा बैठक के फलस्वरूप भारत की व्यापार नीतियों को बेहतर ढंग से समझा गया है और अंततः कार्यवाही संक्षिप्त रूप से इस प्रकार समाप्त की " अनेक अग्रिम प्रश्न, अत्यधिक अंतराक्षेपों (लगभग 30) और अत्यधिक उपस्थिति से भारत की वह महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित हुई है जो वह डब्ल्यू०टी०ओ० में निभाता है। व्यापार उदारीकरण और व्यापार एवं निवेश प्रणाली के सरलीकरण समेत भारत की सुधार प्रक्रिया के लिए सराहना की गई। तथापि, मैं समझती हूं कि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि यदि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और अब भी व्याप्त अत्यधिक गरीबी को गम्भीरतापूर्वक दूर करना है तो भारत को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, सदस्यों ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के भारत के प्रयासों के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया। बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि यदि भारत के निर्यातों में, विशेषकर दोहा विकास कार्यसूची (डी०डी०ए०) के अनुरूप नई व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में आने वाली उनकी बाधाओं को यदि दूर नहीं भी किया जा सकता तो इन्हें कम करने के लिए भारत के व्यापारिक साझीदारों की ओर से कदम उठाकर इन प्रयासों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। भारत ने स्पष्ट रूप से डब्ल्यू०टी०ओ० और डी०डी०ए० के लिए अपने समर्थन की बात कही है किन्तु उनका मानना है कि यदि आगे प्रगति की जानी है तो दोहा में दिए गए आश्वासनों पर कायम रहने की जिम्मेदारी विकसित देशों की ही रहती है। इस विचार का समर्थन उन अन्य अनेक सदस्यों ने किया जो इन व्यापार वार्ताओं में भारत के नेतृत्व की प्रत्याशा करते हैं।"

(ख) भारत ने अपनी व्यापार नीति की समीक्षा के दौरान विगत चार वर्षों के दौरान किए गए आर्थिक सुधार के उपायों का उल्लेख किया। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को भी बताया गया। यह भी उल्लेख किया गया कि विभिन्न वर्ग के लोगों की भिन्न-भिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और भारत के लोकतांत्रिक एवं संघीय ढांचे के ताने-बाने के भीतर आंतरिक परामर्श एवं सहमति की प्रक्रिया के जरिए सुधार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित व्यापार मेले

*398. **श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रगति मैदान, दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई है और इनसे सरकार को प्राप्त हुई आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश के अलग-अलग भागों में ऐसी प्रदर्शनियां/अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित किए गए हैं या भविष्य में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रगति मैदान, दिल्ली में आई०टी०पी०ओ० और अन्य पार्टियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

क्रम सं०	वर्ष	प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों की संख्या
1.	1999-2000	51
2.	2000-2001	47
3.	2001-2002	41

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों को आयोजित करने में खर्च हुई धनराशि और अर्जित आय निम्नानुसार है :–

(लाख रुपए में)

क्रमांक	वर्ष	व्यय	आय	अधिशेष
1.	1999-2000	780.42	6059.94	5279.52
2.	2000-2001	660.21	7058.08	6397.87
3.	2001-2002 (अनन्तिम)	708.65	6481.45	5772.80

(ग) और (घ) आई०टी०पी०ओ० ने पिछले 3 वर्षों के दौरान देश के अन्य भागों में निम्नलिखित प्रदर्शनियां/व्यापार मेले आयोजित किए :–

क्रमांक	वर्ष	मेले का विवरण	मेले का स्थान
1.	1999-2000	इंडिया इंटरनेशनल लैदर फेयर	चेन्नई
		इंटरनेशनल लैदर गुड्स फेयर	कोलकाता
		इंडियन ट्रेड एग्जी० (मल्टी प्रोडक्ट)	गंगटोक
2.	2000-2001	इंडिया इंटरनेशनल लैदर फेयर	चेन्नई
		इंटरनेशनल लैदर गुड्स फेयर	कोलकाता
3.	2001-2002	इंडिया इंटरनेशनल लैदर फेयर	चेन्नई
		इंटरनेशनल लैदर गुड्स फेयर	कोलकाता
		कंज्यूमैक्स (उपभोक्ता उत्पाद)	चेन्नई

अशक्त व्यक्तियों हेतु योजनाएं

***399. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्यवार कौन-कौन से संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है और वास्तव में कितनी खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी दो वर्षों के दौरान राज्यों में ऐसे कुछ और संस्थान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अशक्त व्यक्तियों के लिए दो प्रमुख योजनाओं अर्थात् (क) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देने की योजना (अम्ब्रेला योजना) और (ख) सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद तथा लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना को कार्यान्वित करता है। इस मंत्रालय के तत्वाधान में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्यरत निम्नलिखित छः शीर्ष संस्थान भी हैं :–

1. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एन०आई०एम०एच०), सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
2. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (ए०वाई०जे०एन०आई०एच०एच०), मुम्बई, महाराष्ट्र।
3. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एन०आई०वी०एच०), कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
4. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (एन०आई०वी०एच०), देहरादून, उत्तर प्रदेश।
5. विकलांग जन संस्थान (आई०पी०एच०), दिल्ली।
6. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (निरतार), कटक, उड़ीसा।

ये संस्थान अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं तथा बाह्य सेवाएं आयोजित करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, मंत्रालय राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एन०एच०एफ०डी०सी०) को इक्विटी सहायता, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड (एलिम्को) को आधुनिकीकरण अनुदान दे रहा है और भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०), ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क, अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास, भारतीय मेरूदंड क्षतिग्रस्त केन्द्र (आई०एस० आई०सी०), विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों (सी०आर०सी०), मेरूदंड चोटग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों (आर०आर०सी०) आदि को सहायता अनुदान देकर सहायता कर रहा है। वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान आबंटन तथा व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों में एक राष्ट्रीय बहु-विकलांगता संस्थान तथा एक पुनर्वास विज्ञान कालेज की स्थापना करने के प्रस्ताव शामिल हैं।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(विकलांगता प्रभाग)

वर्ष 1998-2000 से 2001-2002 के लिए निशक्तता क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत आवंटन और व्यय

(रु० करोड़ में)

ब्यूरो/योजना	1999-2000			2000-01			2001-02		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान (आरओसी)	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान (आरओसी)	संशोधित अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एन०आई०वी०एच०, देहरादून	2.5	2.5	2.5	2.25	2.25	2.6	2.25	2.25	2.76
एन०आई०ओ०एच०, कलकत्ता	2.5	2.5	2.5	2.25	2.25	1.12	2.25	2.25	1.54
एन०आई०एच०एच०, मुम्बई	2.9	0.8	0	2.63	2.63	2.63	2.61	2.61	2.61
एन०आई०एम०एच०	3.3	3.3	3.3	2.97	2.97	3.32	2.97	2.97	3.48
निरतार, कटक	3.71	3.71	4.08	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
आई०पी०एच०, नई दिल्ली	1.5	1.5	1.5	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
एन०आई०एम०एच०, चेन्नई	0.5	0.5	0	1	1	0	0.9	0.9	0
एलिम्को, कानपुर	6.35	6.35	6.35	6.75	6.75	0	5.4	5.4	5.4
एडिप	30	30	28.42	28.7	28.7	29.01	42.41	42.41	43.58
अम्ब्रैला स्कीम	62.29	62.29	53.97	55	60	62.12	58.5	59.51	60.81

[अनुवाद]

बांग्लादेश के उत्पादों का कर-मुक्त प्रवेश

***400. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश ने अपने उत्पादों की 13 श्रेणियों के भारत में कर-मुक्त प्रवेश की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्राधिकारियों ने बांग्लादेश के 12 उत्पादों के कर-मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत अधिक व्यापारिक रियायतें देने संबंधी बांग्लादेश के अनुरोध पर आगे विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) बांग्लादेश ने छह-अंकीय एच०एस० स्तर पर 191 टैरिफ लाइनों के अनुरूप अपने उत्पादों की 25 श्रेणियों पर भारत में शुल्क मुक्त प्रवेश के लिए अनुरोध किया है। इनमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ रसायन एवं पैट्रो रसायन, वस्त्र; कृषि चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) से (ङ) 8-10 अप्रैल, 2002 तक ढाका में हुई बांग्लादेश-भारत द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के दौरान भारत ने छह-अंकीय एच०एस० स्तर पर 40 टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेशी उत्पादों, जिनमें बांग्लादेश द्वारा अनुरोध किए गए उत्पादों की 16 श्रेणियां शामिल हैं, के शुल्क मुक्त प्रवेश के लिए सहमति प्रदान की है। यह निर्णय लिया गया था कि इन 40 टैरिफ लाइनों की वास्तविक अधिसूचना तभी जारी की जाएगी जब बांग्लादेश सरकार भारत के सूती धागे के निर्यातों के लिए भूमि मार्ग के मुद्दे के हल कर देगी। यह अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने हमारी विशेष चिंता का निदान नहीं किया है। भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से भारत में शुल्क मुक्त प्रवेश के लिए 121 मदों की और सूची प्राप्त हुई है। इस सूची में वह 40 मदें भी शामिल हैं जिनके संबंध में भारत सरकार बांग्लादेश को शुल्क मुक्त प्रवेश के लिए पहले ही सहमत हो गई थी।

बम विस्फोटों में बैंकों का शामिल होना

3913. **श्री रामजी मांझी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के कुछ निजी बैंकों के वर्ष 1998 के शुरूआत में कोयम्बटूर में क्रमिक बम विस्फोट कराने में शामिल होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं और किस कार्य-विधि के द्वारा कोयम्बटूर में हुए बम विस्फोटों के लिए धनराशि निजी बैंकों के माध्यम से पंहुचाई गई; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए इन बैंकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कंपनी कानून निपटान योजना

3914. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्पनी कानून निपटान योजना (सी०एल०एस०एस०) को शीघ्र ही पुन: शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है कि चूककर्ता और अन्य व्यक्ति कम्पनी कानून निपटान योजना के अंतर्गत दी गई सुविधाओं के लिए सरकार से सम्पर्क कर सके?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न

3915. **श्री कैलाश मेघवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न संगठनों ने यह शिकायत की है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में मामले दाखिल करने, जांच करने और न्यायालय में चालान दाखिल करने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 अप्रैल, 1999 से आज तक अर्थात् पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनमें से ऐसे कितने मामले हैं जिनमें चालान दाखिल किया गया था और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें न्यायालय द्वारा दोषियों को दंड दिया गया/दोषमुक्त किया गया;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इन समुदायों को सामाजिक दर्जा प्रदान करने हेतु इस विशेष अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर कड़ी कार्रवाई करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत कथित अपराधों के सम्बन्ध में विभिन्न मंचों से प्राप्त अभ्यावेदनों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा जाता है। क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधान उनके द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) पिछले चार कैलेण्डर वर्षों के दौरान राजस्थान में इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज, आरोपित, दोषसिद्ध तथा रिहा किए गए मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

मामलों की संख्या

वर्ष	दर्ज	आरोपित	सजा प्राप्त	रिहा किए गए
1998	6858	2915	240	1600
1999	6838	3921	236	2359
2000	6679	3057	293	2109
2001	5915	1966	290	1678

(ङ) से (छ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों से विचार प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस अधिनियम के उपबन्धों को पूर्णत: कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। इस अधिनियम के उपबन्धों के तहत किसी गैर अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है; ताकि उनमें इस प्रकार सामाजिक सम्मान तथा दर्जे की भावना भरी जाए।

[अनुवाद]

पेटेन्ट अधिकार

3916. **श्री मोहनुल हसन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीयों द्वारा अब तक कितने पेटेन्ट अधिकार प्राप्त किए गए हैं; और

(ख) उन खोजों के नाम क्या हैं जिनमें भारतीयों ने पेटेन्ट अधिकार प्राप्त किए हैं और अन्य विकासशील देशों के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : (क) पिछले दस वर्षों में भारतीयों को प्रदान किए गए पेटेन्टों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :–

वर्ष	प्रदान किए गए पेटेन्टों की संख्या
2001-2002	654
2000-2001	399
1999-2000	557
1998-1999	645
1997-1998	619
1996-1997	293
1995 1996	415
1994-1995	476
1993-1994	442
1992-1993	251

भारतीय आवेदकों को प्रदान किए गए पेटेन्टों सहित पेटेन्ट प्रदान करने के संबंध में सूचना महानियंत्रक पेटेन्ट, डिज़ाइन और व्यापार चिन्ह द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है और ऐसी सूचना से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जनजाति की सूची से जनजातियों को हटाया जाना

3917. श्री टी० गोविन्दन : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का केरल के कसरगोड जिले के उत्तरी छोर के हिस्से और सीमांत कर्नाटक में मौजूद मराठी समुदाय के कुछ जनजातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, हां। केरल के अनुसूचित जनजातियों की सूची से मराठी समुदाय को निकालने का प्रस्ताव है। लोक सभा में दिनांक 2.8.2002 को एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त प्रस्ताव भी शामिल है।

अनुसूचित जातियों के लिए समुदाय प्रमाण-पत्र

3918. श्री पी० मोहन : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुदाय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकारप्राप्त प्राधिकारी मांग पर अपने संबंधित राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसे प्रमाण-पत्र लगातार जारी कर रहे हैं जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समुदायों की शीघ्र जांच हेतु सभी स्तरों पर एक प्रभावी मशीनरी बनाई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजस्व अधिकारियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) और (घ) माधुरी पाटिल, बनाम अपर आयुक्त, जनजातीय विकास, महाराष्ट्र 1994(4) जे०टी० (423) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे प्रमाण-पत्रों को जारी करने और पुष्टीकरण के लिए एक पद्धति की सिफारिश की है। उसके अनुसरण में राज्य सरकारों ने विभिन्न स्तरों पर समीक्षा समितियों की स्थापना की है।

जूट की खरीद

3919. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्यों में भारतीय जूट निगम के जूट खरीद लक्ष्य को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आवेदनों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) भारतीय पटसन निगम के लिए किसी भी पटसन उत्पादक राज्य में, पटसन की खरीद संबंधी कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सामान्य भविष्य निधि

3920. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न पक्षों से प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनजर पूर्व में घटाए गए सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज दर में कोई बदलाव करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातियों के छात्रावासों हेतु अनुदान

3921. चौ० तालिब हुसैन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर राज्य की गुज्जर और बहेरवाल जैसी जनजातियों में महिलाओं की निरक्षरता समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि आवासीय छात्रावासों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित की गई थी जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह भी सही है कि कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने जनजातीय छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) मंत्रालय, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजनाओं, अनुसूचित जनजातीय महिलाओं में साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों, लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर राज्य के गुज्जरों और बहेरवालों सहित देश की जनजातियों में निरक्षरता उन्मूलन के लिए तथा शैक्षिक विकास के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करता है।

(ख) जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि तथा अनुपयुक्त धनराशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

योजना का नाम	आवंटित धनराशि	अनुपयुक्त धनराशि
1	2	3
लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण	24.05	1.45
लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण	122.00	51.85
संविधान के अनुच्छेद 251(1) के अंतर्गत अनुदान (माडल आवासीय स्कूलों का निर्माण	100.00	100.00

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के जरिए कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की योजनाओं में जनजातीय लड़कियों के लिए आवासीय छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वक्फ बोर्ड के लिए धनराशि

3922. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत वक्फ बोर्डों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को वक्फ अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने वक्फ अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित किया है/कर रहे हैं और क्रियान्वित किया जाना बाकी है;

(ङ) प्रत्येक राज्य द्वारा अब तक राज्य-वार कितने न्यायाधिकरण स्थापित किए गए; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु और क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि सभी राज्य सरकारें वक्फ अधिनियम, 1995 के सभी प्रावधानों को क्रियान्वित करें ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राज्यवार विस्तृत विवरण संलग्न है।

(च) केन्द्र सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 के उपबन्धों के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करती है तथा इसने समय-समय पर इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ उठाया है।

इस सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा करने के लिए मार्च तथा जुलाई, 2002 में राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की दो बैठकें बुलाई गई और उनसे वक्फ अधिनियम, 1995 के सभी उपबंधों को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करने का आग्रह किया गया।

विवरण

वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन का सारांश

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वक्फ (धारा 4) के सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति की तारीख तथा सर्वेक्षण की स्थिति	वक्फ बोर्ड (धारा 13) के गठन की तारीख	वक्फ ट्राईब्यूनल (धारा 83) के गठन की तारीख	राज्य वक्फ नियम (धारा 109) की अधिसूचना की तारीख	राज्य वक्फ बोर्डों (धारा 110) द्वारा विनियमों को बनाने की तारीख
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	नियुक्त। एक जिले हमें सर्वेक्षण पूर्ण।	दिनांक 2.11.2001 को जी० ओ०एम० संख्या 34 के द्वारा पुनर्गठित।	20.6.1997 से गठित।	नियम अनुमोदित किन्तु अतिरिक्त संशोधन हेतु जांच की जा रही है।	अभी तक तैयार नहीं।
अरुणाचल प्रदेश	नियुक्त नहीं।	गठित नहीं।	गठित नहीं।	तैयार नहीं।	तैयार नहीं।
असम	7.10.1999 से नियुक्त। सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है।	15.9.2001 से गठित।	सक्रिय विचाराधीन।	असम वक्फ नियम 25.2.1998 को अधिसूचित।	अभी तक तैयार नहीं।
बिहार	1.2.2001 से नियुक्त।	बिहार शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड क्रमश: 1.10.2001 तथा 3.10.2001 को गठित।	क्रमश: 6.10.2001 तथा 16.10.2001 से गठित।	नियम तैयार और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन।	अभी तक तैयार नहीं।
गोवा	1997 में नियुक्त। सर्वेक्षण आरंभ।	अभी तक गठित नहीं।	ट्राइब्यूनल के गठन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।	प्रक्रियाधीन।	तैयार नहीं।
गुजरात	नियुक्त। सर्वेक्षण प्रक्रिया में है।	पुनर्गठित।	20.9.1998 से गठित (प्रत्येक जिला में सिविल जज)	गुजरात राज्य वक्फ नियम, 1998, 21.3.1998 को अधिसूचित।	गुजरात राज्य वक्फ विनियम, 2000, 16.6.02 को अधिसूचित।
हरियाणा	1998 में नियुक्त।	वक्फ सम्पत्तियां पंजाब वक्फ बोर्ड के अधीन हैं।	25.9.2001 से गठित।	तैयार नियम केन्द्र सरकार की जांच के अधीन।	तैयार। जांच के अधीन।
हिमाचल प्रदेश	11.1.2001 से नियुक्त।	वक्फ सम्पत्तियां पंजाब वक्फ बोर्ड के अधीन हैं।	अधिसूचना रेव. सी(ई)4-1/97, दिनांक 1.12.2001 के माध्यम से शिमला और कांगड़ा में दो ट्राईब्यूनल गठित।	नियम तैयार। केन्द्र सरकार के जांच के अधीन।	विनियम तैयार। केन्द्र सरकार के जांच के अधीन।

1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर	वक्फ अधिनियम, 1995 लागू नहीं।	वक्फ अधिनियम, 1995 लागू नहीं।	वक्फ अधिनियम, 1995 लागू नहीं।	वक्फ अधिनियम, 1995 लागू नहीं।	वक्फ अधिनियम, 1995 लागू नहीं।
कर्नाटक	18.8.1997 से नियुक्त। सर्वेक्षण कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।	नए वक्फ बोर्ड के गठन को 26.3.1998 को अधिसूचित किया गया है।	4 वक्फ ट्राईब्यूनलों के गठन को 6.1.1999 को अधिसूचित किया गया।	कर्नाटक वक्फ नियम, 1997, 9.4.1997 को अधिसूचित।	तैयार और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन।
केरल	नियुक्त। सर्वेक्षण पूर्ण। सरकार से सूचना प्राप्त नहीं।	15.10.1998 से गठित।	8.12.1999 से 3 ट्राईब्यूनल गठित।	6.9.1996 (केरल वक्फ नियम, 1996)	विनियमों का मसौदा अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत।
मध्य प्रदेश	नियुक्त। सर्वेक्षण पूर्ण (भोपाल जिले को छोड़कर)	10.12.1996 से गठित।	17.11.1994 को अधिसूचित।	19.6.2001 को अधिसूचित।	प्रक्रियाधीन।
महाराष्ट्र	1.12.1997 से नियुक्त सर्वेक्षण किया गया। कोंकण डिवीजन से रिपोर्ट लम्बित।	4.1.2002 से गठित।	अधिसूचना संख्या डब्ल्यू०के० एफ० 1097/सी०आर०-94/ एल-3, दिनांक 30.10.2000 के द्वारा औरंगाबाद में वक्फ ट्राईब्यूनल अधिसूचित।	महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (चुनाव संबंधी आचार) नियम, 2000 अधिसूचित। सामान्य नियम तैयार किए जा रहे हैं।	विनियम राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।
मणिपुर	नियुक्ति सरकार के विचाराधीन।	दिनांक 14.9.1999 से गठित।	21.2.1999 से गठित।	नियम बनाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।	तैयार किया जाना है।
मेघालय	19.7.1997 से नियुक्त। सर्वेक्षण प्रगति पर।	दिनांक 12.7.1996 से गठित।	अधिकरण 22.1.1999 से गठित।	प्रक्रियाधीन।	प्रक्रियाधीन।
मिजोरम	गठित नहीं।	गठित नहीं।	गठित नहीं।	तैयार नहीं।	तैयार नहीं।
नागालैंड	गठित नहीं।	गठित नहीं।	गठित नहीं।	तैयार नहीं।	तैयार नहीं।
उड़ीसा	सर्वेक्षण आयुक्त 19.7.2001 से नियुक्त। सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन।	दिनांक 8.12.1998 से गठित।	अधिकरण की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है।	उड़ीसा वक्फ नियम, 1997, 26.7.1997 को अधिसूचित।	सरकार के अनुमोदनाधीन।

1	2	3	4	5	6
पंजाब	दिनांक 3.12.1997 से नियुक्त। सर्वेक्षण शुरू में ही किया गया।	पंजाब वक्फ बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया गया है।	23.10.2001 से गठित।	प्रक्रियाधीन।	प्रक्रियाधीन।
राजस्थान	दिनांक 30.9.1999 से नियुक्त। सर्वेक्षण कार्य 80% पूरा किया जा चुका है।	दिनांक 12.7.1999 से गठित।	15.2.1997 से गठित।	प्रक्रियाधीन।	प्रक्रियाधीन।
सिक्किम	गठित नहीं।	गठित नहीं।	गठित नहीं।	तैयार नहीं।	तैयार नहीं।
तमिलनाडु	दिनांक 6.4.1998 से नियुक्त। सर्वेक्षण प्रगति पर।	दिनांक 13.12.2001 से गठित।	24.10.1997 से 23 अधिकरण गठित।	नियम 16.10.2000 से अधिसूचित।	विनियमों की तैयारी अन्तिम चरण में।
त्रिपुरा	दिनांक 16.8.1997 की अधिसूचना के तहत नियुक्त। नया सर्वेक्षण चल रहा है।	अधिसूचना संख्या एफ(1)/टीबीडब्ल्यू/96/भाग, दिनांक 30.12.1998 के तहत गठित।	दिनांक 18.7.2001 से गठित।	दिनांक 20.12.1999 की अधिसूचना के तहत तैयार नियम।	अभी तैयार नहीं।
उत्तर प्रदेश	19.8.1996 को नियुक्त। 1977-88 के दौरान अन्तिम सर्वेक्षण किया गया।	शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दिनांक 17.2.1999 तथा 22.4.1999 को गठित।	दिनांक 7.11.1999 को सभी जिलों में गठित।	विचाराधीन।	अभी तक तैयार नहीं।
पश्चिम बंगाल	नियुक्त। सर्वेक्षण में पर्याप्त प्रगति की गई।	दिनांक 27.6.2001 को पुनर्गठित और अधिसूचित।	27.6.2001 को गठित। प्रत्येक जिले तथा सत्र न्यायालय की अधिकरणों के रूप में नियुक्त की जाती है।	पश्चिम बंगाल वक्फ नियम दिनांक 18.6.2001 को अधिसूचना सं० 890 एम०डब्ल्यू० के तहत अधिसूचित।	तैयार तथा राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन।
अंडमान और निकोबार	दिनांक 31.7.1998 से नियुक्त। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित।	दिनांक 14.8.1999 को गठित और अधिसूचित।	एक एकल अधिकरण गठित।	नियम, दिनांक 25.6.2002 की अधिसूचना के तहत तैयार।	अभी तक तैयार नहीं।
चंडीगढ़	नियुक्त नहीं किया गया।	वक्फ सम्पत्तियां पंजाब वक्फ बोर्ड के अधीन।	गठित नहीं।	नियम अलग से तैयार नहीं किए गए।	तैयार नहीं।

1	2	3	4	5	6
दादरा और नगर हवेली	सहायक सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति की गई और नया सर्वेक्षण कर रहा है।	गठित।	गठित।	प्रक्रियाधीन।	अभी तक तैयार नहीं।
दमन और दीव	गठित नहीं।	गठित नहीं।	तैयार नहीं।	तैयार नहीं।	तैयार नहीं।
दिल्ली	दिनांक 21.6.1999 से नियुक्त। सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन।	बोर्ड का गठन दिनांक 4.3.1999 को अधिसूचित।	दिनांक 20.11.1998 से गठित।	दिल्ली वक्फ नियमावली 1997, दिनांक 28.11.1998 से प्रख्यापित।	विनियमन प्रक्रियाधीन।
लक्षद्वीप	नियुक्त। सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।	दिनांक 25.10.1997 से गठित।	दिनांक 2.7.1997 को गठित।	दिनांक 13.10.1998 को नियम अधिसूचित।	तैयार विनियमों का मसौदा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुमोदनाधीन।
पांडिचेरी	दिनांक 1.10.1998 से नियुक्त। सर्वेक्षण 1.9.2000 से शुरू किया गया।	अधिसूचना दिनांक 25.7.2002 को जारी।	दिनांक 20.9.2000 की अधि-सूचना संख्या 3326 के तहत गठित।	दिनांक 21.9.2000 की अधि-सूचना संख्या 4373/सीएचआर आई/वक्फ/टी-3 के तहत गठित।	अभी तक तैयार नहीं।

टिप्पणी :— 1. 'गठित नहीं' सूचना वाले राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या/वक्फ सम्पत्तियां नगण्य है।

विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनियां

3923. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्देश दिया है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को केवल भारतीय विक्रेताओं से ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह देश से निर्यात को बढ़ावा देने में किस हद तक सहायक होगा ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारत सरकार/सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सह-प्रवर्तित विदेशी संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 4 जून, 2002 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह आशा की जाती है कि वे संयुक्त उद्यम करारों/संविदाओं में एक ऐसा प्रावधान रखने का प्रयास करें जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जहां तक संभव हो और कम से कम परियोजना की वित्तीय लागत में भारतीय प्रवर्तक के सामनुपातिक हिस्से की मात्रा तक प्रतिस्पर्द्धी मूल्य पर भारतीय विक्रेताओं से की जानी आवश्यक हो।

(ग) निर्यातों में वृद्धि का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि ये अन्य कई कारकों पर निर्भर होते हैं।

तस्करों के साथ सीमाशुल्क अधिकारियों की मिली-भगत

3924. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के चम्पारण जिले में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों और तस्करों की मिली-भगत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चम्पारण चौकी द्वारा कितनी राशि के सीमाशुल्क की वसूली की गई है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) ऐसी मिली-भगत का कोई प्रामाणिक मामला नहीं है। तथापि, गत 3 वर्षों अर्थात् 1999-2002 के दौरान ऐसा एक संदिग्ध मामला सरकार के ध्यान में आया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक और मामला ध्यान में आया है। इस समय इन मामलों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर यदि अधिकारी इसमें अंतर्ग्रस्त पाए गए तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

(घ) गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में जून, 2000 तक, भू-सीमाशुल्क स्टेशन रक्सौल में वसूल की गई सीमाशुल्क की राशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	वसूल की गई सीमाशुल्क की राशि (करोड़ रुपयों में)
1999-2000	52.57
2000-2001	84.91
2001-2002	101.34
1/4/02-03/6/02	17.57

[हिन्दी]

राजस्थान में आयकर कार्यालय

3925. **प्रो० रासासिंह रावत :** क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में स्थापित आयकर विभागों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जोन-वार ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के विभिन्न आयकर कार्यालयों में अब तक स्थाई लेखा संख्या (पी०ए०एन०) के लिए अपना नाम दर्ज करवाया है और प्राप्त किये हैं;

(ग) क्या आयकर अधिकारी प्रतिदेय राशि को वापस करने में काफी समय लगाते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) राजस्थान में कितने आयकर दाता हैं; और

(च) आयकर के रूप में उनसे कुल कितनी वार्षिक आय प्राप्त हुई ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) राजस्थान में तीन मुख्य आयकर आयुक्त हैं, अर्थात् जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर प्रत्येक में एक-एक हैं। उनका राज्य के सभी बड़े शहरों में तैनात 10 आयकर आयुक्तों एवं 10 अपीलीय आयुक्तों पर नियंत्रण है। इसके अलावा, आयकर आयुक्त (कम्प्यूटर आपरेशंस) की अध्यक्षता में जयपुर एवं जोधपुर में 2 कम्प्यूटर केन्द्र हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व के लिए जयपुर में एक आयकर आयुक्त तैनात है। महानिदेशक आयकर (जांच) की अध्यक्षता में राजस्थान में एक जांच स्कन्ध (तलाशी एवं जब्ती) है

जिनकी आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) एवं आयकर आयुक्त (केन्द्रीय सूचना शाखा) द्वारा सहायता की जाती है।

(ख) राजस्थान में दिनांक 31.7.2002 तक दोनों कम्प्यूटर केन्द्रों में स्थायी खाता संख्या के आबंटन की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

जयपुर	6,93,100
जोधपुर	6,30,510
योग :	13,23,610

(ग) और (घ) सामान्यतया धन वापसियां धन वापसी आदेश पारित होने के तत्काल पश्चात् की जाती हैं। आयकर अधिनियम में विलम्बित धन वापसियों के लिए करदाताओं को ब्याज देने का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान विभाग के पुनर्गठन होने के फलस्वरूप अभिलेखों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होने के कारण अधिकांश धन वापसी आदेश शीघ्र जारी नहीं किये जा सके।

(ङ) दिनांक 1.7.2002 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में 15,51,599 आयकर दाता हैं।

(च) वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान 8,43.60 करोड़ रुपये के कुल राजस्व की वसूली की गई थी।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण

3926. श्री मानसिंह पटेल : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा के अभ्यर्थियों को ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा प्रदान की गई राशि का बैंक-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बैंक ऐसे ऋण प्रदान नहीं करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाएं उक्त उद्देश्य हेतु ऋण प्रदान करें ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) एवं भारतीय बैंक संघ से परामर्श करके एक व्यापक शैक्षणिक ऋण योजना यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की है कि देश में कोई योग्य विद्यार्थी वित्त की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न हो जाए। नई योजना में भीतर एवं विदेश में स्कूलों एवं कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। योजना में देश में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपए तथा विदेश में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपए तक के ऋणों के परिकल्पना की गई है। 4 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए कोई सम्पार्श्विक अथवा मार्जिन अपेक्षित नहीं है और ब्याज दर मूल उधार दर (पी०एल०आर०) से अधिक नहीं होनी है। 4 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए ब्याज दर मूल उधार दर जमा 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऋणों की चुकौती एक वर्ष की रियायत अवधि के प्रावधान सहित 5 से 7 वर्षों की अवधि में की जानी है। इस योजना का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 28.4.2001 के अपने परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परिचालित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बहियों में बकाया शैक्षणिक ऋण का राज्यवार तथा बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा इंजीनियरी तथा मैडिकल विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण उपलब्ध न करने की ऐसी कोई घटना की सूचना नहीं दी है। जनता/विद्यार्थियों से प्राप्त शिकायतें, यदि कोई हो, संबंधित बैंकों को तत्काल निपटान के लिए भेजी जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत खातों की संख्या और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बहियों में बकाया शैक्षिक ऋण राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	मार्च 1998 की समाप्ति पर		मार्च 1999 की समाप्ति पर		मार्च 2000 की समाप्ति पर	
	खाता सं०	बकाया राशि	खाता सं०	बकाया राशि	खाता सं०	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	524	2.28	506	3.02	636	5.69

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	155	0.45	151	0.76	161	1.04
जम्मू एवं कश्मीर	46	0.19	37	0.28	76	1.00
पंजाब	437	2.24	561	4.38	796	7.36
राजस्थान	469	1.55	1069	2.62	640	7.92
चण्डीगढ़	140	1.24	129	1.74	180	2.20
दिल्ली	1722	14.21	1736	12.27	1273	26.94
उत्तरी क्षेत्र	3493	22.16	4189	25.07	3762	52.15
असम	143	0.60	137	0.69	150	0.90
मणिपुर	1	—	5	0.02	1	—
मेघालय	14	0.04	16	0.07	15	0.06
नागालैंड	2	0.01	4	0.04	2	0.02
त्रिपुरा	14	0.03	13	0.02	8	0.02
अरुणाचल प्रदेश	2	—	7	0.56	2	—
मिजोरम	—	—	—	—	1	—
सिक्किम	2	0.01	1	—	2	—
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	178	0.69	183	1.40	181	1.00
बिहार	669	3.07	733	4.71	813	5.76
उड़ीसा	8813	5.83	1262	6.92	1138	6.13
पश्चिम बंगाल	966	4.88	1068	7.37	1107	7.61
अंडमान और निकोबार	10	0.02	13	0.03	11	0.03
पूर्वी क्षेत्र	10458	13.80	3076	19.03	3069	19.53
मध्य प्रदेश	616	3.39	891	5.10	1150	9.35
उत्तर प्रदेश	1222	6.68	1754	11.72	2646	36.14
मध्य क्षेत्र	1838	10.07	2645	16.82	3796	45.49
गुजरात	1570	7.20	1852	10.21	2104	14.43
महाराष्ट्र	11652	43.78	71835	110.33	12253	168.00
दमन एवं दीव	—	—	1	—	2	—
गोवा	181	1.17	172	1.32	241	2.10
दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
पश्चिमी क्षेत्र	13403	52.15	73860	121.86	14600	184.53

1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	12237	68.60	13783	84.29	14062	112.79
कर्नाटक	19210	83.60	18050	102.48	17306	109.89
केरल	5979	24.20	7670	32.22	8032	44.44
तमिलनाडु	16349	63.72	15478	70.79	18080	95.83
पांडिचेरी	244	0.89	374	0.70	288	1.04
लक्षद्वीप	2	—	1	—	1	—
दक्षिणी क्षेत्र	54021	241.01	55356	290.48	57769	363.99
समस्त भारत	83391	339.88	139309	474.66	83177	666.69

विवरण-II

वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत खातों की संख्या और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बहियों में बकाया शैक्षिक ऋण राशि का बैंक-वार ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

बैंक का नाम	मार्च 1998 की समाप्ति पर		मार्च 1999 की समाप्ति पर		मार्च 2000 की समाप्ति पर	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	17531	2728	71199	8847	12397	9237
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	136	54	185	114	212	155
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4314	2115	4762	2281	2725	2574
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	38	51	71	40	128	151
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	618	354	462	462	577	657
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	315	126	381	277	413	328
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	302	83	630	184	653	262
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	798	268	492	526	1569	763
इलाहाबाद बैंक	175	187	398	361	627	651
आन्ध्रा बैंक	1597	1010	2342	1801	3896	2738
बैंक ऑफ बड़ौदा	3041	1085	3503	1332	3158	2188
बैंक ऑफ इंडिया	4689	1697	4624	1926	5271	2837
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	990	297	1100	439	1203	563
केनरा बैंक	30165	16073	28356	17532	26132	17774
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2230	784	1949	1009	3136	2151
कार्पोरेशन बैंक	601	189	593	215	390	265
देना बैंक	905	389	1251	594	1373	699

1	2	3	4	5	6	7
इंडियन बैंक	1511	891	568	249	528	405
इंडियन ओवरसीज बैंक	1373	452	1434	686	2180	1668
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	97	76	120	105	13901	204
पंजाब एंड सिंध बैंक	58	52	83	76	155	192
पंजाब नैशनल बैंक	876	467	1313	1028	2526	2059
सिंडिकेट बैंक	5798	1762	5937	2331	5495	2336
युनियन बैंक ऑफ इंडिया	1704	843	2088	1265	2419	1455
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	113	32	121	52	159	102
यूको बैंक	461	82	339	176	487	258
विजया बैंक	1357	732	1805	1073	1730	1620
कुल	81793	32889	136906	44981	79860	54292

पंजाब में खाद्य तेल का कोटा

3927. **श्री जे०एस० बराड़ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान पंजाब राज्य के लिए खाद्य तेल का कितना कोटा जारी किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि में वितरण हेतु पूरी मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरी की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा आगामी महीनों में खाद्य तेल की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) शून्य।

(ख) और (ग) पंजाब राज्य ने कोई मांग नहीं भेजी थी और इसलिए कोई आबंटन नहीं किया गया था।

तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन/निर्यात

3928. **श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2002 के अंत तक सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चुरूट आदि का कुल कितना अनुमानित उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त तम्बाकू उत्पादों से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या धूम्रपान को कम करने के लिए की गई विश्व प्रतिबद्धता जिसका भारत एक सक्रिय हस्ताक्षरकर्ता है, के परिणामस्वरूप तम्बाकू के उपयोग में तेजी से गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार तम्बाकू उपयोग पर प्रतिबंध के कारण राजस्व में आई भारी कमी को पूरा करने हेतु कौन-सा कदम उठाने की योजना बना रही है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि के सिगरेट और बीड़ी का निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(च) क्या भारत ने इसी अवधि के दौरान सिगरेट, बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पादों का आयात भी किया है; और

(छ) यदि हां, तो कितनी राशि का आयात हुआ और ऐसे उत्पादों के आयात पर कितना आयात शुल्क भुगतान किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) उद्योग के अनुमानों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में सिगरेट के उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	मात्रा (मिलियन पीस)
1999-2000	97629
2000-2001	96642
2001-2002	87295

बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण के आंकड़ों का केन्द्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह उद्योग असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में सिगरेट और बीड़ी से अर्जित कुल राजस्व निम्नानुसार है :–

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1999-2000	5184.22
2000-2001	5534.44
2001-2002	5416.62

स्रोत : राजस्व विभाग

(ग) सिगरेट के विनिर्माण और निर्यात आंकड़े घरेलू खपत के लिए सिगरेट के उत्पादन में किसी पर्याप्त गिरावट का संकेत नहीं देते हैं। भारत तम्बाकू नियंत्रण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०एच० ओ०) ढांचा कन्वेंशन का अभी हस्ताक्षरकर्त्ता देश नहीं है क्योंकि वह अभी वार्ता प्रक्रिया में है।

(घ) चूंकि तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में निर्यातित सिगरेट और बीड़ी की मात्रा के आंकड़े और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :–

(मात्रा: टन, मूल रुपए में)

वर्ष	सिगरेट का निर्यात		बीड़ी का निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1999-2000	1851	4629.30	1174	3717.89
2000-2001	2016	5651.53	962	3295.88
2001-2002	2883	8488.30	961	3337.48

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता (डीजीसीआई एण्ड एस)

(च) और (छ) जी, हां। आयात आंकड़े निम्नानुसार है :–

(मात्रा: टन)

वर्ष	सिगरेट	बीड़ी	अन्य
1999-2000	103	–	2
2000-2001	25	–	–
2001-2002	8	10	19

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

इन मदों पर लागू आयात शुल्क 30% (मूल) जमा 4% (विशेष अतिरिक्त शुल्क) जमा यथालागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क है। उन सिगरेटों, बीड़ियों और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रति संतुलनकारी शुल्क लागू नहीं है जिन पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

गेहूं की खरीद में बरती गई अनियमितताओं

3929. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आस्ट्रेलियाई गेहूं की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने की जानकारी मिली है जिसके कारण राजकोष को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयातित गेहूं का अधिक मूल्य दर्शाने के मामले में प्राथमिक जांच शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या कानूनी कार्रवाई और जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) सी०बी०आई० वर्ष 1998 में आस्ट्रेलियन ह्वीट बोर्ड (ए०डब्ल्यू०बी०) से एस०टी०सी० द्वारा गेहूं के 1.5 मिलियन टन के आयात के बारे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। सी०बी०आई० ने सितम्बर, 2001 में नियमित मामला दर्ज किया है। चूंकि यह मामला सी०बी०आई० के हाथ में है इसलिए इस स्तर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

एफडीआई, एफआईआई का आगम

3930. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नब्बे के दशक में और इस दशक के प्रथम दो वित्तीय वर्षों में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के संबंध में अनिवासी भारतीयों ने वर्ष-वार कितनी धनराशि का जमा के रूप में निवेश किया ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गऐ आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1990-91 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/विदेशी संस्थागत निवेश अंतर्वाहों के संबंध में वर्ष-वार अनिवासी जमाराशियां नीचे दी गई हैं :–

(मिलियन अमरीकी डालर)

अवधि	राजकोषीय वर्ष के अंत में एनआरआई जमाराशियां	राजकोषीय वर्ष के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	राजकोषीय वर्ष के दौरान एफआईआई निवेश
1	2	3	4
1990-91	13721	97	–
1991-92	12817	129	–

1	2	3	4
1992-93	13978	315	01
1993-94	15685	586	1665
1994-95	17156	1314	1503
1995-96	17433	2144	2009
1996 97	20389	2821	1926
1997 98	20367	3557	979
1998 99	20498	2462	390
1999 2000	21684	2155	2135
2000-01	23072	2339	1847
2001 02*	25177	3904	1505

*कामचलाऊ

दमण और दीव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार

3931. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान हेतु निर्धारित मानदंडों में छूट देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दमन और दीव प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2001 के विषय की तर्ज पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और जिला शहरी विकास एजेंसी, दमन और दीव के माध्यम से सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की इसी सूची को अनुमोदित कर दिया जाए।

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि के आरंभ में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना की जाती है। इन लाभभोगियों की पहचान करने के लिए विधि और मानदंडों को इस प्रयोजनार्थ गठित किसी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जाता है।

समितियों की नियुक्ति

3932. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इन आरोपों की जानकारी है कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद अनेक समितियों का गठन कर धन का अपव्यय कर रही है;

(ख) क्या इन समितियों को बड़े पैमाने पर यात्रा करने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये समितियां अपनी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) यह प्रावधान करती है कि संस्थान की परिषद भी अन्य समितियों का गठन कर सकती है [अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत उपबन्धित तीन स्थायी समितियों के अलावा]। फिलहाल परिषद द्वारा गठित कुल 26 गैर-स्थायी समितियां/कार्यकारी दल हैं।

(ख) और (ग) जब कभी आवश्यकता होती है समितियां बैठक करती हैं, और बैठक के लिए आवश्यक यात्रा तदनुसार की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक समिति को इसके द्वारा की गई गतिविधियों की रिपोर्ट उस विशेष वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष के दौरान रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। वार्षिक रिपोर्ट को तब भारत के राजपत्र, साथ ही संस्थान की पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है, जिसे सभी सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मसाला बोर्ड के कार्यकलाप

3933. **श्री अशोक अर्गल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 में मसाला बोर्ड द्वारा कराये गये अनुसंधान के फलस्वरूप कितनी इलायची का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में मसाला बोर्ड का कोई क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यालय के कब तक खोले जाने की सम्भावना है;

(ङ) मध्य प्रदेश में मसाला बोर्ड द्वारा कितनी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और भविष्य में किन-किन तारीखों में इनका आयोजन किया जाएगा; और

(च) मसाला बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में कौन-कौन से कार्यकलाप किए जा रहे हैं और साथ ही किसानों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) अनुसंधान के कारण हुए इलायची के उत्पादन की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती। मसाला बोर्ड द्वारा किए गए अनुसंधान के निष्कर्ष इलायची के उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान उत्पादित इलायची (छोटी) की कुल मात्रा 10480 मी० टन थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) लेटिन अमरीकी देशों को मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में मसाला बोर्ड द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी। डिविजनल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, रतलाम और उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से रतलाम में एक दूसरी कार्यशाला आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(च) मध्य प्रदेश में कृषकों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं में बीज वाले मसालों, लहसुन, मिर्च आदि के संबंध में फसलोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम; मिर्च और बीज वाले मसालों के उत्पादकों के लिए निर्जलीकरण यार्ड का निर्माण करने और उन्हें पॉलीथीन की शीटों की आपूर्ति करने जैसी बुनियादी संरचना सुविधा विकास कार्यक्रम; उत्पादकों/ निर्यातकों के लाभार्थ कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना; मसाला बोर्ड की बाजार विकास स्कीमों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार शामिल है।

[अनुवाद]

कालीनों का उत्पादन/निर्यात

3934. श्री के०के० कलिअप्पन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तमिलनाडु में भवानी के बुनकरों द्वारा विश्व प्रसिद्ध कालीनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इन विश्व प्रसिद्ध कालीनों का निर्यात करने और इस क्षेत्र के बुनकरों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, तमिलनाडु में भवानी के निर्यातकों एवं बुनकरों सहित देश के हाथ से गुंथे कालीनों के निर्यात को बढ़ाने और कालीन बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एवं कालीन निर्यात संवर्धन परिषद कई स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन, विदेशों में प्रचार; डिजाइन विकास पर कार्यशालाओं का आयोजन, निर्यात विपणन एवं पेकेजिंग आदि; विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी; विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दलों को विदेश हेतु प्रायोजित करना; नई दिल्ली में वर्ष में दो बार कालीन एक्सपों का आयोजन करना और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना शामिल है।

पिघलने वाले इस्पात के स्क्रैप पर पाटनरोधी शुल्क

3935. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पंज लोहे के उत्पादकों द्वारा पिघलने वाले अमिश्र इस्पात के स्क्रैप आयात पर पाटनरोधी शुल्क के विरुद्ध कोई याचिका दायर की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस आधार पर यह याचिका दायर की गई है;

(ग) क्या स्पंज लोहा और पिघलने वाले अमिश्र इस्पात का कचरा दोनों वास्तविक विशेषताओं और रासायनिक पैमाने पर अलग-अलग उत्पाद हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त भिन्नताओं के बावजूद डायरेक्टोरेट जनरल आफ एंटीडम्पिंग एण्ड एलाइड ड्यूटीज का इरादा पिघलने वाले अमिश्र इस्पात के कचरे के संबंध में जांच शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह कदम विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है;

(च) क्या डी०जी०ए०डी० ने इस मामले में संबंधित उद्योग की राय भी ली है; और

(छ) यदि नहीं, तो डी०जी०डी०ए० द्वारा पिघलने वाले अमिश्र इस्पात के कचरे के संबंध में जांच शुरू करने का क्या औचित्य है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। पाटनरोधी नियमावली के

प्रावधानों के अनुसार सिंगापुर, ई०यू०, यू०ए०ई० तथा जापान से लोहे के स्टील मेल्टिंग स्क्रैप अथवा स्टील के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु स्पंज आयरन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा एक याचिका दायर की गई है।

(ग) से (छ) जांच प्रारंभ करने की याचिका पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के विचाराधीन है। उन सभी मुद्दों की पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार जांच की जाएगी जो कि डब्ल्यू०टी०ओ० प्रावधानों के अनुरूप हैं।

असम के गैर-सरकारी संगठनों हेतु प्रस्ताव

3936. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए और असम सरकार द्वारा प्रायोजित उन परियोजना प्रस्तावों की संख्या कितनी है जो एक वर्ष से अधिक समय से उनके मंत्रालय के पास अनुमोदन और स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए, उनका ब्यौरा क्या है और उनको अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) शून्य।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2000-2001 से आज तक 10 प्रस्तावों को सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदण्ड पूरे न करने के कारण अस्वीकृत किया गया।

पेटेन्ट के लंबित आवेदन पत्र

3937. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पेटेन्ट हासिल करने के लिए अनेक आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पेटेन्ट जांचकर्ताओं की बहुत कमी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या बहुराष्ट्रीय विशेषकर भेषजीय क्षेत्र की कम्पनियों को इस बात की आशंका है कि पेटेन्ट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम के पारित होने के बावजूद पेटेन्ट संरक्षण के मौजूदा स्तर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ सकता है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और विभिन्न राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले बकाया आवेदनों के जमा होने के कारण ये रहे हैं – भारत में पेटेन्ट आवेदनों के दायर करने में हुई पर्याप्त वृद्धि, पेटेंट कार्यालयों में अब तक परिचालनों का हस्तचालित होना तथा बढ़ते कार्य-भार को संभालने के लिए पेटेंट जांचकर्ताओं की कमी।

(घ) इन मुद्दों के समाधान हेतु सरकार ने पेटेंट कार्यालयों आधुनिकीकरण की एक व्यापक परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना के घटकों में शामिल हैं – अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, अतिरिक्त कामगारों की भर्ती करना, मानव संसाधन विकास, कार्य प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण व उन्हें पुन: नये सिरे से तैयार करना, कार्यालयों की नेटवर्किंग तथा जागरूकता बढ़ाने संबंधी कार्यकलाप। आज की तारीख तक सरकार द्वारा दिल्ली और चेन्नई स्थित आधुनिकीकृत पेटेंट कार्यालयों को चालू कर दिया गया है जबकि कोलकाता और मुंबई स्थित कार्यालयों में यह कार्य चल रहा है। अब तक की गयी पहलों के फलस्वरूप, पेटेन्ट कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार आया है और उनमें वर्ष 2000-2001 में 4,000 से अधिक आवेदनों तथा 2001-2002 में 5,000 से अधिक आवेदनों की जांच की गयी है, जबकि उससे पहले के तीन वर्षों में औसतन 2800 आवेदनों की जांच प्रतिवर्ष की गयी थी। पर्याप्त संख्या में पेटेंट जांचकर्ताओं की भर्ती को भी अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है और 50 की पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है। और अधिक जांचकर्ताओं की भर्ती संबंधी कार्यवाही भी चल रही है।

(ङ) और (च) जहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में संभाव्य वृद्धि के आधार के तौर पर एक सशक्त पेटेन्ट संरक्षण व्यवस्था की हिमायत की गयी है, विशेषकर औषधों और भेषजों के लिए उत्पाद पेटेंट की शुरुआत करने के लिए, वहीं भारत पर (एक विकासशील देश होने के नाते) 1 जनवरी, 2005 तक इस प्रकार का उत्पाद पेटेन्ट संरक्षण प्रदान करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं से संबंधित समझौते के तहत कोई दायित्व नहीं है। राष्ट्रीय और सार्वजनिक हितों की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा इस संक्रमण काल का लाभ उठाया जा रहा है। आज की तारीख तक भारतीय पेटेन्ट कानून, नामत:, पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के साथ पाठित, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पूर्णत: अनुरूप है। आर्थिक उदारीकरण के बाद की अवधि में (अगस्त, 1991 में मई, 2002 तक)

सरकार ने औषध और भेषज क्षेत्र में 257 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है; जिनमें 2917 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना है। इनमें प्रमुख भेषज (फार्मास्यूटिकल) कंपनियां शामिल हैं जैसे कि, फिजर (यू०एस०ए०), बरोज् वेलकम (यू०के०), रोन-पौलक (फ्रांस), विलमर श्वाबे (जर्मनी) और मैनारिनि (इटली)।

(छ) पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के साथ पठित पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में राष्ट्रीय और सार्वजनिक आवश्यकताओं/चिंताओं के प्रति उपयुक्त, सामयिक और दक्ष प्रतिक्रिया दिखाने की दृष्टि से व्यापक प्रावधान किये गये हैं। ये प्रावधान इनसे संबंधित हैं – अनुसंधान और विकास उद्देश्यों के लिए आविष्कारों का उपयोग, अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करना समानान्तर आयात, जनहित में पेटेन्टों को रद्द करना जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा हित भी शामिल हैं तथा जन स्वास्थ्य संबंधी संकटों सहित राष्ट्रीय आपातकाल अथवा अत्यावश्यकता की परिस्थितियों में सरकारी हस्तक्षेप।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग

3938. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित सामान और अन्य मामलों में अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के संबंध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास कार्रवाई का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान आज तक आयोग द्वारा ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा आयोग को अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विशेषकर आयातित सामान के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अधिकार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम०आर० टी०पी०) आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 14 के अनुसार भारत में लाये गए आयातित सामान या अन्य मामलों में अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	मामला संख्या	पार्टियों के नाम
1.	आरटीपीई 1/2001	पूना बोटलिंग कम्पनी लि०, मुम्बई बनाम हिन्दुसतान कोका बेवरेजेज प्रा०लि०, कोका कोला कम्पनी, जोर्जिया, यूएसए और अन्य
2.	आरटीपीई 45/2001	डायरेक्टर जनरल (इन्वेस्टीगेशन एण्ड रजिस्ट्रेशन) बनाम प्लेन्टी लि०, बर्कशायर, यू०के०
3.	आरटीपीई 60/2001	कान्ती बेवरेजेज प्रा०लि०, इन्दौर और अन्य बनाम कोका कोला कम्पनी, जोर्जिया, यू०एस०ए०
4.	आरटीपीई 61/2001	एक्वा मिनरल्स लि०, मुम्बई बनाम हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्रा० लि०, नई दिल्ली, कोका कोला कम्पनी, एटलान्टा, यू०एस०ए०
5.	यूटीपीई 22/2001	ले० कर्नल एम०जी० कपूर, नई दिल्ली बनाम समसुंग इलक्ट्रोनिक्स कम्पनी लि०, सिओल, द० कोरिया और 2 अन्य
6.	यूटीपीई 24/2001	मैक्स एक्सपो इण्डिया, नई दिल्ली बनाम रिले नोव एण्ड गिफ्टस, शारजाह, यू०ए०इ० और अन्य
7.	यूटीपीई 80/2001	ब्राइट स्टार होटल्स प्रा०लि०, नई दिल्ली बनाम कैटरपिलर इंक०, मॉसविले, यू०एस०ए०
8.	सीए 189/2001	शिव नाथ राय हरनारायण (आई) लि०, नई दिल्ली बनाम राइस इंजिनियरिंग सप्लाई कम्पनी लि०, बैंक ऑफ थाईलैण्ड

[हिन्दी]

औषधीय पादप का निर्यात

3939. **श्री वाई०जी० महाजन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय पादप "सैना" का भारत से निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में औषधीय पादप "सैना" का निर्यात किया गया; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) "सैना" नाम का औषधीय पादप भारत सरकार द्वारा रखे जा रहे निर्यात आंकड़ों की सूची में शामिल नहीं है। तथापि, "सेन्ना" के रूप में ज्ञात औषधीय पादप के पत्तों का भारत से निर्यात किया जा रहा है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेन्ना" पत्तियों के भारतीय निर्यातों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :–

	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (फरवरी, 2002 तक)
मात्रा (किग्रा० में)	7466329	7430254	7312918
मूल्य करोड़ रुपए में	22.54	18.40	24.58

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति

3940. **डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमान संबंधी समिति के बारे में 19.7.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 917 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त समिति में कौन-कौन सदस्य हैं और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में व्यापक कार्य नीति पत्र निकालने अथवा जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : (क) से (ङ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों की एक समिति अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रणालियों के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह की संगणना से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच कर रही है। समिति अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संघटकों तथा सहायक आंकड़ा संग्रहण प्रणालियों पर सिफारिश करेगी जिन्हें भारतीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सूचना प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप लाने के लिए अपनाया जाएगा।

त्रिपुरा को विदेशी सहायता

3941. **श्री खगेन दास : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार ने विदेशी सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा विदेशी सहायता मांगी गई है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावों के ब्यौरे तथा उनकी स्थिति इस प्रकार है :–

(i) **त्रिपुरा में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना :** 40 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की प्रस्तावित परियोजना अगस्त, 2002 में जर्मनी को प्रस्तुत की गई है।

(ii) **त्रिपुरा सिंचाई योजनाएं तथा बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्य :** 475.65 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की प्रस्तावित परियोजना मार्च, 2001 में विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। बैंक से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(iii) **ग्रेटर अगरतला का विकास :** ढांचागत सुधार तथा जन-सुविधाएं प्रदान करने हेतु 1148.06 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की प्रस्तावित परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

(iv) **त्रिपुरा कृषि विकास परियोजना :** 403 करोड़ के अनुमानित राशि की प्रस्तावित परियोजना जनवरी, 2000 में विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। बैंक ने कार्यक्रम संबंधी अड़चनों के कारण प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। बैंक से इस प्रस्ताव पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(v) **त्रिपुरा समेकित वानिकी विकास** : 256.23 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की प्रस्तावित परियोजना जुलाई, 2001 में विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थीं। बैंक से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(vi) **गैस आधारित संयुक्त चक्रीय विद्युत परियोजना** : यह प्रस्ताव वर्ष 2002-03 ऋण पैकेज के तहत जे०बी० आई०सी० सहायता हेतु जापान की सरकार को प्रस्तुत किया गया है। जापान की सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम अधिनियम, 1960 में संशोधन

3942. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 को राज्य सरकारों की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए इसमें संशोधन करने हेतु राज्य सरकारों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिनियम में ये संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 में कतिपय संशोधन करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन हेतु एक पत्र प्राप्त हुआ था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) चूंकि किसी केन्द्रीय अधिनियम में संशोधनों के मामलों पर कार्रवाई गृह मंत्रालय में विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय और केन्द्रीय अधिनियम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श से की जाती है, अत: संशोधनों का अनुमोदन हो जाने की कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

बैंक में प्राप्ति संबंधी प्रणाली

3943. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक प्राप्ति संबंधी प्रणाली के दुरुपयोग के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंक प्राप्तियों के संबंध में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने पर जुर्माना तय करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) चैंकों के अस्वीकृत होने के संबंध में निर्धारित अपराध के समान एस०जी०एल० फार्म के भी अस्वीकृत होने को अपराध मानने के लिए लोक ऋण अधिनियम में संशोधन हेतु उचित कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निवेश सीमा में वृद्धि

3944. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश की मौजूदा सीमा में हाल ही में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में यह सीमा बढ़ाई गई है;

(घ) क्या इस सीमा में बढ़ोतरी में पूंजी बाजार को लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ङ) जी, हां। सितम्बर, 2001 में भारतीय कंपनियों को उनके निदेशक मंडल के अनुमोदन और कंपनी के आम निकाय के विशेष संकल्प द्वारा सामान्य सकल पोर्टफोलिया निवेश सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर प्रयोज्य क्षेत्रक उच्चतम स्तरों तक करने की अनुमति दी गई थी। उपर्युक्त उपाय से द्वितीयक बाजार में नकदी के बढ़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

जाली साख पत्र

3945. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली साख पत्र जारी करने का गोरख-धंधा जोरों पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक किसी गिरोह का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जुलाई 2001 से जून 2002 की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए गए एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की धोखाधड़ियों के 69 मामलों में से, चार मामलों में साख पत्रों (एल०सी०) का फर्जी/अप्राधिकृत निर्गम अंतर्ग्रस्त था। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि देश में फर्जी साख-पत्र जारी करने की प्रथा फल फूल रही है। किसी गिरोह का पता नहीं चला है। तथापि, इन चूकों के लिए उत्तरदायी पाए गए बैंक अधिकारियों को निलंबित किया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है।

[अनुवाद]

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

3946. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान में बड़ी मात्रा में खनिजों के पाये जाने के कारण केन्द्र सरकार ने राजस्थान में विशेषकर सूखा प्रवण औद्योगिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिलों में रोजगार के सृजन के लिए छोटे, मंझोले और भारी उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर ऐसे उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु उद्योगों की स्थापना करने के लिए सर्वेक्षण करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दिए गए पैकेज की तरह राजस्थान के सर्वाधिक पिछड़े रेगिस्तानी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेष पैकेज देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। लघु उद्योग मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर जिलों में उन उद्योगों का पता लगाने के लिए एक औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण किया था, जिन्हें इन जिलों में स्थापित किया जा सकता है। पता लगाये गये उद्योगों तथा इनके स्थापना-स्थलों का विवरण निम्नानुसार है :–

(i) बाड़मेर जिला

क्रमांक	उद्योग	स्थान
1.	जिप्सम	बाड़मेर
2.	बेंटोनाइट	बाड़मेर में खनन स्थल
3.	फुल्लर अर्थ	बाड़मेर
4.	सेंड लाइम	बाड़मेर में खनन स्थल
5.	सिलिका सेंड	बालोत्रा तथा बाड़मेर
6.	पत्थर	बाड़मेर, सिवाना, नाकोदा, असोत्रा, मुगंरिया, चोहाटन
7.	ग्रेनाइट	मोकालसर, चोहाटन, धोरीमाना और बाड़मेर
8.	नमक	सावारडा, तरिसरा, रेहाड़ा, कोत्रा और बालोत्रा

(ii) जैसलमेर जिला

क्रमांक	उद्योग	स्थान
1.	सीमेंट	रायगढ़ और सोनू
2.	जिप्सम की पिसाई	नाचना, हमीरा, मोहनगढ़, रामदेवरा, फालसूंड, पोकरन
3.	प्लास्टर ऑफ पेरिस	मोहनगढ़, नाचना, पोकरन, हमीरा, फालसूंड
4.	हाइड्रेटिड लाइम	जैसलमेर, रामगढ़, नाचना
5.	मार्बल चिप्स एंड करेजी	जैसलमेर, अमरसागर, मूलसागर
6.	स्टोन क्रशर	जैसलमेर, नाचना, रामगढ़, पोकरन

(iii) जालौर जिला

क्रमांक	उद्योग	स्थान
1.	ग्रेनाइट मार्बल टाइल	जालौर, बिशनगढ़, सांचोर
2.	ग्रेनाइट स्लेब	जालौर
3.	जिप्सम पाउडर	सांचोर

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

पेंशन क्षेत्र में सुधार

3947. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मई, 2002 के ''दैनिक जागरण'' की पृष्ठ संख्या 7 पर ''ई०पी०एफ०ओ० ने प्रसारित पेंशन सुधारों पर नाराजगी जताई'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार पेंशन सुधार के मसले पर सभी सम्बद्ध पक्षों से बातचीत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) सरकार उक्त समाचार से अवगत है, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई०पी० एफ०ओ०) ने वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा (ओएसिस) की रिपोर्ट और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) की रिपोर्ट में सिफारिश किए गए पेंशन संबंधी सुधारों के बारे में कुछ आपत्ति की है। ई०पी०एफ०ओ० ने सूचित किया है कि इसकी मुख्य चिंता असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई परिभाषित अंशदान योजना स्थापित करने की विनियामक और प्रशासनिक लागतों से सम्बद्ध है।

(ग) से (ङ) बजट, 2001-2002 में सरकार की घोषणा के अनुसरण में ''इरडा'' ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र में पेंशन संबंधी सुधार कार्यान्वित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है। सरकार ने मंत्री दल के माध्यम से ''इरडा'' की रिपोर्ट की समीक्षा प्रारम्भ की है।

[हिन्दी]

एस०टी०सी० में घपलेबाजी

3948. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चंद्रनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयल के घोटाले में राज्य व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों के लिप्त होने की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप एस०टी०सी० को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में लिप्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार किया गया है; और

(घ) भविष्य में ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रमुख शास्ति कार्रवाइयों के लिए 13 प्रबन्धकों को आरोप-पत्र जारी किए गए हैं। इन मामलों में जांच करने के लिए विभागीय जांच आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को नियुक्त किया गया है। मूल सूचना के आधार पर सीबीआई, भोपाल ने भोपाल शाखा के 7 अधिकारियों के विरुद्ध चार नियमित मामले (आर०सी०) दर्ज किए हैं।

(घ) राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) ने अपनी शाखाओं द्वारा शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन के प्रयोग और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निष्कर्षण की कीमतों में गिरावट के बावजूद बीजों की अधिक खरीद को देखते हुए उस समय तक कोई व्यापार न करने के विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं जब तक घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें समान न हो जाएं। एस०टी०सी० ने निष्कर्षण प्रचालनों को भी स्थगित कर दिया। अन्य किसी और हानि की संभावना को रोकने के लिए एस०टी०सी० प्रबन्धकों द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए थे। प्राप्त हुए अनुभव के मद्देनजर एस०टी०सी० ने वर्ष 2000-2001 में उपयुक्त समय में तेल निष्कर्षण का कार्य पुन: शुरू किया और 15.45 करोड़ रुपए की तेल रहित खली का निर्यात करके 12• लाख रुपए का व्यापारिक लाभ अर्जित किया।

पामोलीन तेल का आयात

3949. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोग देश में पामोलीन तेल की कमी के कारण कठिनाई महसूस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से इस तेल का आयात किया जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा में पामोलीन तेल का आयात किया गया और उसका मूल्य कितना था;

(ग) क्या जिन देशों से पामोलीन तेल का आयात किया जाता है उन देशों ने पामोलीन तेल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार उन देशों से मूल्य कम करने के लिए बातचीत कर रही है ताकिं खाना पकाने के इस सस्ते माध्यम की घरेलू खपत पूरी की जा सके; और

(ङ) पामोलीन तेल के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात ध्यान में रखते हुए पामोलीन तेल सहित खाद्य तेलों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमति दी है। उद्योगों के स्रोतों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) में आरबीडी पामोलीन, क्रूड पाम तेल और क्रूड ओलीम का आयात निम्नानुसार हुआ है :–

तेल वर्ष	आरबीडी पामोलीन	क्रूड पामोलीन	क्रूड ओलीम
1998-1999	26,76,712	–	–
1999-2000	22,13,177	8,28,359	–
2000-2001	15,16,688	14,04,723	32,877

वर्तमान तेल वर्ष के दौरान नवम्बर, 2001 से जून, 2002 तक आयात की गयी मात्रा निम्नलिखित होने की सूचना प्राप्त हुई है :–

आरबीडी पामोलीन	1,18,895
क्रूड पाम तेल	13,42,324
क्रूड ओलीम	4,35,657

(ग) और (घ) पिछले 3 महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पामोलीन सहित लगभग सभी खाद्य तेलों के मूल्य 14 से 22 प्रतिशत तक बढ़े हैं।

(ङ) पाम तेल के लिए स्रोत सामग्री ऑयल पाम और इस प्रकार पामोलीन की पैदावार विकास की अवस्था में है। आयल पाम के विकास के लिए सरकार ने आयल पाम विकास कार्यक्रम शुरू किया है।

खाद्य विकास कोष

3950. श्री सुकदेव पासवान : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास खाद्य विकास कोष गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य तेल के मूल्य

3951. श्रीमती डी०एम० विजया कुमारी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में सभी खाद्य तेलों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) विगत छः महीनों के दौरान प्रमुख खाद्य तेलों के थोक मूल्यों में मूल्य वृद्धि नीचे दी गई है :–

(मूल्य रुपये प्रति क्विंटल में)

तेल का नाम	30.1.02 की स्थिति के अनुसार मूल्य	30.7.02 की स्थिति के अनुसार मूल्य	30.1.02 से परिवर्तन की प्रतिशतता
सरसों का तेल	2910	3700	+27.15
मूंगफली का तेल	3630	4470	+23.15
सोयाबीन का तेल	3040	3550	+16.78
सूरजमुखी का तेल	4000	4700	+17.50
तिल का तेल	3250	3750	+15.38
बिनौला का तेल	3000	3750	+25.00
नारियल का तेल	3650	4600	+26.03
चावल की भूसी का तेल	2450	3150	+28.57
वनस्पति (15 लिटर पैक)	515	625	+21.36

(ग) खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि, घरेलू तिलहनों के उत्पादन में कमी, पाम तेल के उत्पादों के प्रशुल्क, मूल्य में वृद्धि आदि हैं।

(घ) उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए कुछ किए गए/प्रस्तावित उपाय हैं :–

(i) खुले सामान्य लाइसेंस पर खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी गई है।

(ii) खाद्य तेलों के आयात शुल्क ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(iii) सरकार देश में खाद्य तेलों के मूल्यों और उपलब्धता की स्थिति पर नजर रख रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड

3952. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडलीय समूह ने किसानों को उर्वरक संबंधी राजसहायता वाले कूपन जारी करने या किसान क्रेडिट कार्ड पर नकद राजसहायता मुहैया कराने के प्रस्ताव पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रिमंडलीय समूह द्वारा इस संबंध में किसी अंतिम निर्णय पर विचार किया गया है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विस्फोटकों का उत्पादन और उनका विक्रय

3953. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में विस्फोटकों और उनसे संबंधित उत्पादों का राज्यवार कुल कितना उत्पादन और विक्रय हुआ;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु में इसके थोक/खुदरा विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में विस्फोटक विक्रेताओं की सूची क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनकी बिक्री की कुल मात्रा और मूल्य कितना था ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अ०जा० सूची में परिवर्तित ईसाई

3954. **योगी आदित्यनाथ :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है जिन्होंने ईसाई/इस्लाम धर्म को अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों को शामिल करने के मुद्दे की जांच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और भारत के महारजिस्ट्रार के परामर्श से की गई है और उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना संभव नहीं पाया गया है। उन अनुसूचित जातियों को शामिल करने के संबंध में जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया है, यह मामला प्रक्रियाधीन है और इसके लिए अनेक एजेंसियों से परामर्श की आवश्यकता होगी। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना एक मानदंड नहीं है।

अनुसंधान और विकास संबंधी ढांचे की आवश्यकता

3955. **श्री सईदुज्जमा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निर्यात पर निर्भर रहने वाली कुछ अन्य बड़ी कंपनियों को छोड़कर हमारे उद्योग के पास विकास और प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी अनुसंधान और विकास संबंधी ढांचा बहुत ही कम है;

(ख) क्या भारतीय उद्योग को हमारे अनुसंधान और विकास संबंधी संस्थाओं विशेषकर सरकारी धन से चलने वाली आई०सी० एन०आर०, आई०सी०एम०आर० और सी०एस०आई०आर० और अन्य एजेंसियों में बहुत कम विश्वास और भरोसा है;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में अनुसंधान और विकास संबंधी हमारे बड़े-बड़े संस्थानों से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय परिणाम सामने आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख ब्यौरा क्या है और इनका औद्योगिक उपयोग क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : (क) से (ङ) उद्योग में सरकार से मान्यता प्राप्त 1170 से अधिक आन्तरिक अनुसंधान और विकास इकाइयां हैं जो उत्पादों तथा प्रक्रियाओं दोनों के लिए अनुसंधान और विकास के कार्यों में लगी हुई हैं और स्थानीय बाजार व निर्यात दोनों ही इनके लक्ष्य हैं। नयी प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं और उत्पादों के विकास एवं प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए आई०सी०ए०आर०, आई०सी०एम०आर०, सी०एस० आई०आर०, अदि के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त संस्था-उद्योग संपर्क बनाये रखती हैं। सरकार उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन भी देती है।

सरकारी अनुसंधान और विकास सुविधाएं उद्योग से निरंतर संपर्क करती रहती हैं और ज्ञान के नये आधार के सृजन, प्रौद्योगिकीयों के लाइसेंसीकरण, संविदा के आधार पर अनुसंधान और विकास/परामर्श कार्य के निष्पादन, आदि के रूप में योगदान देती हैं। इस प्रकार की अनेक प्रक्रियाओं और उत्पादों का उद्योग और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए भारतीय उद्योग द्वारा वाणिज्यीकरण कर दिया गया है। जिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान के परिणाम उद्योगों को उपलब्ध कराये गये हैं तथा जिनका प्रयोग उन्होंने किया है उनमें फसल के पौधों की संकर किस्में, फसल की कटाई के उपरांत की प्रौद्योगिकी, आदि शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

3956. श्री अधीर चौधरी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने दलालों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करते समय अधिकतम सीमा (थ्रेशोल्ड लिमिट) को पार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के निवेश पोर्टफोलियो की मई, 2002 के दौरान की गई द्रुत संवीक्षा से पता चला था कि बैंक द्वारा एक वर्ष के दौरान कुल लेनदेनों की 5.1 की दलाल वार उच्चतम सीमा को कई बार पार किया गया था क्योंकि केवल 10 अनुमोदित दलाल थे। तथापि, इसके परिणामस्वरूप बैंक को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन करने संबंधी स्थायी दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन करने के लिए बैंकों को अपने अनुदेश दुबारा दिए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बचत संगठन का कार्यालय

3957. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय बचत संगठन (एन०एस०ओ०) के कार्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) एन०एस०ओ० के ऐसे कार्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें बंद किए जाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं;

(ग) इस तरह इन्हें बन्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की पुनः तैनाती/स्थानांतरण किस तरह किया जाएगा ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) राष्ट्रीय बचत संगठन (एन०एस०ओ०) को कार्यालयों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) व्यय सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय बचत संगठन को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित नए संगठन में नागपुर में मुख्यालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, दिल्ली, चंडीगढ़ और अहमदाबाद में क्षेत्रीय केन्द्र सहित लगभग 110 व्यक्तियों की कुल संख्या होगी। पुनर्गठन कार्य के भाग के रूप में राष्ट्रीय बचत संगठन के मौजूदा कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) स्वीकार करने का विकल्प दिया गया है। उनमें से, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं देते हैं, लगभग 110 कर्मचारियों को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता आधार पर रखा जाएगा और शेष कर्मचारियों को अन्य सरकारी कार्यालयों में पुनः तैनाती के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती प्रभाग में स्थानान्तरित किया जाएगा।

विवरण

देश में राष्ट्रीय बचत संगठन के कार्यालयों की राज्य-वार संख्या

केन्द्रीय कार्यालय	1
क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	27
उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या :	135

राज्य का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय	उप-क्षेत्रीय कार्यालय
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1	9
असम	1	3
मणिपुर	1	–
मेघालय	1	–
त्रिपुरा	1	–
मिजोरम	–	1
नागालैण्ड	–	1
अरुणाचल प्रदेश	–	1
बिहार	1	10

1	2	3
दिल्ली	1	4
गोवा	1	1
गुजरात	1	7
हरियाणा	1	4
हिमाचल प्रदेश	1	4
जम्मू और कश्मीर	1	3
कर्नाटक	1	8
केरल	1	6
मध्य प्रदेश	2	12
महाराष्ट्र	3	12
उड़ीसा	1	5
पंजाब	1	6
राजस्थान	1	6
तमिलनाडु	1	8
पांडिचेरी	1	—
उत्तर प्रदेश	2	13
पश्चिम बंगाल	1	11
जोड़	27	135

नागपुर केन्द्रीय कार्यालय — 1

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में सामाजिक जागरुकता कार्यक्रम

3958. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में विभिन्न सामाजिक जागरुकता कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जिलावार कितना धन निर्गत किया गया;

(घ) इस संबंध में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3959. श्री बी० वेंकटेस्वरलु : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् के सहयोग से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक प्रायोगिक परियोजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002-2003 के दौरान इसके लिए कितना बजट आवंटन किया गया ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कारों और मोटरबाइकों का निर्यात

3960. श्री रामजीलाल सुमन :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में कारों और मोटरबाइकों के निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष से कितनी कार और बाइक निर्यात की गई;

(ग) ऐसे निर्यात की वर्षवार प्रतिशतता क्या है और इनका कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान उत्पादित तथा निर्यातित मोटरबाइकों समेत कारों एवं दुपहिया वाहनों की कुल संख्या और अर्जित कुल विदेशी मुद्रा की राशि (भारतीय रुपये के समकक्ष) निम्नानुसार हैं :—

कारें

वर्ष	उत्पादन संख्या (स्रोत: एस आईएएम*)	निर्यात संख्या (स्रोत: डीजीसी आई एण्ड एस**)	निर्यात का %	निर्यातों का मूल्य करोड़ रुपए में (स्रोत: डीजी सीआई एण्ड एस)
1999-2000	577347	21810	3.77	418.71
2000-2001	513415	23073	4.49	466.19
2001-2002 (अप्रैल-फरवरी)	499907	12498	2.50	262.12

मोटरबाइकों समेत दुपहिया वाहन

वर्ष	उत्पादन संख्या (स्रोत: एस आईएएम*)	निर्यात संख्या (स्रोत: डीजीसी आई एण्ड एस**)	निर्यात का %	निर्यातों का मूल्य करोड़ रुपए में (स्रोत: डीजी सीआई एण्ड एस)
1999-2000	3778011	54379	1.44	133.19
2000-2001	3758518	100417	2.67	226.34
2001-2002 (अप्रैल-फरवरी)	3929321	87216	2.22	229.29

*एसआईएएम : भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी।

**डीजीसीआई एण्ड एस : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय।

[अनुवाद]

दक्षिण और मध्य एशियाई बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग

3961. **श्री अशोक ना० मोहोल :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण और मध्य एशियाई बाजारों में भारत में निर्मित इलेक्ट्रानिक माल, वस्त्र और सिले-सिलायें वस्त्रों की मांग दिन प्रतिदिन घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अपनी मूल स्थिति पुन: प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) वर्ष 2001-2002 में दक्षिण और केन्द्रीय एशियाई बाजारों को हुए भारतीय इलेक्ट्रानिक माल के निर्यातों में वर्ष 2000-2001 में हुए निर्यातों की तुलना में वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2000-2001 में हुए निर्यातों की तुलना में वर्ष 2001-2002 में इन बाजारों को हुए भारतीय वस्त्र के निर्यातों में कमी आई है।

(ख) इलेक्ट्रानिक माल और वस्त्र उत्पादों के निर्यातों के मद-वार/देश-वार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस), कोलकाता द्वारा निकाले गए प्रकाशनों में उपलब्ध हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

वर्ष 2001-2002 के दौरान वस्त्रों के निर्यातों में गिरावट मुख्यत: यू०एस०ए० जैसे भारत के कुछेक प्रमुख महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों की अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त सामान्य मन्दी के कारण आई जिसमें 11 सितम्बर के हमलों के कारण और वृद्धि हो गयी थी। ऐसा चीन, बंगलादेश आदि जैसी पड़ौसी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने के कारण भी हुआ है।

(ग) सरकार ने वस्त्र निर्यातों में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :–

(i) सरकार ने एस०एस०आई० क्षेत्र से रेडिमेड वस्त्रों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है।

(ii) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 1 अप्रैल, 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी०यू०एफ० एस०) चालू कर दी गई है।

(iii) टी०यू०एफ०एस० में शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और गारमेंट मशीनों के लिए 50% की दर से अधिक मूल्य ह्रास की सुविधा दी गई है। मशीनों की लागत आर्थिक नीतिगत उपायों के जरिए भी कम की गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(iv) अविकसित क्षेत्रों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शटलरहित करघों पर सीमाशुल्क 5% किया गया है। वर्ष 2000 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटलरहित करघे लगाने और 2.5 लाख पावरलूमों को आधुनिक बनाने की घोषणा भी की गई है।

(v) कुछ अपवादों सहित वस्त्र क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति दी गई है।

(vi) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी छह शाखाएं और अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर्स वस्त्र उद्योग की विशेषत: परिधान क्षेत्र की डिजाइन, पण्य व्यापार और विपणन क्षेत्र

में कुशल जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(vii) वस्त्र उद्योग को पारिस्थितिकी जांच प्रयोगशालाओं के रूप में सुविधाएं प्रदान करके आयातक देशों की पारिस्थितिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है और उसे इस बारे में जानकार बनाया जा रहा है।

अखबारी कागज पर पाटनरोधी शुल्क

3962. **श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में अखबारी कागजों की आई बाढ़ पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने का कोई निर्णय किया है जिससे कि भारतीय अखबारी कागज विनिर्माताओं के आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय को कब से लागू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) चूंकि किसी देश से अखबारी कागज के आयात पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है, इसलिए इसमें वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता।

अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आबंटन

3963. **डा० जयन्त रंगपी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को कितना आबंटन किया गया; और

(ख) उपयोजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें इस तरह आबंटित की गई धनराशि का उपयोग किया गया ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दसवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1999-2000 और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2000-01 तथा 2001-2002 के लिए राज्यों को अनुदानों के आबंटनों के ब्यौरे और इनके अंतर्गत जारी की गई धनराशियां निम्नवत हैं :--

(करोड़ रुपए में)

स्कीम	1999-00		2000-01		2001-02	
	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी
गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान	–	–	8630.70	8630.70	6122.46	6122.46
प्रोत्साहन निधि से अनुदान	–	–	2121.54	–	2121.54	1456.57
स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्याओं के लिए अनुदान	652.13	800.00	2000.00	754.94	1000.00	1183.54
स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1345.24	1623.65	2000.00	762.47	2000.00	2530.08
आपदा राहत निधि में केन्द्र की हिस्सेदारी	1038.44	983.71	1494.07	1430.74	1568.76	1498.56

नोट : जारी किए गए आंकड़ों में पिछले वर्षों का बकाया भी शामिल हो सकता है।

इन अनुदानों की उपयोगिता के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ये धनराशियां कुछ शर्तों को पूरा किए जाने पर निर्भर हैं। तथापि, गैर-योजना राजस्व घाटा चूंकि निर्मुक्त अनुदान है, अत: इन्हें बिना किसी पूर्व शर्त के जारी किया जाता है।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों के विकास के लिए धन

3964. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री पदमसेन चौधरी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पिछड़े जिलों के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के समक्ष कोई शर्तें रखी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) राज्य के भीतर किसी भी एक क्षेत्र की आयोजना तथा विकास और इस प्रयोजन के लिए निधियों का आबंटन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त आयोगों के अधिनिर्णय के अंतर्गत, राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के निर्गमन तथा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत सहायता आदि जारी करके अपने विकास

की दिशा में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अनुपूरक सहायता प्रदान की जाती है।

अपने अधिनिर्णय का निर्धारण करते समय वित आयोग द्वारा राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाता है। राज्य योजनाओं के लिए सहायता का आवंटन गाडगिल मुखर्जी फार्मूले पर आधारित है, जिसमें अस्सी प्रतिशत महत्व जनसंख्या और राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति आय को दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्र सरकार ने जय प्रकाश रोजगार योजना नामक एक नई स्कीम घोषित की है, जिसमें देश के सबसे अधिक आपदाग्रस्त जिलों में बेरोजगारों को रोजगार की गारन्टी दी गई है। राज्य सरकारें, राज्य के भीतर पिछड़े हुए जिलों में जीवन स्तर की गुणता में सुधार लाने के लिए गरीबी उन्मूलन, अवसंरचना विकास और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध सहायता का इस्तेमाल कर सकती हैं।

[अनुवाद]

निगमित क्षेत्र द्वारा बैंकों के साथ गैर-उत्पादक आस्तियों (एन०पी०ए०) का सृजन

3965. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 10 जुलाई, 2002 को व्यापार और उद्योग संबंधी परामर्शदात्री परिषद की बैठक के दौरान सरकार ने उद्योग और व्यापार से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को निगमों के अनुचित आचरण के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ गैर-उत्पादक आस्तियां बनाने के विरुद्ध और छोटे स्वदेशी उत्पादकों को बाध्य करके उनके कारोबार बंद करवाकर बड़े उद्यमियों विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समर्थन में एकाधिकार की रचना के विरुद्ध चेतावनी दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अनुचित आचरण को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गन्ना संबंधी अनुसंधान और विकास गतिविधियां

3966. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**
श्री के० येरननायडू :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से गन्ना संबंधी अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए संचित चीनी उपकर निधि में 50 प्रतिशत आबंटन का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध चीनी उपकर निधि में जमा हुई राशि के 50 प्रतिशत का आबंटन राज्य में गन्ना अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में कर दिया जाए।

(ग) सरकार ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया। यह स्पष्ट किया गया था कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की शर्तों के अनुसार चीनी उपकर अधिनियम के अधीन लिया गया और एकत्र किया गया उपकर उसमें से उसे एकत्र करने की लागत घटाकर संसद द्वारा विधिवत नियोजन करने के बाद चीनी विकास निधि में जमा करना अपेक्षित होता है और इस निधि का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ चीनी उद्योग के साथ जुड़े स्थापित संस्थानों को अनुदान देने के लिए किया जाता है ताकि वे गन्ने सहित चीनी उद्योग के किसी भी पहलू के प्रोन्नयन और विकास के लिए अनुसंधान कर सकें।

चीनी विकास निधि अधिनियम में राज्य स्तर पर अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को चीनी उपकर का आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, राज्य स्तर के अनुसंधान संस्थानों सहित किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा चलाई जाने वाली चीनी उद्योग के विकास की अनुसंधान परियोजनाएं अनुदान प्राप्त करने पर विचार किए जाने की पात्र होती हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के अन्तर्गत आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं

3967. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जे०एस० बराड़ :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों को उनके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का कोटा बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उपभोक्ता वस्तुवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने कोटे में उक्त वृद्धि के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्य गत 6 महीनों से खाद्य वस्तुओं से वंचित हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जमाखोर राज्यों में व्याप्त इस स्थिति का अनुचित लाभ न उठाएं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) 2001-2002 के दौरान सूखा/बाढ़ प्रभावित राज्यों को उनके अनुरोध पर तीन माह की अवधि के लिए **गरीबी** रेखा से नीचे के दरों पर खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का **विशेष** अतिरिक्त आवंटन किया गया था ताकि वे 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर सभी सूखा/बाढ़ प्रभावित परिवारों को इनका वितरण कर सकें। 2001-2002 के दौरान दिया गया खाद्यान्नों का राज्यवार अतिरिक्त आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा, जनवरी, 2001 से मई, 2002 तक की अवधि के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम/संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन 57,44,953 टन खाद्यान्न मुफ्त आवंटित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पिछले 6 माह के दौरान किए गए 11.66 लाख टन खाद्यान्नों के आवंटन के प्रति राज्य सरकारों ने केवल 6.33 लाख टन का उठान किया है।

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तियां बनाए रखने, उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए 31.8.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश) अधिसूचित किया गया है।

विवरण

अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 के दौरान आपदा राहत (बाढ़/सूखा) हेतु निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का विशेष अतिरिक्त आवंटन किया गया

(आंकड़े टन में)

क्रमांक	राज्य	चावल	गेहूं	जोड़	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,90,560	—	4,90,560	सूखा राहत
2.	बिहार	—	1,80,000	1,80,000	बाढ़ राहत
3.	गुजरात	81,765	2,45,292	3,27,057	सूखा राहत
4.	हिमाचल प्रदेश	1,19,250	30,000	1,49,250	सूखा राहत
5.	मध्य प्रदेश	29,437	91,844	1,21,281	सूखा राहत
6.	महाराष्ट्र	1,64,456	3,28,912	4,93,368	सूखा राहत
7.	राजस्थान	—	3,70,665	3,70,665	सूखा राहत
	जोड़	8,85,468	12,46,713	21,32,181	

[अनुवाद]

वस्तुओं की पैकिंग

3968. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विपणन किये जा रहे विभिन्न खाद्य उत्पादों/औषधियों/अन्य वस्तुओं के विशिष्ट भार/मात्रा की पैकिंग के लिए दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पादवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह देखने के लिए कोई तंत्र है कि विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार किया गया है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 की तीसरी अनुसूची में खाद्य उत्पादों सहित कतिपय वस्तुओं को बाट, माप अथवा संख्या के रूप में ऐसी मात्राओं में पैकिंग अपेक्षित है जो उसमें विनिर्दिष्ट की गई हो। अनुसूची की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। जहां तक औषधियों का प्रश्न है, इस संबंध में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रावधान है।

(ग) और (घ) नियमों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र द्वारा लागू किया जाता है। नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमें चलाए जाते हैं।

विवरण

तीसरी अनुसूची

निशिप्ट मात्राओं में पैक की गई वस्तुएं

निम्नलिखित वस्तुएं केवल ऐसे वजन, मात्रा या संख्या के अनुसार पैक की जाएंगी जो उनके सामने दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं

क्रम संख्या	वस्तुएं	कितनी मात्रा पैक की जाएगी	
1	2	3	
1.	बाल आहार	200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम।	कोई विनिर्माता या पैकर जो बाल आहार को 400 ग्राम में और छोटे बच्चों के आहार को 500 ग्राम में पैक करता है, को इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के बाद ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2.	छोटे बच्चे का आहार	200 ग्राम, 400 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम।	
3.	बिस्कुट	25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम और तत्पश्चात् 100 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक के गुणजों में।	
4.	ब्रेड जिसमें ब्राउन ब्रेड भी सम्मिलित है किन्तु बन सम्मिलित नहीं है।	100 ग्राम और तत्पश्चात् 100 ग्राम के गुणजों में।	
5.	मक्खन और मार्जरीन	25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 कि०ग्रा०, 2 कि०ग्रा०, 5 कि०ग्रा० और उसके गुणजों में।	
6.	अनाज और दाल	100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में।	
7.	काफी	25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणजों में।	
8.	चाय	25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणजों में।	
9.	सामग्री जिसको पेय के रूप में बनाया जा सकता हो।	25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणजों में।	
10.	खाद्य तेल, वनस्पति, घी, मक्खन तेल	50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में। यदि शुद्ध मात्रा आयतन में घोषित की जाए तो वही मात्रा यथास्थिति, मिलीलीटरों या लीटरों में। यदि शुद्ध मात्रा आयतन में घोषित की जाती है तो द्रव्य के अनुसार समकक्ष मात्रा उसी आकर के शब्दों/अंकों में कोष्ठक में घोषित की जाए।	
11.	हटा दिया गया है।		
12.	दुग्ध चूर्ण	50 ग्राम से कम में कोई प्रतिबंध नहीं है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात् 500 ग्राम के गुणजों में।	
13.	छोड़ दिया गया है।		
14.	साबुनरहित अपमार्जक (चूर्ण)	50 ग्राम से कम में प्रतिबंध नहीं है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम 2 किलोग्राम और तत्पश्चात् 1 किलोग्राम के गुणजों में।	
15.	चावल (पीसा हुआ), मैदा, आटा, रवा और सूजी	100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में।	
16.	नमक	50 ग्राम से कम 10 ग्राम के गुणजों में, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में।	
17.	साबुन		
(क)	कपड़े धोने का साबुन	50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम और तत्पश्चात् 50 ग्राम के गुणजों में।	

1	2	3
(ख)	साबुनरहित अपमार्जक टिकियां/बार	50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम और तत्पश्चात् 100 ग्राम के गुणजों में।
(ग)	सभी प्रकार के नहाने के साबुन (टिकिया) सहित प्रसाधन	25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम, और तत्पश्चात 50 ग्राम के गुणजों में।
18.	वातित हल्का पेय और अनम्लीय पेय	100 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 330 (केवल कैन में), 500 मिलीलीटर,, 750 मिलीलीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर।
18(क)	मिनरल जल और पेय जल	100 मिलीलीटर, 130 मिलीलीटर*, 150 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 330 मिलीलीटर*, 500 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर*, 750 मिलीलीटर, 1 लीटर, 1.2 लीटर*, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर।
	(*130 मिलीलीटर, 330 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर और 1.2 लीटर के आकार को अधिसूचना की तिथि से केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी।)	
19.	थैले में सीमेंट	1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 50 किलोग्राम।
20.	पेन्ट, वार्निश आदि	
(क)	पेंट (पेस्ट पेंट या ड्राई पेंट के अलावा) वार्निश, वार्निश स्टेन, इनामेल।	50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर और तत्पश्चात 5 लीटर के गुणजों में।
(ख)	पेस्ट पेन्ट और ड्राई पेन्ट	500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और तत्पश्चात् 5 किलोग्राम के गुणजों में।

लघु विद्युतकरघा मालिकों के हितों की रक्षा के लिए वस्त्र नीति

3969. **श्रीमती श्यामा सिंह : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा राष्ट्रीय वस्त्र नीति में अनेक परिवर्तन करने का है जिससे देश के छोटे विद्युतकरघा मालिकों के हितों की रक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो उन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार मौजूदा वस्त्र नीति में लाना चाहती है;

(ग) क्या बड़ी मिलें सरकार द्वारा विद्युतकरघा क्षेत्र को आवंटित यार्न कोटे का दुरुपयोग कर रही हैं और विद्युतकरघा मालिकों के हितों की कोई उचित सुरक्षा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विद्युतकरघा मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) यह मानते हुए कि विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही प्रमुख समस्याएं मुख्यत: प्रौद्योगिकीय अप्रचलितता; खंड के साथ एककों का छोटा आकार; ऋण उपलब्धता की कमी; खराब विपणन क्षमता; और खराब गुणवत्ता जागरुकता के साथ निम्न स्तर का कौशल है राष्ट्रीय वस्त्र नीति का प्रस्ताव उत्पादन का अधिकतम स्तर प्राप्त करने के लिए सुविधाओं को मिलाकर अपने प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर ध्यान देना है। यह कामगारों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण और परीक्षण सुविधाओं और कल्याण योजनाओं की आवश्यकता पर बल देती है।

नीति के अनुसरण में, सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किये हैं :

(1) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) के माध्यम से प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के साथ विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटलरहित, और 2.5 लाख अर्द्ध-स्वचालित और स्वचालित करघों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम;

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) जिसके अंतर्गत विद्युतकरघा उद्योग सहित वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु पूंजी प्राप्त करने की लागत कम की गयी है;

(3) विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पी०एस०सी०) का उनके करघों के उन्नयन द्वारा आधुनिकीकरण ताकि विद्युतकरघा कामगारों को आधुनिकीकृत उपकरणों को चलाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल प्रदान किया जा सके; और

(4) विद्युतकरघा उत्पादन में डिजाइन इनपुट के माध्यम से मूल्यवर्द्धन प्रदान करने के लिए विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों में कंम्प्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्र।

इसके अतिरिक्त, बीमा प्रदान करने के लिए कल्याण योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) विकेन्द्रीकृत विद्युतकरण क्षेत्र के लिए कोई यार्न कोटा अथवा यार्न आबंटन नहीं है।

तंबाकू उद्योग की समस्याएं

3970. **डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :**
श्री पी०आर० किन्दिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/तंबाकू बोर्ड ने तंबाकू उद्योग की समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और उक्त समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या तंबाकू बोर्ड इस वर्ष नए विश्व बाजारों को निर्यात करके अपने निर्यात आधार का विस्तार करने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से देशों के बाजारों में भारतीय तंबाकू उपलब्ध होगा;

(ङ) इस वर्ष और अगले तीन वर्षों के दौरान तंबाकू के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(च) कच्चे तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के निर्यात से अनुमानत: प्रत्येक देश से कुल कितनी आय प्राप्त होगी;

(छ) गत वर्ष गुणवत्ता और मूल्य के संदर्भ में निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ज) आगामी वर्षों में तम्बाकू उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अन्य कौन कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) तंबाकू बोर्ड जो तंबाकू उद्योग की समस्याओं का निरंतर अध्ययन करता है, ने अन्तर्राष्ट्रीय धुम्रपान-रोधी अभियान के प्रभाव और भारतीय तंबाकू की मांग के संबंध में चीन, ब्राजील और जिम्बाब्वे जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि तथा हाल के वर्षों में अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति का इस क्षेत्र की मुख्य समस्याओं के रूप में पता लगाया है। विदेशी बाजारों में भारतीय तंबाकू की मांग में कमी की समस्या पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू प्रदर्शनियों और मेलों में सहभागिता, अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क माध्यम में विज्ञापन अभियान और तंबाकू के महत्वपूर्ण आयातक राष्ट्रों को व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को भेजने और बुलाने जैसे उपाय किए गए हैं। उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत तंबाकू की बिक्री पर जुर्माने में बढ़ोतरी करने का आशय अधिक उत्पादन की समस्या का निदान करना है।

(ग) और (घ) तंबाकू बोर्ड ने ऐसे कुछेक नए बाजारों का पता लगाया है जहां भारतीय तंबाकू का निर्यात करने की संभावना है। इनमें अन्य देशों के साथ-साथ तुर्की, रूमानिया, बुल्गारिया, स्पेन आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) सभी कृषि वस्तुओं की तरह तंबाकू का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटकों पर निर्भर है। इसलिए पिछली प्रवृतियों पर आधारित निर्यातों के अनुमान प्राकलन स्वरूप के होते हैं। यह अनुमान है कि वर्ष 2002-2003 में भारत से निर्यात किए जाने वाले अविनिर्मित तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का मूल्य लगभग 200 मिलियन अमरीकी डालर होगा।

(छ) वर्ष 2001-02 में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के निर्यात में 2000-01 की तुलना में रुपए के अनुसार 2% की कमी हुई। अप्रैल-जून 2002 तक की अवधि में 2001 की इसी अवधि की तुलना में निर्यातों में 1% की वृद्धि हुई।

(ज) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित निर्यात संवर्धन उपाय किए जाते रहेंगे।

[हिन्दी]

पंचायती राज के लिए धनराशि

3971. **श्री राजो सिंह** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें वित्त आयोग ने बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए उक्त राज्य के लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या आबंटित की गई सभी निधियां उक्त राज्य को जारी कर दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा शेष धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (च) दसवें वित्त आयोग (टी०एफ०सी०) ने वर्ष 1996-97 से वर्ष 1999-2000 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पी०आर०आईज०) के लिए बिहार को कुल 507.19 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य सरकार को 126.80 करोड़ रुपए की पी०आर०आई० अनुदान राशि जारी की जा चुकी है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टी०एफ०सी० द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकाय अनुदान, अपरिहार्य चुनावों के साथ स्थानीय

निकायों को राज्यों द्वारा अन्तरित किए जाने वाले कार्यों और उत्तरदायित्वों को बृहत्तर संवैधानिक स्कीम का एक हिस्सा था ताकि वे स्थानीय स्व शासन की एक प्रभावी इकाई के तौर पर कार्य कर सकें। अतएव अनुदान केवल उन्हीं चुने हुए स्थानीय निकायों के संबंध में जारी किए जाने थे जहां संविधान के तहत ऐसे चुनाव अपरिहार्य हों। चूंकि बिहार में पी०आर०आई०ज० के चुनाव टी०एफ०सी० की नियत अवधि 1995-2000 में नहीं हो सके थे, अतएव टी०एफ०सी० की बकाया अनुदान राशि राज्य सरकार को जारी नहीं की जा सकी। किसी भी वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों की हकदारी उसकी अनुशंसा अवधि खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाती है।

[अनुवाद]

वस्त्र कार्य दल की रिपोर्ट

3972. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के मामले में विश्व व्यापार संगठन और अन्य व्यापार साझेदारों के साथ बातचीत करने के लिए गठित किये गये दो कार्य दलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इन रिपोर्टों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) वस्त्र आयुक्त ने बाजार प्रवेश संबंधी वार्ताओं के लिए दृष्टिकोण पातपादित करने के लिए वस्त्र उद्योग के विविध क्षेत्रों के विचारों को सामने लाने के लिए दो समूहों नामत: (1) फाइबर, यार्न, मे तथा प्रसंस्कृत फैब्रिक व मेड अप्स, (2) निटवियर सहित सिल सिलाए परिधान, का गठन किया है। समूहों ने अभी अपनी रिपोर्ट वस्त्र आयुक्त को नहीं सौंपी है।

राज्य वित्त निगम का पुनर्गठन

3973. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से गुप्ता समिति की रिपोर्ट के अनुसार राज्य वित्त निगमों के पूंजीगत पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य वित्त निगमों (एस०एफ०सी०) के पुनपूंजीकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में गुप्ता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करें। गुप्ता समिति ने अनुमान लगाया था कि एस० एफ०सी० के पुनर्पूंजीकरण के लिए 3,600 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और सिफारिश की थी कि पुनर्पूंजीकरण की लागत केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, आई०डी०बी०आई०, सिडबी और राज्य सरकारों द्वारा दी जाए।

(ग) गुप्ता समिति ने राज्य वित्त निगमों के वित्तीय, परिचालनात्मक एवं संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए सुझाव/सिफारिशें की थीं। राज्य सरकार के राज्य वित्त निगमों में मुख्य पणधारी (स्टेक होल्डर) होने के कारण महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि राज्य वित्त निगम के कार्यनिष्पादन को सुधारने और इसके पुनर्पूंजीकरण के लिए उपाय करें।

ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

3974. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा वाले राज्यों और खनिज उत्पादक राज्यों के संदर्भ में ग्यारहवें वित्त आयोग के पंचाट में की गई सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कोयला उत्पादक राज्यों को कोयला रॉयल्टी बढ़ाए जाने के स्थान पर अनुदान सहायता की स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी;

(घ) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा राज्य को विविध आकलित अनुदान प्रदान किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) राज्यों को राजस्व घाटा अनुदानों की व्यवस्था 2000-2005 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार की जा रही है।

खनिजों पर रॉयल्टी के संशोधन की आवधिकता खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 द्वारा शासित होती है। इस अधिनियम के अनुसार, केन्द्र सरकार किसी भी खनिज की रॉयल्टी दर में संशोधन यथाविनिर्दिष्ट तारीख से कर सकती है, बशर्ते कि ऐसा संशोधन तीन वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार, खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन करने हेतु सिफारिश करने का कार्य किसी स्वतंत्र निकाय को सौंपने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, खनिजों की रॉयल्टी दर के संबंध में सिफारिश

करने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र अध्ययन दलों का गठन किया जाता है, जिनमें राज्यों के प्रतिनिधि, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, उद्योग एवं तकनीकी संगठन शामिल होते हैं। मौजूदा प्रणाली उचित एवं पारदर्शी है तथा ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के उद्देश्यों को पूरा करती है।

कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी ऑयल फील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 1948 तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के तहत बनाए गए तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों द्वारा शासित होती है। कच्चे तेल पर रॉयल्टी की दर 1.12.1999 से अस्थायी तौर पर बढ़ाकर 850 रुपए प्रति मी० टन अथवा कच्चे तेल का उद्गम-स्थल मूल्य का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, कर दी गई है।

(घ) से (च) अन्य गैर-योजना अनुदान, अर्थात् स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्या अनुदान, स्थानीय निकायों के अनुदान, प्रोत्साहन निधि के तहत अनुदान तथा उड़ीसा के लिए 2000-2005 तक की अवधि हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत केन्द्र का आपदा राहत निधि संबंधी शेयर इन अनुदानों के उपयोग हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार निर्मुक्त किए जा रहे हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र

• 3975. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के प्रत्येक जिले में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन पुनर्वास केन्द्रों को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) इन केन्द्रों के प्रबंधन में केन्द्र सरकार के हिस्से का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों (डी०डी० आर०सी०) को स्थापित करने के लिए देश में 104 जिलों का चयन किया गया है। प्रत्येक केन्द्र द्वारा 4-5 निकटवर्ती जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने की संभावना है।

(ख) अब तक 74 डी०डी०आर०सी० कार्य करने लगे हैं।

(ग) राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) तथा जिला पुनर्वास केन्द्र (डी०आर०सी०) डी०डी०आर०सी० स्थापित करने में वित्तीय और तकनीकी समर्थन प्रदान करते हैं; दैनिक प्रबंधन तथा मानीटरिंग और मूल्यांकन का कार्य जिला प्रबंधन दल को दिया जाता है जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है और इसमें विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यकलापों के समाभिरूपता के लिए जिम्मेदार अन्य विभागों से प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

पावरग्रिड कॉरपोरेशन को विश्व बैंक से ऋण

3976. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री ई० अहमद :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2001 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "वर्ल्ड बैंक लोन 560 करोड़ टू पावरग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड", शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने में हुए विलंब के कारण ऐसा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) समाचार में उल्लिखित निवेश घटक "पावरग्रिड" के "बैकबोन टेलीकॉम सिस्टम" की स्थापना से संबंधित है। विश्व बैंक ने बोली की वैधता को 31 अगस्त, 2002 तक बढ़ाने के बारे में अपनी अंतिम "अनापत्ति" सूचित कर दी है। इस निवेश-प्रस्ताव पर आर्थिक-कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 13.3.2002 को विचार किया था। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने निदेश किया है कि वित्त मंत्री, संचार मंत्री और विद्युत मंत्री इस मामले की जांच करें तथा इस संबंध में सिफारिशें करें।

[हिन्दी]

बिहार में विकलांग कल्याण केन्द्र

3977. **श्री सुबोध राय :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने विकलांग कल्याण केन्द्र स्थित हैं;

(ख) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम द्वारा विकलांग व्यक्तियों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) ऐसे निगमों द्वारा की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) बिहार में बांका, छपरा, दरभंगा, गया, नवादा तथा मुजफ्फरपुर में स्थित छः जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा प० चम्पारण तथा भागलपुर जिलों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में लगे 30 गैर-सरकारी संगठनों की सहायता कर रही है।

(ख) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम स्वरोजगार उद्यमों के लिए विकलांग व्यक्तियों को आसान ऋण प्रदान करता है। यह स्नातक और उच्चतर स्तरों का सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने के लिए भी ऋण देता है।

(ग) निगम ने 30.07.2002 तक 9889 विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करते हुए 4022.85 लाख रु० की मंजूरी दी है।

(घ) और (ङ) विकलांगता निवारण एवं पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रतिपादन के अग्रिम चरण में है।

[अनुवाद]

आई०ई०एस० का संवर्ग प्रबंधन

3978. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने डी०ओ०पी०टी० और विधि कार्य विभाग की राय जानने के पश्चात् 19 नवम्बर, 2001 को वित्त मंत्रालय को आई०ई०एस० के संवर्ग प्रबंधन में परिवर्तन करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा उक्त सिफारिशें करने के क्या कारण दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी कल्याण संघ के अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विधि कार्य विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 31.10.2001 को एक बैठक की थी। आयोग द्वारा अपने दिनांक 20.11.2001 के पत्र के साथ भेजे गए बैठक के कार्यवृत्त में भारतीय आर्थिक सेवा के संवर्ग प्रबंधन में परिवर्तन करने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई है। तथापि, यह बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा वित्त मंत्री को भेजे गए दिनांक 19.11.2001 के पत्र में भारतीय आर्थिक सेवा के संवर्ग प्रबंधन में परिवर्तन के लिए सिफारिश की गई है। इससे संबंधित ब्यौरे को एकत्रित किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

बांग्लादेश को गेहूं का निर्यात

3979. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 2002-2003 के दौरान बांग्लादेश को गेहूं का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम निर्यातकों को केन्द्रीय पूल के स्टाक से गेहूं उपलब्ध कराता है। भारतीय खाद्य निगम सीधे किसी देश को गेहूं का निर्यात नहीं कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बासमती के निर्यात मूल्य में वृद्धि

3980. **श्रीमती जस कौर मीणा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बासमती चावल के निर्यात मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बासमती चावल के निर्यात मूल्य में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) सरकार ने बासमती चावल की कोई निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

3981. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के लिए कौन-कौन से राज्यों को ऋण स्वीकृति प्रदान की गयी है;

(ख) क्या कोई ऐसा ऋण गुजरात सरकार को प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) वर्तमान में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, केरल तथा कर्नाटक नामक पांच राज्य हैं, जिन्हें जलापूर्ति योजनाओं हेतु विश्व बैंक ऋण/क्रेडिट दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गुजरात सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा फेरा का उल्लंघन

3982. **डा० बलिराम** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून, 2002 के 'द इकानामिक टाइम्स' समाचार पत्र में "एम०एन०सीज० गैट फेरा पार्टिंग किक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नोटिस जारी किए गए थे; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) पता चला है कि 18 बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना भारत में कार्यरत विदेशी कर्मचारियों को विदेश में वेतन/अधिलब्धियों का भुगतान किया गया है। ये कर्मचारी, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उद्देश्यों से भारत के निवासी भी थे/हैं और भारत के बाहर उन्हें वेतनों आदि का भुगतान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(ग) और (घ) इस मामले में संलिप्त 18 कंपनियों के नाम इसके उत्तर के संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत इन सभी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

विवरण

उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं

क्रम सं०	बहुराष्ट्रीय कम्पनी का नाम	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये)
1.	मै० जापान एयरलाइन्स, नई दिल्ली	103.47
2.	मै० हुन्डई मोटर (इंडिया) लि०, नई दिल्ली	804.50
3.	मै० सैमसंग कार्पोरेशन, नई दिल्ली	2403.93
4.	मै० मेरूबेनी (इंडिया) प्रा०लि०, नई दिल्ली	983.72
5.	मै० बैंक आफ टोकियो मित्सुबिशी लि०, नई दिल्ली	2043.19
6.	मै० मोटरोला (इंडिया) लि०, गुड़गांव	557.67
7.	मै० मित्सुबिशी कार्पोरेशन, नई दिल्ली	2052 92
8.	मै० सनवा बैंक लि० (यू०एफ०जे० बैंक लि०) नई दिल्ली	260.04
9.	मै० बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, नई दिल्ली	42.31
10.	मै० एल०जी० इलेक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली	80.63
11.	मै० सोनी (इंडिया) लि०, नई दिल्ली	574963183= जापानी येन
12.	मै० ड्यूश बैंक, नई दिल्ली	1343.42
13.	मै० सकूरा बैंक, नई दिल्ली	40978509- जापानी येन
14.	मै० ऑल निप्पन एयरवेज, नई दिल्ली	147.33
15.	मै० नोकिया टेलीकम्युनिकेशन्स, नई दिल्ली	1086.02
16.	मै० एरीक्सन (इंडिया) प्रा०लि०, नई दिल्ली	3546.05
17.	मै० देवू मोटर्स, नई दिल्ली	266.68
18.	मै० फूजी बैंक लि०, नई दिल्ली	280.88

चाय उत्पादकों को कामगारों के सामाजिक हितसाधन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति

3983. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों के चाय उत्पादकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें उस व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए जो वे अपने कामगारों के आवास और मुफ्त राशन, चिकित्सा सहायता इत्यादि सामाजिक हितसाधन के लिए पारम्परिक रूप से वहन करते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) जी, हां। चाय एशोसिएशनों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, प्रसूति लाभ, आवास, ईंधन एवं शिक्षा इत्यादि जैसे समाज कल्याण के दायित्वों, जो इस समय चाय उद्योग द्वारा निभाए जा रहे हैं, को स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं मानव संसाधन विकास इत्यादि मंत्रालयों की विभिन्न कल्याण योजनाओं के दायरे में लाया जाए। सरकार द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व ऐसे किसी अनुरोध पर अन्तर्विभागीय परामर्श की जरूरत होती है।

[हिन्दी]

बेसहारा महिलाओं को रोजगार

3984. **श्री पी०आर० खूंटे** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड बेसहारा, विधवा और तलाकशुदा औरतों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार मुहैया कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) विगत एक वर्ष के दौरान राज्यवार/विशेषकर छत्तीसगढ़ के कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चाय-कामगारों का बकाया पारिश्रमिक

3985. **श्री पी०आर० किन्डिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बराक घाटी के चाय बागानों में काम करने वाले कामगारों की काफी मात्रा में पारिश्रमिक-राशि अभी दी जानी शेष है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति में, कितना पारिश्रमिक दिया जाना शेष है;

(ग) यह राशि कब से बकाया है;

(घ) पारिश्रमिक का संवितरण न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) सिल्चर, असम में द टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बराक घाटी शाखा ने सूचित किया है कि बराक घाटी के चाय बागानों के चाय-कामगारों की अत्यधिक मात्रा में पारिश्रमिक राशि दी जानी बकाया नहीं है। 1.5.2002 से प्रभावी 3.50 रु० प्रति दिन की निर्धारित वृद्धि कामगारों के प्रतिनिधियों के आश्वासनों के बाद रोक दी गई है क्योंकि यह उद्योग इस परिस्थिति में पारिश्रमिक के और अधिक भार को वहन करने में असमर्थ है।

एक्रेलिक यार्न का पाटनरोध

3986. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक्रेलिक यार्न का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) एक्रेलिक यार्न की घरेलू मांग कितनी है;

(ग) एक्रेलिक यार्न और ऐसे तैयार उत्पाद का वार्षिक निर्यात कितना है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान एक्रेलिक यार्न का वर्षवार कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ङ) क्या विनिर्दिष्ट प्राधिकरण ने यह सिफारिश की है कि नेपाल से एक्रेलिक यार्न के सभी प्रकार के आयात पर एक निश्चित पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एक्रेलिक स्पन यार्न का उत्पादन, घरेलू मांग, निर्यात और आयात नीचे दर्शाया गया है :–

(मिलियन किग्रा)

वर्ष	एक्रेलिक स्पन यार्न का घरेलू उत्पादन	एक्रेलिक स्पन यार्न का आयात	एक्रेलिक स्पन यार्न का निर्यात	घरेलू खपत **
1999 2000	60.48	1.15	1.25	60.38
2000 2001	64.95	1.16	3.34	62.76
2001 2002	63.18	3.84*	7.08*	59.95

* वर्ष के लिए आयात और निर्यात का अनुमान 11 माह के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है।

** एक्रेलिक यार्न की घरेलू मांग के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, एक्रेलिक स्पन यार्न की घरेलू खपत उत्पादन और आयात आंकड़ों को जोड़कर तथा निर्यात आंकड़ों को घटाकर परिकलित की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नेपाल से होने वाले एक्रेलिक यार्न के आयात पर दिनांक 2.7.2002 के अंतिम जांच परिणामों के अन्तर्गत नियत पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 24.7.2002 की अपनी अधिसूचना द्वारा एक्रेलिक यार्न पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। लगाया गया शुल्क निम्नानुसार है :–

क्रम सं०	निर्यातक/उत्पादक का नाम	पाटनरोधी शुल्क (अमरीकी डालर प्रति किग्रा)
1.	मै० रिलायंस स्पिनिंग मिल्स लि०	0.14
2.	सभी अन्य निर्यातक/आयातक	0.35

चीनी के निर्यात के लिए परिवहन-भत्ता

3987. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक से चीनी के निर्यात पर परिवहन भत्ता दिए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो परिवहन-भत्ते के रूप में कितनी राशि की प्रतिपूर्ति चाही गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) हाल ही में कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकार ने 28.5.2002 को चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन किया है ताकि चीनी की निर्यात खेपों पर चीनी फैक्ट्रियों को आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों पर होने वाले खर्च की अदायगी की जा सके। तदनुसार चीनी विकास निधि नियम, 1983 को संशोधित कर दिया गया है और 21.6.2002 को अधिसूचित कर दिया गया है।

वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के प्रमुखों का चयन

3988. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं जैसे जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इत्यादि के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है, जिसमें वरिष्ठता-संबंधी मानदंडों की अनदेखी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति की वर्तमान चयन-प्रक्रिया क्या है और यह पूर्ववर्ती प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख के रूप में किसी वरिष्ठ अथवा कम अनुभवी और अनर्ह अधिकारी की नियुक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में चयन निष्पक्ष रूप से हो ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हेतु चयन-प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां तक राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के चयन का संबंध है, यह पद पहले विज्ञापन के माध्यम से भरा जा रहा था। तथापि, इस वर्ष के दौरान समय संबंधी अड़चन के कारण इस पद को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में पर्याप्त वरिष्ठ तथा अनुभव रखने वाले केवल कार्यकारी निदेशकों के लिए परिचालित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह चयन प्रक्रिया वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध सभी पात्र तथा अनुभवी अधिकारियों पर ध्यान देना सुनिश्चित करती है तथा ए०सी०सी० के स्तर पर सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी

3989. श्री राजैया मल्याला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 की जनगणना

के अनुसार, देश के प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की आबादी कितनी है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : देश में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की गणना जनगणना 2001 में अलग से नहीं की गई है क्योंकि जाति/वर्ग आधारित जनसंख्या जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति से बन्द कर दी गई है। जनगणना 2001 के लिए देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से संबंधित सूचना तैयार की जा रही है और भारत के महापंजीयक का कार्यालय इस रिपोर्ट को यथा समय प्रकाशित करेगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

3990. श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि का समुचित रूप से उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए निर्मुक्त राज्यवार राशि को दर्शानेवाले विवरण संलग्न हैं।

(ख) निधियों के दुरुपयोग का कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1999-2000 से 2001-2002 तक निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	122.40	†	†
2.	अरुणाचल प्रदेश	†	†	†
3.	असम	5.00	†	†
4.	बिहार	†	†	†
5.	छत्तीसगढ़	†	†	†
6.	गोवा	†	†	†
7.	गुजरात	†	†	†
8.	हरियाणा	†	†	2.00
9.	हिमाचल प्रदेश	†	†	60.13
10.	जम्मू और कश्मीर	†	†	†
11.	झारखण्ड	†	†	245.80
12.	कर्नाटक	483.82	495.00	563.19
13.	केरल	†	†	4.00
14.	मध्य प्रदेश	254.19	764.95	284.375
15.	महाराष्ट्र	†	†	†
16.	मणिपुर	†	†	†
17.	मेघालय	†	†	†
18.	मिजोरम	†	†	†
19.	नागालैंड	†	†	†
20.	उड़ीसा	7.84	12.75	21.12
21.	पंजाब	†	†	11.565
22.	राजस्थान	†	†	†
23.	सिक्किम	†	†	†
24.	तमिलनाडु	211.75	†	182.59
25.	त्रिपुरा	10.00	†	18.58
26.	उत्तर प्रदेश	†	†	155.64
27.	उत्तरांचल	†	†	†
28.	पश्चिम बंगाल	†	†	†
29.	अण्डमान और निकोबार	†	†	†
30.	चंडीगढ़	20.00	45.00	50.18
31.	दादरा एवं नगर हवेली	†	†	†
32.	दमन और दीव	†	†	†

1	2	3	4	5
33.	दिल्ली	†	†	†
34.	लक्षद्वीप	†	†	†
35.	पांडिचेरी	†	†	†
	कुल	1115.00	1317.70	1599.17

† = शून्य

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1999-2000 से 2001-02 तक निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	398.10	†	†
2.	अरुणाचल प्रदेश	†	†	†
3.	असम	3.50	†	†
4.	बिहार	†	†	†
5.	छत्तीसगढ़	†	†	†
6.	गोवा	†	†	†
7.	गुजरात	†	†	†
8.	हरियाणा	†	140.04	†
9.	हिमाचल प्रदेश	†	67.30	†
10.	जम्मू और कश्मीर	†	†	†
11.	झारखण्ड	†	†	245.80
12.	कर्नाटक	35.44	148.96	207.42
13.	केरल	†	†	45.50
14.	मध्य प्रदेश	277.99	437.51	665.74
15.	महाराष्ट्र	†	†	†
16.	मणिपुर	†	†	†
17.	मेघालय	†	†	†
18.	मिजोरम	†	†	†
19.	नागालैंड	†	†	†
20.	उड़ीसा	24.973	12.75	25.00
21.	पंजाब	†	†	†
22.	राजस्थान	†	†	†
23.	सिक्किम	†	†	†
24.	तमिलनाडु	†	258.34	43.50
25.	त्रिपुरा	10.00	22.05	9.485
26.	उत्तर प्रदेश	†	†	196.04
27.	उत्तरांचल	†	†	†
28.	पश्चिम बंगाल	†	†	†
29.	अण्डमान और निकोबार	†	†	†
30.	चंडीगढ़	†	†	†
31.	दादरा एवं नगर हवेली	†	†	†
32.	दमन और दीव	†	†	†
33.	दिल्ली	†	†	†
34.	लक्षद्वीप	†	†	†
35.	पांडिचेरी	†	†	†
	कुल	750.00	1086.95	1438.485

† = शून्य

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1999-2000 से 2001-02 तक निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	178.88	†	232.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	†	†	†
3.	असम	†	†	†
4.	बिहार	†	†	†
5.	छत्तीसगढ़	†	†	10.00
6.	गोवा	†	†	†

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	6.25	†	10.29
8.	हरियाणा	†	†	†
9.	हिमाचल प्रदेश	79.9	†	126.6
10.	जम्मू और कश्मीर	†	†	†
11.	झारखण्ड	†	†	197.40
12.	कर्नाटक	†	†	40.00
13.	केरल	14.70	†	0.59
14.	मध्य प्रदेश	†	44.80	†
15.	महाराष्ट्र	†	†	67.72
16.	मणिपुर	†	†	†
17.	मेघालय	†	11	†
18.	मिजोरम	†	†	†
19.	नागालैंड	†	32.5	†
20.	उड़ीसा	13.15	8.50	25.00
21.	पंजाब	†	†	†
22.	राजस्थान	†	†	†
23.	सिक्किम	†	†	†
24.	तमिलनाडु	100.00	†	†
25.	त्रिपुरा	†	20.00	10.00
26.	उत्तर प्रदेश	†	†	†
27.	उत्तरांचल	†	†	†
28.	पश्चिम बंगाल	†	†	†
29.	अण्डमान और निकोबार	†	†	†
30.	चंडीगढ़	†	†	†
31.	दादरा एवं नगर हवेली	†	†	†
32.	दमन और दीव	†	†	50.00
33.	दिल्ली	†	117.00	†
34.	लक्षद्वीप	†	†	†
35.	पांडिचेरी	†	†	†
	कुल	392.88	233.80	770.10

† = शून्य

अनुसूचित जनजाति की लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1999-2000 से 2001-02 तक निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	87.30	†	†
2.	अरुणाचल प्रदेश	†	†	10.00
3.	असम	†	†	†
4.	बिहार	†	†	†
5.	छत्तीसगढ़	†	†	†
6.	गोवा	†	†	†
7.	गुजरात	3.00	†	21.57
8.	हरियाणा	†	†	†
9.	हिमाचल प्रदेश	87.22	†	113.5
10.	जम्मू और कश्मीर	†	†	†
11.	झारखण्ड	†	†	197.40
12.	कर्नाटक	†	75.00	135.00
13.	केरल	22.05	†	22.05
14.	मध्य प्रदेश	†	†	†
15.	महाराष्ट्र	†	†	217.9
16.	मणिपुर	26.00	†	†
17.	मेघालय	†	13.75	†
18.	मिजोरम	†	†	†
19.	नागालैंड	†	32.50	†
20.	उड़ीसा	†	12.75	30.00
21.	पंजाब	†	†	†
22.	राजस्थान	319.20	†	†
23.	सिक्किम	†	†	†
24.	तमिलनाडु	50.00	†	†
25.	त्रिपुरा	103.70	†	40.00

1	2	3	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	†	†	†
27.	उत्तरांचल	†	†	†
28.	पश्चिम बंगाल	†	†	†
29.	अण्डमान और निकोबार	†	†	†
30.	चंडीगढ़	†	†	†
31.	दादरा एवं नगर हवेली	†	†	†
32.	दमन और दीव	†	†	†
33.	दिल्ली	†	116.7	50
34.	लक्षद्वीप	†	†	†
35.	पांडिचेरी	†	†	†
	कुल	698.47	250.70	837.42

† = शून्य

[अनुवाद]

पाटनरोधी निदेशालय का कार्यकरण

3991. श्री अनन्त गुढे : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाटनरोधी निदेशालय को भारतीय कंपनियों के पाटनरोधी संबंधी मामलों के विस्तारण में और अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने के दृष्टिकोण से उसके कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मानक मापदंडों के तथा उभरती प्रवृत्तियों के पदों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाटनरोधी निदेशालय के सशक्तिकरण/पुर्नगठन/स्तरोन्नयन हेतु किन किन क्षेत्रों को चिंहित किया गया है; और

(घ) सार्वजनिक हित में पाटनरोधी संबंधी मामलों का दक्षतापूर्वक विस्तारण करने के लिए निदेशालय को पेशेवरों की विशेषज्ञतापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) को पाटनरोधी मामलों में और अधिक प्रभावी और दक्षता पूर्वक कार्यवाही करने के लिए इसके कार्यकरण की समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्रारंभिक जांच पारिणाम पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के बाद साठ दिनों की समाप्ति से पूर्व जारी नहीं किए जा सकते हैं। यद्यपि पूर्ववर्ती वर्षों में डी०जी०ए०डी० प्रारंभिक जांच परिणाम तैयार करने में छह से आठ महीने का समय ले रहा था किन्तु अब यह समयावधि काफी घटाकर ढाई महीने से तीन महीने कर दी गई है। इस संबंध में भारत की विश्व में पाटनरोधी कार्रवाई करने वाले अन्य देश जैसे अमरीका (4-4½ महीने), यूरोपीय संघ (9 महीने), आस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड (5-6 महीने) के साथ सरलता से तुलना की जा सकती है। भारत पाटनरोधी कार्रवाई का एक प्रमुख देश है। जुलाई-दिसम्बर, 2001 अवधि की डब्ल्यू०टी०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार, पाटनरोधी मामले शुरू करने में भारत का स्थान अमरीका और अर्जेंटिना के बाद पहला है।

पाटनरोधी महानिदेशालय ने जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे सुचारू बनाने के अलावा, प्रकाशनों, सेमीनारों का आयोजन कर उनमें भाग लेकर तथा वेबसाइट में जांच परिणाम उपलब्ध करा कर सूचना का प्रचार प्रसार करने के लिए कदम उठाए हैं। देश भर में फैले 31 केन्द्रों में विदेश व्यापार महानिदेशालय के पत्तन अधिकारियों का उपयोग पाटनरोधी कानूनों, प्रक्रियाओं विशेषकर घरेलू उद्योग द्वारा याचिका दायर करने की सुविधा के लिए सूचना का प्रचार प्रसार करने हेतु सुविधा केन्द्रों के रूप में किया जा रहा है।

डी०जी०ए०डी० अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं में व्यावसायिकता लाने की दृष्टि से निदेशालय बैठकों, सम्मेलनों, सेमीनारों आदि के जरिए पाटनरोधी मामलों के संबंध में कार्यवाही करने वाले परामर्शदाताओं और कानूनी विशेषज्ञों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। डी०जी०ए० डी० ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित करने के लिए एक स्कीम तैयार की है जिसके अंतर्गत निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों की विशेषज्ञता का और विकास करने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम की रुग्ण मिलें

3992. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ० आर०) द्वारा नियुक्त एक प्रचालन एजेंसी, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आई०आई०बी०आई०) ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम की अधीनवर्ती 6 रुग्ण जूट मिलों को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के तीन बोलीकर्ताओं को सूची में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम के पुनरुद्धार के उद्देश्य से 5 जनवरी, 2002 को आयोजित एक बैठक में हुए त्रिपक्षीय समझौते पर अभी तक अमल नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है और इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

(बी०आई०एफ०आर०), परिचालन एजेंसी (आई०आई०बी०आई०) के दिशा निर्देशों के अनुसार, कामगार सहकारिताओं (डब्ल्यू०आई० सी०एम०), राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों से प्रस्ताव प्राप्त करके राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि० (एन०जे० एम०सी०) की 6 मिलों को बेचने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। परिचालन एजेंसी को रा०प०वि०नि० की छह एककों के लिए 39 निविदाएं प्राप्त हुई हैं और इसने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचारार्थ अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) दिनांक 5 जनवरी, 2002 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि० (एन०जे०एम०सी०) के पुनरुद्धार से संबंधित कोई त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिद्धदोष मामलों की संख्या और कर-संग्रहण

3993. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा अधिक संख्या में वारण्ट जारी किये जाने के बावजूद, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान जब्ती द्वारा प्राप्त धनराशि वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रकार संग्रहीत धनराशि की अपेक्षा कम रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयकर प्राधिकारियों द्वारा कर-अपवंचकों के विरुद्ध अभियोजन प्रक्रिया शुरू करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुलजिम के बरी हो जाने के मामले की संख्या सिद्धदोष मामलों की संख्या से बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सिद्धदोष मामलों की संख्या दर अधिक करने और कर-संग्रहण बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर विभाग प्रत्येक वर्ष तलाशी और अभिग्रहण कार्रवाई करता है और अभिशेसी दस्तावेजों और प्रथम दृष्टया बेहिसाब परिसम्पत्तियों को जब्त करता है, जिन्हें आय के निर्धारण के पूरा होने पर उस पर उद्ग्रहीत कर हेतु समायोजित किया जाता है। अभिग्रहण की मात्रा, जो प्रत्येक वर्ष समान नहीं हो सकती, स्वत: ही तलाशी के परिणामों का परिशुद्ध सूचक नहीं है क्योंकि जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर अप्रकटित आय का पता भी लगाया जाता है।

(ग) और (घ) अभियोजन, आमतौर पर करनिर्धारण आदेशों और अर्थदंड आदेशों के खिलाफ दायर की गई अपीलों के निपटान के पश्चात् प्रारंभ किए जाते हैं। अत: करनिर्धारण के पूरा होने की तारीख और अभियोजन के प्रारंभ होने के तारीख के मध्य काफी समय अंतराल हो जाता है। अपीलों के शीघ्र निपटान और अभियोजन प्रारंभ करने के लिए मामलों को सावधानीपूर्वक संसाधित करने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं ताकि सफलता दर में वृद्धि हो सके। बारीकी से निगरानी, बकाया राशियों की शीघ्र वसूली और प्रभावी संवीक्षा, तलाशियां और सर्वेक्षण कार्य के द्वारा अधिकाधिक वसूली करने के लिए भी उपाय प्रारंभ किए गए हैं।

ईरान के साथ व्यापार-संबंध

3994. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ईरान के साथ व्यापार बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) इस दिशा में कौन से विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। व्यापार का विस्तार करना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुधारने हेतु विभिन्न उपाय लगातार किए जा रहे हैं। इनमें शामिल है – संयुक्त आयोग की बैठकों संयुक्त व्यापार परिषद की बैठकों का आयोजन करना, एक दूसरे देश के व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, बाजार सर्वेक्षण, प्रचार माध्यमों के द्वारा प्रचार करना इत्यादि। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री तथा एक व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ अप्रैल 2001 में ईरान की यात्रा की थी। उक्त यात्रा के दौरान भारत और ईरान के बीच एक नए व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। ईरान की अपनी यात्रा के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री ने ईरान को 200 मिलियन अमरीकी डालर की एक लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रस्ताव की भी घोषणा की थी। इन सभी उपायों से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के संवर्धन की संभावना है।

(ग) अभिज्ञात किए गए विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल मदें हैं – मुद्रण मशीनरी रसायन, बल्क औषधियां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर, साइकिलें/मोटर साइकिलें/ऑटो पुर्जे, दूरसंचार उपकरण, चाय, खली, मसाले जैव-प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा निर्माण, बैंकिंग तथा बीमा, बिजली परियोजनाएं इत्यादि।

(घ) प्रधान मंत्री की यात्रा के फलस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे देश में व्यापार तथा निवेश की संभावना का अध्ययन करने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ

(फिक्की) द्वारा अपने ईरानी समकक्ष परिसंघ अर्थात् ईरानी वाणिज्य, उद्योग एवं खनिज मंडल (आई०सी०सी०आई०एम०) के साथ भारत-ईरान व्यापार संवर्धन कोर ग्रुप का गठन किया गया है। द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार हेतु अन्य कदम भी उठाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक सहायता

3995. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों को जनवरी, 2001 से अब तक के दौरान साक्षरता, आंगनबाड़ी-कल्याण और विकासात्मक कार्यों के लिए विश्व-बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि पर देय ब्याज की दर क्या है;

(ग) यह सहायता किन शर्तों पर प्राप्त हुई है;

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राप्त धनराशि से अब तक क्या-क्या कार्य शुरू किए हैं; और

(ङ) इन कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क), (घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता के संबंध में राज्यों पर लागू ब्याज दर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था के जरिए निर्धारित की जाती है और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के ऋण के हिस्से पर चालू दर 11.5% है। केन्द्र सरकार चूंकि सरकार कर्जदार है, इसलिए ऋण/उधारों की वापसी अदायगी के लिए वही जिम्मेदार है। विश्व बैंक द्वारा आई०बी०आर०डी० ऋणों पर प्रभारित ब्याज "लन्दन अंतर बैंक प्रस्तुत दर" (लिबोर) एवं आधारित समय विस्तार है। इस समय यह दर 2.3% है। आई०डी०ए० के उधार ब्याज-मुक्त हैं लेकिन उन पर 7.5% का सेवा-प्रभार लगता है। विश्व बैंक की सहायता उन्हीं मानक निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राप्त होती है जो आई०डी०ए० के उधारों तथा आई०बी०आर०डी० ऋणों पर लागू होती हैं।

सर्वाधिक कर अदा करने वाले व्यक्ति

3996. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 में देश में सबसे अधिक कर अदा किया गया है; और

(ख) उन करदाताओं के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्हें "राष्ट्रीय सम्मान पत्र" के अन्तर्गत पुरस्कृत किया गया है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से संबंधित देश से दस शीर्ष आयकरदाताओं के नाम इस प्रकार हैं :-

1. एन०टी०पी०सी०
2. ओ०एन०जी०सी० लि०
3. भारतीय जीवन बीमा
4. विदेश संचार निगम लि०
5. महानगर टेलीफोन निगम लि०
6. बी०एच०ई०एल०
7. एच०पी०सी०एल०
8. इण्डियन आयल कारपोरेशन
9. मारुति उद्योग लि०
10. न्यू इंडिया एश्योरेंस कं० लि०

(ख) पांच निरंतर वर्षों में से चार वर्षों में 20 लाख रु० अथवा उससे अधिक की आय की घोषणा करने वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कारोबार, व्यवसाय तथा वेतन की तीन श्रेणियों में "राष्ट्रीय सम्मान पत्र" प्रदान किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के सर्वोच्च आयकरदाता को "आयकर रत्न" से पुरस्कृत किया जाता है।

वस्त्र-निर्यात

3997. डा० डी०वी०जी० शंकर राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के वस्त्र निर्यात में उल्लेखनीय ढंग से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 और अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 के दौरान के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) वस्त्र-निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) डी०जी०आई० एण्ड एस० के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001-2002 के दौरान 10715.0 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के वस्त्रों के निर्यात, हुए जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान ये निर्यात 12037.6 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए थे। इस प्रकार इनमें लगभग 11.0 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, अप्रैल, 2002 की अवधि के दौरान ये निर्यात 913.7 अमेरीकी डॉलर मूल्य के हुए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2001 की इसी अवधि में ये निर्यात 774.1 मिलियन अमरीकी डालर के हुए थे। इस प्रकार इनमें 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 और अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 की अवधि के दौरान देश के वस्त्रों के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)		2000-01 की तुलना में 2001-02 में % वृद्धि/कमी
	अप्रैल-फरवरी 2000-2001	अप्रैल-फरवरी 2001-2002	
वस्त्र निर्यात	10931.5	9815.2	-10.2%

(ग) सरकार देश से वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाती रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं :-

1. सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले सिलाए परिधान क्षेत्र के बूवन क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है।

2. इस यंत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) प्रचालित की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

3. टी०यू०एफ०एस० के अंतर्गत शामिल बुनाई प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्य ह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीति के उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत को भी घटाया गया है। इससे आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

4. पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गयी है।

5. वस्त्र क्षेत्र में कुछ रियायतों के साथ स्वचल मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति दी है।

6. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (ए०टी०डी०सी०), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

7. पारि-परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उद्योग (जिसमें निटवियर और शालें शामिल हैं) को सक्षम तथा सुग्राही बनाना।

मनगढंत धोखाधड़ी के मामले

3998. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोड़ों रुपयों के धोखाधड़ी/मनगढंत धोखाधड़ी के मामलों का प्रतिवर्ष पता चलता रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1996-99 के दौरान धोखाधड़ी/मनगढंत धोखाधड़ी के 2028 मामलों का पता चला जबकि वर्ष 1998-99 और 2000-2001 के दौरान 2969 मामलों का पता चला;

(ग) यदि हां, तो इस तरह के मामलों में वृद्धि के क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितने धोखेबाजों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई और उन पर कितना जुर्माना लगाया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु उचित प्रणाली तैयार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) वर्ष 1996 से 2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित धोखाधड़ियों की संख्या क्रमश: 2599, 2263, 2509, 3185, 3080 और 2076 है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त होने की वजह से 155 कर्मचारियों को दोषसिद्ध कर दिया गया है और 5025 कर्मचारियों को बर्खास्तगी सहित बड़ा/छोटा दण्ड दिया गया है। धोखाधड़ियों में वृद्धि होने के मुख्य कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में शिथिलता, निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का बैंक कर्मचारियों द्वारा पालन न किया जाना, अंतर-शाखा लेखों का मिलान न करना, बैंक कर्मचारियों द्वारा अपने ग्राहकों पर अधिक विश्वास करना और ग्राहकों द्वारा विश्वास भंग करना आदि है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खाता खोलने, नए खातों की निगरानी करने, बहियों का मिलान करने, समाशोधन/उगाही के लिए भेजे गए अधिक मूल्य वाले चेकों, ड्राफ्टों और अन्य लिखतों के सत्यापन मांग ड्राफ्टों के निर्गम/भुगतान, डाक अन्तरणों और तार अन्तरणों, तार अन्तरणों की भुनाई/खरीद, साख पत्र खोलने, गारंटियों के निर्गम और बिलों की सह-स्वीकृति आदि जैसे क्षेत्रों में बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों को आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण, संगामी लेखा परीक्षा और सांविधिक लेखा परीक्षा सुनिश्चित करनी होती है। मार्गनिर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण और विशेष लेखा परीक्षाएं भी की जाती हैं।

कर्नाटक को शैक्षिक सुधार हेतु विश्व बैंक सहायता

3999. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राज्य में शैक्षिक सुधार उपायों को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य द्वारा विश्व बैंक से कितनी सहायता राशि की मांग की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य हेतु विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस

4000. **श्री पी० राजेन्द्रन** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोनस की वर्तमान सीमा में संशोधन कर उसे बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

4001. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1987-88 से 1991-92 और 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के एन०सी० सी०एफ० और 1981-82 से 1985-86 की अवधि के सुपर बाजार के खातों की लेखापरीक्षा जांच के संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(घ) चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा लेखापरीक्षित केन्द्रीय भंडार के लेखों पर विचार किए जाने के क्या कारण हैं और क्या भंडार सामग्री की खरीद में अनियमितताओं के मामलो का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) एन०सी०सी०एफ० के 1987-88 से 1991-92 तक के पांच वर्षों के अवधि के लेखों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा की गई थी। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट/पुनर्विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट 12.03.96 को लोकसभा तथा 11.03.96 को राज्यसभा में सभापटल पर रख दी गई थी। एन०सी०सी० एफ० के 1995-96 से 1999-2000 तक के पांच वर्षों की अवधि के लेखों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा रिपोर्ट उनके द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं की गई है। 1981-82 से 1985-86 तक के पांच वर्षों की अवधि की सुपर बाजार के लेखों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट/पुनर्विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 23.12.92 और 22.12.92 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भण्डार के लेखों की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंटों की एक फर्म के द्वारा की गई है जिससे अभी तक ऐसी कोई भारी अनियमितता सामने नहीं आयी है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी विशेष लेखापरीक्षा की आवश्यकता हो। अद्यतन पद्धति को पर्याप्त समझा गया है।

एस०बी०आई० का आर०बी०आई० के साथ समझौता

4002. **श्री ए० कृष्णनैया** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने समाशोधन गृहों के उपयोग के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आर०बी०आई० और एस० बी०आई० के बीच समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इस अतिरिक्त कार्य से भारतीय स्टेट बैंक का समाशोधन कार्य प्रभावित होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आर०बी०आई० के साथ किए गए इस समझौते से एस० बी०आई० को किस तरीके से लाभान्वित होने की संभावना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि "बैंकरों के समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियम एवं नियम" के विनियम 3(क) के अंतर्गत नोट के अनुसार समाशोधन गृहों का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जहां कहीं इसका सम्पूर्ण कार्यालय है और जहां इसका सम्पूर्ण कार्यालय नहीं है, वहां इसे भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के किसी एक अनुषंगी बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बैंक को आबंटित किया जाता है।

(ख) समाशोधन गृहों का प्रबंधन "बैंकरों के समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियम एवं नियम" के दायरे में किया जाता है जो देश के सभी समाशोधन गृहों पर लागू है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक का समाशोधन कार्य समाशोधन गृहों के प्रबंधन से प्रभावित नहीं होगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सी०आर०बी० की पुनर्भुगतान योजना

4003. **श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सी०आर०बी० कैपिटल हेतु किसी पुनर्गठन योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कानूनी लड़ाई कब से चल रही है;

(घ) सी०आर०बी० कैपिटल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार का सी०आर०बी० कैपिटल के लघु निवेशकों के हितों की किस प्रकार सुरक्षा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 22.5.1997 के आदेशानुसार कम्पनी को अनन्तिम रूप से समाप्त किए जाने का आदेश दिया गया था। समापन का विरोध कर रहे पूर्व-प्रबन्धन ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के अन्तर्गत प्रबंध की एक योजना दायर की है जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग निगमों के विरुद्ध शिकायतें

4004. **श्री कैलाश मेघवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग निगमों जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा राजस्थान में उद्योगों की स्थापना हेतु कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ऋण दिया गया;

(ख) क्या सरकार को इन निगमों द्वारा ऋणों के वितरण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी निगमों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०टी०एफ० डी०सी०) तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन०बी० सी०एफ०डी०सी०) द्वारा परिवहन और लघु व्यवसाय/उद्योगों सहित कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में आय सृजक कार्यकलापों को स्थापित करने के लिए प्रदत्त ऋण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया उनकी संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	एनएसएफडीसी		एनबीसीएफडीसी	एनएसटीएफडीसी*
	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०पि०व०	अ०ज०जा०
1999-2000	173	80	638	–
2000-2001	77	54	170	–
2001-2002	347	–	190	435

*10.04.2001 से कार्य आरंभ हुआ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

'मकान' की खरीद के संबंध में आयकर निर्देश

4005. **श्री रामजी मांझी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 40 लाख से अधिक लागत वाले मकानों की खरीद के बारे में आयकर प्राधिकारियों को सूचित करने की जरूरत को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) काले धन पर ऐसे निर्णय का क्या प्रभाव होगा ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXग में निहित पूर्व प्रावधानों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में किसी अचल संपत्ति को विनिर्दिष्ट धनराशियों से अधिक मूल्य पर हस्तान्तरण करने के इच्छुक व्यक्ति को हस्तान्तरण की नियत तारीख से पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फार्म 37-1 में एक विवरण दायर करना पड़ता था। अध्याय XXग के इन प्रावधानों को दिनांक 1 जुलाई, 2002 से हटा दिया गया है।

(ख) ऐसा अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के पंजीकरण में प्रक्रियात्मक देरी को कम करने और करदाताओं को कठिनाई के स्रोत को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था।

(ग) कोई अवांछित प्रभाव ध्यान में नहीं आया है।

एस०टी०सी० द्वारा निजी बैंकों में निवेश और जमा राशि

4006. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस०टी०सी० ने निजी बैंकों के भारी निवेश और धनराशि जमा की है;

(ख) यदि हां, तो एम०टी०सी० द्वारा निजी बैंकों में कितनी धनराशि का निवेश किया गया/धनराशि जमा की गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निजी बैंकों में धनराशि जमा करने और निवेश करने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) एस०टी०सी० ने लोक सभा उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों में निवेश तथा धनराशि जमा की है। दिनांक 2 अगस्त, 2002 की स्थिति के अनुसार एस०टी०सी० द्वारा किए गए कुल निवेश 247.40 करोड़ रु० के हैं। ये निवेश यू०टी०आई 1964 स्कीम (126.40 करोड़ रु०), यू०टी०आई०एम०आई०पी० (10 करोड़ रु०), आई०एफ०सी०आई० (20 करोड़ रु०), सेंचुरियन बैंक (13 करोड़ रु०) यू०टी०आई० बैंक (21 करोड़ रु०) ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (15 करोड़ रु०) डिवेलपमेंट क्रेडिट बैंक (5 करोड़ रु०) जे० एंड के० बैंक (5 करोड़ रु०) में किए गए हैं।

(ग) और (घ) एस०टी०सी० प्रबंधन ने हाल ही में निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों में धनराशि जमा करने की अधिकतम सीमा 20 करोड़ रु० निर्धारित की है।

निर्यातकों हेतु डी०ई०पी०बी० दरों की गणना

4007. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकों हेतु ड्यूटी एंटाइटलमेंट पास बुक की गणना किस दर और किस आधार पर की जाती है;

(ख) क्या डी०ई०पी०बी० में जमा के विरुद्ध चार प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है;

(ग) क्या यह धनराशि निर्यातकों द्वारा उपयोग के समय उनकी जमा राशि में से घटाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इन पथ्यगामी उपायों का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने इस पथ्यगामी उपाय को वापस लेने हेतु वित्त मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(च) वित्त मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) शुल्क हकदारी पासबुक (डी०ई०पी०बी०) दर की गणना मानक निविष्टि-उत्पादन मानदंडों के अनुसार माने गए आयातों पर संदेय मूल सीमाशुल्क तथा ऐसे उत्पाद के निर्यात द्वारा प्राप्त मूल्य वर्धन के आधार पर की जाती है।

(ख) से (घ) दिनांक 7.4.97 की सीमाशुल्क अधिसूचना 34/1997 के तहत जारी डी०ई०पी०बी० के अंतर्गत किए गए आयातों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। तथापि दिनांक 22.4.2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना 45/2002 के तहत जारी डी०ई०पी०बी० के अंतर्गत किए गए आयातों पर एस०ए०डी० से छूट प्रदान नहीं की जाती है और इसलिए आयातों पर एस०ए०डी० की राशि को डी०ई०पी०बी० क्रेडिट के मूल्यों में से घटाना होता है। दिनांक 22.4.2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना 45/2002 के तहत जारी डी०ई०पी०बी० के संबंध में छूट के उपलब्ध न होने से ऐसी डी०ई०पी०बी० की बिक्री अंतरण पर उपलब्ध बाजार प्रीमियम पर प्रभाव पड़ा है।

(ङ) और (च) जी, हां। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है जो इसकी जांच कर रहा है।

वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

4008. श्री एम०के० सुब्बा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पर दो दिवसीय कार्यशाला गुवाहाटी में 29 जून, 2002 को आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में विशेषकर उक्त क्षेत्र के बेरोजगार युवकों हेतु रोजगार सृजन हेतु क्या सुझाव और टिप्पणी की गई और सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं की इस संबंध में क्या भूमिका है; और

(ग) पूर्वोत्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास विशेषकर रोजगार सृजन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों की प्रभावी भूमिका हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा क्या रणनीति तैयार की गई ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई०सी०आई०सी०आई० की योजनाएं

4009. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०सी०आई०सी०आई० के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक आई०सी०आई०सी०आई० की वित्तीय स्थिति और जमाराशि/बाण्डों की परिपक्वता के समय वित्तीय स्थिति और भुगतान क्षमता पर कड़ी निगरानी रख रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा आई०सी०आई०सी०आई० की योजनाओं की रेटिंग की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या हाल ही में आई०सी०आई०सी०आई० की किसी योजना की कम रेटिंग दी गई है; और

(च) यदि हां, तो आई०सी०आई०सी०आई० की योजनाओं में लोगों द्वारा जमा की गई राशि किस सीमा तक सुरक्षित है और इस संबंध में केन्द्र सरकार का दायित्व कितना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) आई०सी०आई०सी०आई० का आई०सी०आई०सी०आई० बैंक में विलय कर दिया गया है। आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के बोर्ड में एक सरकारी नामिती निदेशक है जिसका प्रतिनिधित्व सचिव (बैंकिंग एवं बीमा) श्री डी०सी० गुप्ता द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष पूर्ववर्ती आई०सी० आई०सी०आई० के क्रियाकलापों का वार्षिक निरीक्षण करता रहा है।

(घ) और (ङ) आई०सी०आई०सी०आई० बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार विलय के पश्चात् आई०सी०आई० सी०आई० बैंक लि० को अब हस्तांतरित किए गए आई०सी०आई० सी०आई० बांड की दरें क्रेडिट एजेंसियों द्वारा तय की जाती हैं और क्रेडिट रेटिंग कम नहीं की गई है।

(च) आई०सी०आई०सी०आई० लि० अब अस्तित्व में नहीं है और इसकी सभी देयताएं विलय पश्चात् आई०सी०आई०सी०आई० बैंक को अंतरित कर दी गई हैं। आई०सी०आई०सी०आई० बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अपने सभी ऋण बाध्यताओं पर ब्याज के भुगतान करने तथा मूलधन की वापसी अदायगी में वह नियमित है।

वित्तीय प्रपत्र

4010. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नये वित्तीय प्रपत्र को शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रपत्र को शुरू किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 2002 जब 8 प्रतिशत राहत बाण्ड, 2002 प्रारम्भ किया गया था, के बाद कोई नया वित्तीय प्रपत्र प्रारम्भ नहीं किया है।

जापान को समुद्री उत्पादों का निर्यात

4011. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से जापान को किए जाने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा जापान और अन्य देशों को किए जाने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात में लगातार हो रही कमी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत से जापान को समुद्री उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार रहा है :–

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1998-1999	67277	2295.5
1999-2000	68990	2272.8
2000-2001	68983	2560.4
2001-2002	64905	1820.7

(ग) वर्ष 2001-2002 के निर्यात में कमी का मुख्य कारण जापान में आर्थिक मन्दी था। इसके अलावा यू०एस०ए० जैसे बाजार में सीमित कच्चे माल मुख्य रूप से श्रिम्पों को भेजे जाने से भी जापान को किए जाने वाले हमारे निर्यात प्रभावित हुए।

(घ) समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता देने की स्कीम, स्वास्थ्य संबंधी तथा गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर लाने हेतु प्रसंस्करण सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु कदम, जल कृषि का विस्तार, जल कृषि किसानों को रोगों की रोकथाम के लिए उचित प्रबंधन प्रथाएं अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, निर्यात हेतु मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए सहायता, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में एम०पी०ई०डी०ए० द्वारा भाग लेना, विदेशी बाजार का सर्वेक्षण करना, इत्यादि शामिल है।

आई०डी०बी०आई० की हिस्सेदारी की बिक्री

4012. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थानों के पक्ष में आई०डी०बी०आई० में अपना शेयर कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाएं आई०डी०बी०आई० बांड में 26% बोली लगाने से पूर्व सरकार द्वारा किसी तरह की गारंटी दिए जाने पर बल दे रही थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) आई०डी०बी०आई० बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में सरकार की कोई शेयरधारिता नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कंपनियों द्वारा धनराशि का अन्यत्र उपयोग

4013. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंपनी कार्य विभाग की जांच रिपोर्टों में तायल समूह की विभिन्न कंपनियों द्वारा करीब 300 करोड़ रुपये की धनराशि के अन्यत्र उपयोग पर ध्यान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि करीब 300 करोड़ रुपये के धन को वापस न लाये जाने के बावजूद अब तक हुई जांच को बंद करने हेतु कंपनी कार्य विभाग ने इस कंपनी पर 58,000 रुपये का जुर्माना लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में शामिल 300 करोड़ रुपये की राशि पर इतना कम जुर्माना लगाये जाने के पीछे क्या औचित्य है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा तायल समूह की छः कंपनियों की जांच कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत की गई है। ऋणों और निवेशों संबंधी, धारा 295.370 और 372 के अंतर्गत अपराधों सहित कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों की सूचना प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) 4,15,800 रु० की राशि के लिए 44 अपराधों का प्रशमन किया गया है।

[हिन्दी]

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों के जरिए ऋण

4014. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जयपुर स्थित बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण देने के मामले उजागर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बैंक अधिकारियों और बिचौलियों की सांठगांठ से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण देने के मामले का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने सूचित किया है कि बैंक की वैयक्तिक ऋण योजना सितम्बर 1998 से परिचालन में है जिसके अंतर्गत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं लाभकारी सार्वजनिक सीमित कम्पनियों तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों को तात्कालिक आवश्यकताओं यथा विवाह, चिकित्सा व्यय, यात्रा आदि के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1.5 लाख रुपये की अधिकतम राशि का ऋण प्रदान किया जाता है। बैंक ने जयपुर केन्द्र की 44 शाखाओं के माध्यम से 3640 उधारकर्ताओं

को 18.65 करोड़ रुपए की कुल राशि के वैयक्तिक ऋण संवितरित किए थे। मई 2002 में यह पता चला था कि कुछ उधारकर्ताओं ने गलत तथ्य दिए थे और इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। सितम्बर 1998 से मंजूर सभी ऋणों का सत्यापन किया जा चुका है और गहन जांच के बाद यह पाया गया है कि 89 उधारकर्ताओं ने जयपुर स्थित बैंक की 17 शाखाओं से 76.18 लाख रुपए की सीमा तक के ऋण झूठी सूचना/दस्तावेज आदि देकर प्राप्त किए थे। बैंक ने स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज की है और बैंक के कुछ उन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की है जो अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करने में लापरवाह पाए गए हैं अथवा उधारकर्ता से सांठ-गांठ किए हुए समझे गए हैं। अब तक उधारकर्ताओं से 13.72 लाख रुपये की राशि वसूली जा चुकी है। बैंक ने अपनी सभी शाखाओं को इस प्रकार की धोखा-धड़ियों की पुनरावृत्ति के विरुद्ध बैंक की सुरक्षा करने के लिए अतिरिक्त बचाव करने हेतु अनुदेश दिए हैं।

[अनुवाद]

सेल फोनों की तस्करी

4015. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सेल फोन संबंधी उपकरणों की तस्करी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जब्त किये गए सेल फोनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजकोष को हुए घाटे के बारे में कोई आकलन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सेल फोनों की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश में सेल-फोन उपकरणों की तस्करी की घटनाएं ध्यान में आई हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय सहित बोमा शुल्क विभाग द्वारा 41.21 करोड़ रुपए (लगभग) भूल्य के 68222 सेल-फोन पकड़े गए हैं।

(ग) और (घ) तस्करी एक गुप्त गतिविधि होने के कारण इसके फैलाव की मात्रा का निर्धारण करना कठिन है।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय फोन सेल फोनों सहित निषिद्ध माल की तस्करी रोकने के लिए सजग और चौकस हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंक

4016. श्री हरिभाई चौधरी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार राज्यवार ऐसे कितने बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ग) इन बैंकों में राज्यवार कितना निवेश किया गया है और राज्यों की कितनी हिस्सेदारी है; और

(घ) जिन उद्देश्यों के लिए ऐसे बैंकों की स्थापना की गई थी, उसे प्राप्त करने के लिए ऐसे बैंकों के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर०आर०बी०) की स्थापना वर्ष 1975 से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में देश के 500 जिलों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं जिनका 14313 शाखाओं का नेटवर्क है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण जनता की देहलीज तक लाना, विशेष रूप से अब तक के बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण क्षेत्रों में;
- समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध करना जिनकी सस्ते ऋणों तक कुछ पहुंच थी अथवा कोई पहुंच नहीं थी और जिन्हें जबरदस्ती निजी साहूकारों पर आश्रित रहना पड़ता था;
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना; तथा
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण दिलाने की लागत को कम करना।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य-वार संख्या के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी के रूप में किए गए निवेश तथा राज्यों का हिस्सा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के रूप में किए गए राज्य-वार निवेश तथा राज्यों का हिस्सा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य बातों के साथ-साथ संकुचित फैलाव, उच्च लेनदेन लागत, कम उत्पादकता, कम वसूलियां, ग्राहकों के चयन तथा परिचालन के क्षेत्र पर प्रतिबंध, शाखा नेटवर्क की तुलना में कम

कारबार की मात्रा और उच्च स्थापना लागत के कारण हानियां उठा रहे थे। भारत सरकार ने चुने गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन पत्र के शोधन के लिए अतिरिक्त पूंजी देकर इन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। भारत सरकार द्वारा आज की तारीख तक दी गई कुल पुनर्पूंजीकरण सहायता 1038.21 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनरुद्धार के लिए विभिन्न नीतिगत परिवर्तन शुरू किए गए हैं। इन परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निष्पादन में नियोजित ढंग से सुधार लाने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना तथा समझौता ज्ञापन डी०ए०पी०/एम०ओ०यू० का प्रारंभ तथा आय पहचान आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी मानदंडों को शामिल करते हुए विवेकपूर्ण मानदंड लागू करना;

(ii) कारबार पोर्टफोलियो तथा कार्यकलापों का विविधीकरण;

(iii) अधिशेष गैर-एस०एल०आर० निधियों के निवेश के लिए अवसर बढ़ाना;

(iv) हानि उठाने वाली शाखाओं के पुन: स्थान निर्धारण तथा विलय सहित शाखा नेटवर्क का युक्तिकरण;

(v) ब्याज दर संरचना का विनियमन;

(vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के संचालन में प्रायोजक बैंकों की अधिक भूमिका उपलब्ध कराना; और

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच से बाहर व्यक्तियों/ग्राहकों तक पहुंचने के लिए स्व-सहायता समूह दृष्टिकोण अपनाने और बड़े पैमाने पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्रचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सक्रिय भागीदारी एक और क्षेत्र है जिसने विशेष रूप से रोजगार सृजन में और सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान किया है।

विवरण-I

आर०आर०बी० की शेयरपूंजी की स्थिति – 31 जुलाई, 2002 के अनुसार स्थिति

लाख रु०

क्रम सं०	राज्य	आर०आर०बी० की संख्या	भारत सरकार की हिस्सेदारी	प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी	राज्य सरकार की हिस्सेदारी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	हरियाणा	4	200.00	140.00	60.00	400.00
2.	हिमाचल प्रदेश	2	100.00	70.00	30.00	200.00
3.	जम्मू एवं कश्मीर	3	150.00	105.00	45.00	300.00
4.	पंजाब	5	250.00	175.00	75.00	500.00
5.	राजस्थान	14	700.00	490.00	210.00	1400.00
6.	अरुणाचल प्रदेश	1	50.00	35.00	15.00	100.00
7.	असम	5	250.00	175.00	75.00	500.00
8.	मणिपुर	1	50.00	35.00	15.00	100.00
9.	मेघालय	1	50.00	35.00	15.00	100.00
10.	मिजोरम	1	50.00	35.00	15.00	100.00
11.	नागालैंड	1	50.00	35.00	15.00	100.00
12.	त्रिपुरा	1	50.00	35.00	15.00	100.00
13.	बिहार	16	800.00	560.00	240.00	1600.00
14.	झारखंड	6	300.00	210.00	90.00	600.00

1	2	3	4	5	6	7
15.	उड़ीसा	9	450.00	315.00	135.00	900.00
16.	पश्चिम बंगाल	9	450.00	315.00	135.00	900.00
17.	छत्तीसगढ़	5	250.00	175.00	75.00	500.00
18.	मध्य प्रदेश	19	950.00	665.00	285.00	1900.00
19.	उत्तर प्रदेश	36	1800.00	1260.00	540.00	3600.00
20.	उत्तरांचल	4	200.00	140.00	60.00	400.00
21.	गुजरात	9	450.00	315.00	135.00	900.00
22.	महाराष्ट्र	10	500.00	350.00	150.00	1000.00
23.	आन्ध्र प्रदेश	16	800.00	560.00	240.00	1600.00
24.	कर्नाटक	13	650.00	455.00	195.00	1300.00
25.	केरल	2	100.00	70.00	30.00	200.00
26.	तमिलनाडु	3	150.00	105.00	45.00	300.00
	कुल योग	196	9800.00	6860.00	2940.00	19600.00

विवरण-II

आर०आर०बी० को दी गई पुनर्पूंजीकरण सहायता की स्थिति – 31 जुलाई, 2002 के अनुसार स्थिति

लाख रु०

क्रम सं०	राज्य	आर०आर०बी० की संख्या	पुनर्पूंजीकृत आर०आर०बी० की संख्या	भारत सरकार की हिस्सेदारी	प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी	राज्य सरकार की हिस्सेदारी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	4	4	2113.780	1479.646	634.134	4227.56
2.	हिमाचल प्रदेश	2	2	671.815	470.271	201.545	1343.63
3.	जम्मू एवं कश्मीर	3	3	2053.240	1437.268	615.972	4106.48
4.	पंजाब	5	4	1018.325	712.828	305.498	2036.65
5.	राजस्थान	14	14	9089.090	6362.363	2726.727	18178.18
6.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	105.380	73.766	31.614	210.76
7.	असम	5	5	4932.860	3453.002	1479.858	9865.72
8.	मणिपुर	1	1	450.185	315.130	135.056	900.37
9.	मेघालय	1	1	79.880	55.916	23.964	159.76
10.	मिजोरम	1	1	401.910	281.337	120.573	803.82
11.	नागालैंड	1	1	105.880	74.116	31.764	211.76

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	त्रिपुरा	1	1	2070.711	1449.498	621.213	4141.42
13.	बिहार	16	15	8462.025	5923.418	2538.608	16924.05
14.	झारखंड	6	6	3190.425	2233.298	957.128	6380.85
15.	उड़ीसा	9	8	9030.450	6321.315	2709.135	18060.90
16.	पश्चिम बंगाल	9	8	7143.825	5000.678	2143.148	14287.65
17.	छत्तीसगढ़	5	4	4397.515	3078.261	1319.255	8795.03
18.	मध्य प्रदेश	19	17	11222.833	7855.983	3366.850	22445.67
19.	उत्तर प्रदेश	36	35	18056.749	12639.724	5417.025	36113.50
20.	उत्तरांचल	4	4	1007.436	705.205	302.231	2014.87
21.	गुजरात	9	9	3690.755	2583.529	1107.227	7381.51
22.	महाराष्ट्र	10	10	4067.515	2847.261	1220.255	8135.03
23.	आन्ध्र प्रदेश	16	16	8185.639	5729.947	2455.692	16371.28
24.	कर्नाटक	13	13	5855.075	4098.553	1756.523	11710.15
25.	केरल	2	1	320.715	224.501	96.215	641.43
26.	तमिलनाडु	3	3	1697.726	1188.408	509.318	3395.45
	कुल योग	196	187	109421.739	76595.217	32826.522	218843.48

व्यापार कानूनों और विश्व व्यापार संगठन संबंधी कार्य दल की प्रथम रिपोर्ट

4017. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार कानूनों और विश्व व्यापार संगठन संबंधी कार्य दल की प्रथम रिपोर्ट में ऐसी विदेशी लेखा कंपनियों पर अंकुश लगाने का सुझाव दिया है जिन्होंने प्रबंधन परामर्श फर्मों के नाम पर देश में गलत ढंग से प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट अप्रैल, 2002 के प्रथम सप्ताह में सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) "व्यापार कानूनों और विश्व व्यापार संगठन" पर कम्पनी कार्य विभाग के द्वारा किसी कार्यदल की स्थापना नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अमेरिका में लेखा संबंधी घोटाले

4018. **श्री ब्रह्मानंद मंडल :**
श्री रतन लाल कटारिया :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था/भारतीय शेयर बाजार के अनेक अमेरिकी कार्पोरेटों में लेखा संबंधी घोटाले से प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय कंपनियों के लेखा संबंधी घोटोले में संलिप्त कंपनियों के साथ कोई व्यापारिक संबंध हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

के अनुसार अनेक अमरीकी कंपनियों में कथित लेखाकरण घोटालों का भारतीय अर्थव्यवस्था/भारतीय स्टॉक बाजारों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन मामलों को छोड़कर जहां भारतीय और अमरीकी कंपनियों के बीच वाणिज्यिक लेन-देन हैं।

अमरीकी कंपनियों में लेखाकरण समस्या से दो मूलभूत मुद्दे उभरे हैं, एक कंपनी अभिशासन का और दूसरा लेखाकरण सिद्धांतों का। अमरीकी बाजार में समस्याओं ने कंपनी अभिशासन के क्षेत्र ''आकार'' (फार्म) से ''विषय-वस्तु'' (कांटेंट) और ''नियम आधारित'' से ''सिद्धांत आधारित'' लेखाकरण की ओर संचलन की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

श्री वाई०एच० मालेगाम की अध्यक्षता में गठित लेखाकरण मानकों संबंधी सेबी की स्थायी समिति सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सूचीकरण करार के अन्तर्गत निरंतर प्रकटीकरण अपेक्षाओं की समीक्षा करती है और प्रकटीकरण मानकों और लेखाकरण परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं के समकक्ष बनाने के लिए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आई०सी०ए०आई०) को नए लेखाकरण मानकों के विकास और यथा आवश्यक, विद्यमान परंपराओं की पुनरीक्षा करने के लिए निर्विष्टियां प्रदान करती है।

इस समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण अपेक्षाओं पहले ही निर्दिष्ट कर दी हैं जिनके अनुसार कंपनियों से अनिवार्य रूप से अपेक्षित है कि वे भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आई०सी०ए०आई०) द्वारा जारी सभी लेखाकरण मानकों का अनुपालन करें। पिछले दो वर्षों के दौरान निर्दिष्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रकटीकरण अपेक्षाओं में घटक रिपोर्टिंग, आस्थगित कर, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण तथा समेकित वित्तीय विवरणियां, आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनियों से अनिवार्य रूप से अपेक्षित है कि तिमाही परिणामों सहित लेखापरीक्षा अर्हकताओं और साथ ही लाभ या हानि पर लेखापरीक्षा अर्हकताओं के प्रभाव का प्रकटीकरण भी करें।

एनरॉन, वर्ल्ड कॉम, आदि के संबंध में संयुक्त राज्य में हाल के घटनाक्रमों के दृष्टिगत सेबी ने इन घटनाओं से उत्पन्न मुद्दों को यह जांच करने के लिए लेखाकरण मानक स्थायी समिति को भेज दिया है कि क्या प्रकटनों की किन्हीं अतिरिक्त अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है और लेखाकरण मानक इन मुद्दों का सर्वोत्तम समाधान किस प्रकार कर सकते हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को सहायता

4019. श्री रतन लाल कटारिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा लाभान्वित हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन निगमों को कितना बजट आबंटन किया गया और इनके द्वारा कितनी धनराशि संवितरित की गई हैं; और

(ग) ऋण प्रदान करने हेतु इन निगमों के मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य और मानदंड क्या हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-2002 का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की देखरेख करने के लिए एक पृथक-जनजातीय कार्य मंत्रालय के बनने से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का 10 अप्रैल, 2001 को अनुसूचित जातियों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) और अनुसूचित जनजातियों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०टी०एफ०डी०सी०) में विभाजन किया गया।

(ख) पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) एन०एस०एफ०डी०सी० का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों द्वारा प्रोत्साहित आय सृजनकारी योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जाति विकास निगमों और अन्य अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता और अनुसूचित जातियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान देना है।

एन०एस०टी०एफ०डी०सी० के मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना है जिससे कि रोजगार का सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके और उनकी आय का स्तर बढ़ाया जा सके और संस्थागत और कार्य के दौरान प्रशिक्षण देकर कौशलों और प्रक्रियाओं का उन्नयन किया जा सके।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०के० एफ०डी०सी०) के मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित माध्यम एजेंसियों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों और आश्रितो को रियायती वित्त देकर आर्थिक विकास के कार्यों को प्रोत्साहित करना है।

एन०एस०एफ०डी०सी० और एन०एस०टी०एफ०डी०सी० संबद्ध लक्षित समूह, जिसकी वार्षिक परिवारिक आय निर्धनता रेखा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए, को वित्तीय सहायता देते हैं।

एन०एस०के०एफ०डी०सी० से वित्तीय सहायता लेने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। तथापि, अन्य बातों के समान रहने पर, उन सफाई कर्मचारियों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है जिनकी आय निर्धनता रेखा के दोगुने से कम है।

एन०एस०एफ०डी०सी०, एन०एस०के०एफ०डी०सी० और एन०एस०टी०एफ०डी०सी० द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिए ऋण की स्वीकृत के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 200 करोड़ रु० 31.00 करोड़ रु० और 80.00 करोड़ रु० है।

विवरण-I

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000 लाभग्राहियों की संख्या		2000-2001 लाभग्राहियों की संख्या		2001-2002 लाभग्राहियों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	1765	2214	11996	1423	25459	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	15	0	2	0	0
4.	असम	84	142	0	588	395	0
5.	बिहार	0	0	68	5	242	0
6.	चंड़ीगढ़	49	0	35	0	123	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	70	0
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	37	0	0	0
9.	दिल्ली	68	0	119	0	232	0
10.	गोवा	12	0	21	0	6	0
11.	गुजरात	1722	95	2823	935	4145	0
12.	हरियाणा	21	0	0	0	61	0
13.	हिमाचल प्रदेश	69	26	92	22	115	0
14.	जम्मू एवं कश्मीर	12	17	0	0	473	0
15.	झारखंड	0	0	0	0	188	0
16.	कर्नाटक	1325	233	3089	359	8890	0
17.	केरल	250	33	671	52	217	0
18.	लक्षद्वीप	0	5	0	72	0	0
19.	मध्य प्रदेश	587	996	1118	147	1388	0
20.	महाराष्ट्र	42	0	465	156	1243	0
21.	मणिपुर	2	18	13	140	0	0
22.	मेघालय	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	मिजोरम	0	76	0	2105	0	0
24.	नागालैंड	0	43	0	45	0	0
25.	उड़ीसा	200	282	251	313	44	0
26.	पांडिचेरी	19	0	101	0	96	0
27.	पंजाब	52	0	78	0	4	0
28.	राजस्थान	173	80	77	54	347	0
29.	सिक्किम	15	54	63	185	109	0
30.	तमिलनाडु	324	80	35	2	342	0
31.	त्रिपुरा	109	217	15	120	537	0
32.	उत्तर प्रदेश	0	0	12269	0	15073	0
33.	उत्तरांचल	0	0	0	0	614	0
34.	पश्चिम बंगाल	564	146	10776	64	15882	0
	कुल	7464	4772	44212	6789	76295	0

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०टी०एफ०डी०सी०)

क्रम सं०	राज्य	लाभग्राहियों की सं० (2001-2002)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	718
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	9
4.	असम	82
5.	बिहार	0
6	छत्तीसगढ़	0
7.	दादरा एवं नगर हवेली	0
8.	गोआ	0
9.	गुजरात	283
10.	हिमाचल प्रदेश	93
11.	जम्मू एवं कश्मीर	207
12.	झारखंड	165
13.	कर्नाटक	841
14.	केरल	24
15.	लक्षद्वीप	6
16.	मणिपुर	0
17.	महाराष्ट्र	375
18.	मेघालय	0
19.	मध्य प्रदेश	1327
20.	मिजोरम	10
21.	नागालैंड	30
22.	उड़ीसा	149
23.	राजस्थान	435
24.	सिक्किम	123
25.	तमिलनाडु	0
26.	त्रिपुरा	100
27.	उत्तरांचल	80
28.	उत्तर प्रदेश	0
29.	पश्चिम बंगाल	326
	योग	5382

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
(एन०एस०के०एफ०डी०सी०)

क्रम सं०	राज्य	1999-2000 लाभग्राहियों की सं०	2000-2001 लाभग्राहियों की सं०	2001-2002 लाभग्राहियों की सं०
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	465	6436	0
2.	असम	118	118	3082
3.	चंडीगढ़	90	18	22
4.	छत्तीसगढ़	0	0	1615
5.	गुजरात	1158	1555	345
6.	हिमाचल प्रदेश	36	43	11
7.	हरियाणा	0	0	80
8.	झारखंड	0	0	420
9.	कर्नाटक	450	2500	1400
10.	केरल	141	0	0
11.	मध्य प्रदेश	220	2170	500
12.	महाराष्ट्र	0	546	73
13.	मणिपुर	48	360	0
14.	मेघालय	0	0	16
15.	मिजोरम	49	377	0
16.	उड़ीसा	0	440	0
17.	पांडिचेरी	450	0	134
18.	राजस्थान	0	303	192
19.	तमिलनाडु	1584	3750	0
20.	त्रिपुरा	0	0	252
21.	उत्तर प्रदेश	0	1528	510
22.	उत्तरांचल	0	0	93
23.	पश्चिम बंगाल	0	345	504
	कुल	4809	20489	9249

विवरण-II

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	निगम	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		बजट आवंटन	संवितरित राशि	बजट आवंटन	संवितरित राशि	बजट आवंटन	संवितरित राशि
1.	एनएसएफडीसी	30.00	100.06	35.00	132.51	10.00	173.80
2.	एनएसकेएफडीसी	20.00	20.15	22.00	29.12	25.00	30.04
3.	एनएसटीएफडीसी	*	*	*	*	27.00	27.50

*एनएसएफडीसी में शामिल अनुसूचित जनजातियों को संवितरित बजट आवंटन और धनराशि।

आयकर विवरणियों का भरा जाना

4020. **श्री भान सिंह भौरा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यक्ति विशेष के लिए आयकर विवरणी भरने हेतु "सरल" फार्म के शुरू किए जाने के बाद विवरणी भरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि "सरल" फार्म में विवरणी भरते समय लोगों ने इसे झंझट मुक्त पाया है और भरना अधिक आसान पाया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे और अधिक सरल बनाये जाने के बजाय इसे हटाए जाने के निर्णय के पीछे क्या कारण हैं; और

(घ) विवरणी भरने संबंधी प्रक्रिया के प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरल फार्म सरकार द्वारा कभी नहीं हटाये गये थे। दिनांक 24 जून, 2002 की अधिसूचना द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-03 और

इससे आगे के लिए एक पृष्ठीय सरल फार्म सं० 2घ के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

(घ) विवरणियों के दायर करने को सरल बनाने के लिए किए गए उपायों में शामिल है :–

(i) गैर निगमित करदाताओं के लिए एक पृष्ठीय सरल फार्म का प्रयोग;

(ii) 1 जुलाई, 2002 से वेतनभोगी कर्मचारियों, द्वारा विवरणियां इकट्ठे दायर करने के लिए स्कीम, 2002 को लागू करना;

(iii) 1 अगस्त, 2002 से "सहायता" स्कीम को लागू करना और करदाताओं की समस्याओं को सुधारने के लिए "हेल्पलाइन इनकम टैक्स" कक्ष की स्थापना; और

(iv) मौजूदा प्राधिकृत शाखाओं के अलावा छह में से एक स्कीम द्वारा शामिल किए गए शहरों के राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी कम्प्यूटरीकृत शाखाओं को प्रत्यक्ष कर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करना।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गृह ऋण

4021. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक अपनी गृह ऋण योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित कतिपय शर्तों को पूरा करने पर दूसरा प्रभार लगाकर सरकारी कर्मचारियों को गृह ऋण की अनुमति देता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ऐसे मामलों की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने मामले दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में लम्बित हैं; और

(च) इन मामलों का कब तक निपटारा किया जाएगा ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राथमिक बाजार में विश्वास कायम करना

4022. डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या **वित्त और कंपनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बचतों को बढ़ावा देने और प्राथमिक बाजार में विश्वास बहाल करने हेतु अनेक प्रस्ताव तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जो कि बाजार को विनियमित करता है, प्राथमिक बाजार में विश्वास की बहाली के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रवेश मानदंडों तथा निरुद्धता अवधि अपेक्षाओं को सुदृढ़ करना; सूचीकरण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं के निष्पादन तथा लेन-देन की शुरूआत में लिए जाने वाले समय में कमी करना; अधिमानी निर्गमों में प्रकटीकरणों को सुदृढ़ करना आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम

4023. श्री एम०के० सुब्बा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम द्वारा वर्ष वार कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ख) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित योजनाओं से किस सीमा तक रोजगार सृजित हुए हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम द्वारा निधियों के संवितरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम ने 2000-2001 के दौरान 50.46 करोड़ रुपए और 2001-2002 के दौरान 50.79 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

(ख) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, निगम ने 137.75 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं, जिसके फलस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में 354 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश और 7400 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है।

(ग) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम ने चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2002-2003 के दौरान संवितरण के लिए 55 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है।

खाद्यान्नों का उठाव

4024. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र के उच्च निर्गम मूल्य के कारण राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों को उठाया नहीं जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष की प्रथम अर्द्ध-वार्षिकी के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार निर्गम मूल्य को घटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान पंचांग वर्ष के 6 महीनों अर्थात् जनवरी, 2002 से जून, 2002 तक के दौरान केंद्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल का उठान बढ़कर 78.49 लाख टन हो गया है, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह 56.37 लाख टन था।

वर्तमान पंचांग वर्ष के पिछले 6 माह के दौरान केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल का निम्नानुसार उठान हुआ है :–

(लाख टन में)*

महीना	चावल	गेहूं	जोड़
जनवरी, 02	7.67	5.56	13.23
फरवरी, 02	5.71	4.43	10.14
मार्च, 02	7.75	5.31	13.06
अप्रैल, 02	7.22	4.27	11.49
मई, 02	8.90	6.00	14.90
जून, 02	8.21	7.46	15.67
जोड़	45.46	33.03	78.49

(*) अनंतिम

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एपेडा द्वारा यूरोपीय संघ में दुकानों की स्थापना

4025. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एपेडा ने यूरोपीय देशों में भारतीय फलों को बढ़ावा देने हेतु इंडियन फ्रूट कार्नर नाम से दुकानों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एपेडा द्वारा ऐसी दुकानों में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(घ) क्या ऐसी दुकानों और स्टोरों में भारतीय आमों की भी बिक्री की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन दुकानों के माध्यम से भारतीय आमों को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (च) जी, नहीं। हालांकि किन्हीं दुकानों की स्थापना नहीं की गई है लेकिन एपीडा ने मई, 2002 के दौरान फ्रैंकफर्ट और लंदन में आमों के लिए एक संवर्धन अभियान शुरू किया है। इसके तहत भारतीय निर्यातकों ने अग्रणी सुपर बाजारों में विशेष रूप से बनाए गए "इंडियन फ्रूट कार्नर्स" में भारतीय आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया है और दीर्घावधि आधार पर भारतीय आमों को बढ़ावा देने के लिए लंदन और फ्रैंकफर्ट में सुपर बाजारों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं।

गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे लोगों के लिए नियत खाद्यान्नों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिया जाना

4026. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन कर रहे कार्ड धारकों के लिए उनके गोदामों में पड़े बिना बिके चावल और गेहूं को गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारकों के लिए परिवर्तित करने की अनुमति हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने इसके लिए अनुरोध किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने 2000-2001 में यह अनुरोध किया था कि कम उठान होने के कारण उनके पास पड़े हुए खाद्यान्नों के गरीबी रेखा से ऊपर के स्टाक को गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को वितरित करने की अनुमति दे दी जाए।

(घ) इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए :-

> जैसे ही राज्य सरकारें और/अथवा उनके नामिती उन्हें आवंटित खाद्यान्नों के लिए भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करते हैं और वे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों/डिपुओं से स्टाक का उठान कर लेते हैं, सौदा पूरा हो जाता है। अत: गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर उनके द्वारा पहले ही खरीदे

गए खाद्यान्नों के स्टाक का विपथन गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं और/अथवा विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन वितरित करने के लिए किया गया अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। इन राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि वे निविदा अथवा किसी अन्य माध्यम से जिसे भी वे उपयुक्त समझते हों, अपने पास रखे अधिशेष स्टाक का निपटान करें। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत वसूली की प्रणाली है उनके संबंध में जहां तक वसूल किए गए स्टाक का संबंध है, इसमें गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के बीच कोई अन्तर नहीं होता है। इसे राज्य के पास उपलब्ध वसूली का कुल पूल समझा जाएगा।

मुद्रास्फीति की दर

4027. श्री जे०एस० बराड़ : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 प्रतिशत की मुद्रा-स्फीति की साधारण दर व्यापक आर्थिक विकास और मूल्य वृद्धि की साधारण दर के बीच सही संतुलन कायम करने में असमर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अर्थव्यवस्था में क्या मूलभूत सुधार और संरचनात्मक समायोजन किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) विश्व में व्याप्त मंदी के प्रभाव, व्यापार फैलने से बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा, घरेलू मांग में कमी और औद्योगिक मंदी ने अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं को कम कर दिया है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर जनवरी से जून, 2002 के बीच 2.0 प्रतिशत के स्तर से नीचे बनी रही। उसके बाद इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है और जुलाई के अन्त में वार्षिक मुद्रास्फीति दर करीब 3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। विनिर्मित उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति और औद्योगिक विकास में तेजी आने के लक्षण सकारात्मक संकेत हैं।

आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को वापस नहीं लिया जा सकता और भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता और वास्तविक निष्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सुधार प्रक्रिया को विस्तृत और गहन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुधारों और नब्बे के दशक में किए गए संरचनात्मक समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक विकास लाना था जिससे गरीबी को कम करने तथा आमदनी के स्तरों में सुधार लाने में मदद मिल सके। सुधारों के बाद के दशक में विकास सुधारों से पूर्व के दशक में विकास की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रहा और नब्बे के दशक के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता में गिरावट आई है। सुधारों के बाद की अवधि में मुद्रास्फीति दर नियंत्रित रही है जिससे यह पता चलता है कि सही ढंग से अपनाई गई सुधार प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर हो रहे आर्थिक विकास और घटी हुई मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं के बीच एक सही संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाये गये कदम

4028. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रक्रिया संबंधी बाधाओं के कारण 10 बिलियन डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी निवेश की स्वीकृति हेतु अनेक प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को कम करके लालफीताशाही को दूर करने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं है, तो भी 1991 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी अंतर्वाह कुल मिलाकर लगातार वृद्धि दर्शाये हुए हैं जो वर्ष 2001-2002 में 4.06 बिलियन अमरीकी डालर का एक रिकार्ड अंतर्वाह (ए०डी०आर०/जी०डी०आर० को छोड़कर) तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की अवधि में प्राप्त अंतर्वाहों की तुलना में 66 प्रतिशत से अधिक है। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों में और वृद्धि करने की दृष्टि से स्वत: एफ०डी०आई० अनुमोदनों के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि की हैं। इसके अतिरिक्त, निवेश से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ०आई०आई०ए०) का गठन एक समस्या-समाधान मंच के रूप में किया गया है।

एसाइड योजना के अंतर्गत राज्यों को धनराशि

4029. श्री टी०एम० सेल्वागनपति :
डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असिसटेंस टू स्टेट्स फार इन्फ्रासट्रक्चर डेवलपमेंट फार एक्सपोर्ट (एसाइड) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के उपशीर्ष कौन-कौन से हैं जिनके अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के लिए धनराशि जारी की है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 और 2002-03 के दौरान तथा आज तक प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ङ) क्या बुनियादी ढांचे के विकास लघु उद्योगों के संवर्धन, साफ्टवेयर के विकास, हस्तशिल्प के विकास जैसे अन्य कार्यकलापों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस योजना के अंतर्गत निधियों के जारी किए जाने हेतु ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो सरकार के पास अभी तक लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। निधियां मुख्य शीर्ष 5453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन संबंधी पूंजीगत परिव्यय-80 सामान्य-80.000 अन्य खर्च 08-निर्यात बुनियादी संरचना सुविधा विकास और संबद्ध कार्यकलापों हेतु केन्द्रीय सहायता स्कीम-28.0053 वर्ष 2002-03 के लिए वाणिज्य विभाग की मांग सं० 10 के अंतर्गत प्रमुख कार्य प्रदान की जा रही हैं।

(ग) से (छ) इस स्कीम का लक्ष्य निर्यात बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचना का विकास करना है। इस प्रकार की बुनियादी संरचना का उपयोग सॉफ्टेवयर और लघु क्षेत्र समेत अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में किया जा सकता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत सभी परियोजनाएं 1.4.2002 से राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित की जानी हैं। ए०एस०आई०डी०ई० के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरे नीचे दिया गया है :–

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2001-02	राज्य	2002-03
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1.70	आंध्र प्रदेश	6.00
असम	2.08	असम	2.00
बिहार	3.3098	अरुणाचल प्रदेश	–*
		अंडमान और निकोबार	–*
छत्तीसगढ़	2.00	बिहार	–*
गुजरात	1.814	छत्तीसगढ़	2.00
		चण्डीगढ़	–*
हरियाणा	2.50	दिल्ली	–*
		दादरा और नगर हवेली	–*
		दमन और दीव	–*
झारखंड	2.00	गोवा	–*
कर्नाटक	2.00	गुजरात	–*
केरल	4.50	हरियाणा	3.00
मध्य प्रदेश	2.1395	हिमाचल प्रदेश	3.50
महाराष्ट्र	5.33	जम्मू और कश्मीर	3.00
मणिपुर	0.11	झारखंड	–*
पंजाब	4.00	कर्नाटक	9.00
राजस्थान	2.3915	केरल	5.50
		लक्षद्वीप	–*
तमिलनाडु	0.50	मध्य प्रदेश	5.00
उत्तर प्रदेश	3.0675	महाराष्ट्र	16.00
उत्तरांचल	2.00	मेघालय	–*
		मणिपुर	–*
		मिजोरम	–*
पश्चिम बंगाल	2.7103	नागालैंड	–*
		उड़ीसा	4.50
		पंजाब	4.50
		पांडिचेरी	1.50
		राजस्थान	6.00
		सिक्किम	–*
		तमिलनाडु	14.00
		त्रिपुरा	1.50
		उत्तर प्रदेश	10.00
		उत्तरांचल	–*
		पश्चिम बंगाल	5.00
कुल	43.52		102.00

*निधियां अभी जारी की जानी हैं क्योंकि राज्य सराकार से सूचना की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

आयकर विभाग द्वारा कराया गया सर्वेक्षण

4030. **श्री रामदास आठवले :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग ने देश में कर अपवंचकों का पता लगाने और करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान और आज तक संग्रहित कर का राज्यवार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान संग्रहित कर की तुलना में यह कितना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वित्त वर्ष	सर्वेक्षणों की संख्या
1999-2000	10632
2000-2001	9494
2001-2002	4612

(ग) चालू वर्ष के दौरान जून, 2002 तक और गत तीन वर्षों के दौरान संग्रहीत आयकर/निगम कर के संबंध में क्षेत्रीय लेखाधिकारियों द्वारा यथा रखा गया ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपए करोड़ों में)

क्षेत्रीय लेखा अधिकारी	जून, 2002 तक निगम कर + आयकर	जून 2001 तक निगम कर + आयकर	जून, 2000 तक निगम कर + आयकर	जून, 1999 तक निगम कर + आयकर
1	2	3	4	5
अहमदाबाद	575.98	397.51	554.39	362.27
बगलोर	845.73	660.08	673.61	367.51
भोपाल	317.69	220.83	315.43	133.64
मुम्बई	2156.18	1332.92	3426.62	1975.46
कलकत्ता	771.33	492.17	360.99	329.19
कोचीन	12.41	171.57	132.41	144.76
हैदराबाद	362.45	333.62	417.83	214.66
जयपुर	133.61	56.2	41.94	9.1
चेन्नई	830.66	550.44	682.77	482.93
नई दिल्ली	2324.08	1475.52	1823.25	1509.82
अमृतसर	36.86	27.8	16.68	5.7
जालंधर	81.16	53.37	62.91	42.48
पटियाला	164.26	114.86	139.6	95.91
रोहतक	147.86	143.14	109.05	57.82
आगरा	28.96	33.31	29.61	21.11
कानपुर	40.8	33.18	36.39	24.61
मेरठ	279.32	615.33	696.53	171.04
इलाहाबाद	59.12	41.6	47.37	14.5
लखनऊ	104.6	74.58	72.86	57.1
नागपुर	98.18	43.9	62.42	65.33
पुणे	469.11	412.31	428.5	248.01
पटना	185.08	91.18	98.71	56.76
शिलांग	127.7	91.52	127.26	20.28
भुवनेश्वर	121.93	107.13	140.25	156.66
कुल वसूली	10285.06	7575.79	10497.38	6568.67
सीटीडीएस (मई तक)	141.84	123.4	139.78	113.83
योग	10426.9	7699.19	10637.16	6682.5

महिलाओं की अग्नि-परीक्षा

4031. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई 2002 के 'पायनियर' में "बैंक टू बारबारिज्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट सौंपी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार के अनुसार इन्दौर में एक नव विवाहित महिला की उसकी वफादारी साबित करने हेतु उसकी हथेलियों पर एक लाल गर्म छड़ रखकर अग्नि परीक्षा ली गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ सतर्क हैं।

राष्ट्रीय वस्तु विनिमय केंद्र

4032. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**
श्री के० येरननायडू :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्तु विनिमय केन्द्र चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद में राष्ट्रीय वस्तु विनिमय केंद्र स्थापित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) फारवर्ड सर्किट कमिशनों को व्यावसायिक तरीके से चलाने के लिए इसके पुनर्गठन हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। हैदराबाद में नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए इच्छुक पार्टियों से कोई औपचारिक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वायदा बाजार आयोग में एक आन्तरिक समिति गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक स्थिति पेपर तैयार किया जा रहा है जिस पर संबंधित विभागों, संगठनों तथा विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा, अंत में, संसद के अनुमोदन के लिए एक संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

राजस्थान में कल्याणकारी योजनाएं

4033. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार राजस्थान में कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं में से प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कल्याणकारी योजनाओं से राज्य के जिलों, विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों की संख्या कितनी है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रियान्वित की जा रही कल्याण योजनाएं तथा निर्मुक्ति राशि संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) राज्य में संगत अवधि के दौरान इन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों/परिवारों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। जिलेवार आंकड़े मंत्रालय में नहीं रखे जाते।

विवरण-I

राजस्थान राज्य में विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्रम सं०	योजना का नाम	निर्मुक्ति		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
	अनुसूचित जाति विकास			
1.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2792.68	3738.96	3005.41

1	2	3	4	5
2.	अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	308.28	411.36	470.13
3.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	107.51	59.69
4.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	0.00	0.00	9.40
5.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना	0.00	43.10	0.00
6.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के राष्ट्रीय योजना	1661.79	0.00	0.00
7.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	50.00	150.00	317.38
8.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योग्यता का उन्नयन	15.51	0.00	8.24
9.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	66.05	95.19	126.53
	अन्य पिछड़ा वर्ग			
10.	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	57.48	0.00	0.00
11.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.00	0.00	10.66
12.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	0.00	0.00	0.38
	अल्पसंख्यक			
13.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	5.25	2.45	4.43
	विकलांग व्यक्ति कल्याण			
14.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना	88.13	93.99	155.81
15.	सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	348.78	360.00	382.92
16.	विकलांगों को रोजगार	11.33	39.26	10.41
17.	राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति पुनर्वास कार्यक्रम	25.00	198.35	156.05
	समाज रक्षा			
18.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण	8.77	8.00	12.17
19.	पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण एवं रोकथाम की योजना	66.54	72.69	76.67
20.	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना	24.95	17.68	37.90
21.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	1.35	0.00	3.18
22.	वृद्धाश्रमों का निर्माण	10.00	2.50	0.00
23.	देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए नवजात शिशु एवं शिशुओं के लिए गृहों को सहायता	4.91	13.87	10.40

विवरण-II

राजस्थान राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या

(रु० लाख में)

क्रम सं०	योजना का नाम	लाभार्थी		
		1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
	अनुसूचित जाति विकास			
1.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	66724	62494	63071
2.	अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	59721	62002	65110
3.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	3713	20184	21310
4.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	**	**	3067
5.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना	उपलब्ध नहीं	3320	**
6.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के राष्ट्रीय योजना	172	404	800
7.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योग्यता का उन्नयन	176	**	87
9.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1380	1370	1140
	अन्य पिछड़ा वर्ग			
10.	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	175	**	**
11.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	**	**	540
12.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	**	**	40
	अल्पसंख्यक			
13.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	200	150	200
	विकलांग व्यक्ति कल्याण			
14.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना	उपलब्ध नहीं	1384	2303
15.	सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	3804	4577	5675
16.	**विकलांगों को रोजगार**			
	(क) लाइव रजिस्टर	6293	6761*	*
	(ख) स्थापन	75	88	*

1	2	3	4	5
17.	राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति पुनर्वास कार्यक्रम			
	समाज रक्षा			
18.	किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण	337	337	337
19.	पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण एवं रोकथाम की योजना	7578	5763	3933
20.	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना	800	800	800
21.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	250	**	150
22.	वृद्धाश्रमों का निर्माण			
23.	देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए नवजात शिशु एवं शिशुओं के लिए गृहों को सहायता	63	73	58

*श्रम मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2000 तक संकलित।

**लागू नहीं क्योंकि वर्ष के दौरान कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्राथमिकता सूची

4034. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु उद्योगों की कोई प्राथमिकता सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योगों की प्राथमिकतावार सूची क्या है; और

(ग) उद्योगों की उपरोक्त वर्णित सूची में प्राथमिकता निर्धारित करते समय सरकार द्वारा किन मानदंडों का अनुपालन किया जाता है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1991 में, जब औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया था, तब स्वत: मार्ग के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले 35 उद्योगों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोल दिया गया था। तत्पश्चात, उत्तरोत्तर उदारीकरण के फलस्वरूप स्वत: मार्ग के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। इस समय, यद्यपि प्राथमिकता वाले उद्योगों की कोई और औपचारिक सूची नहीं है फिर भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को विनिर्माण, अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सीमा-शुल्क नियमों का उल्लंघन

4035. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में देश में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) उनसे जब्त की गई दवाओं, स्वर्ण, चांदी, नकदी एवं विदेशी वस्तुओं की मात्रा कितनी है और उन पर लगाए जाने वाले सीमा-शुल्क का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान सीमा-शुल्क नियमों का उल्लंघन करने के लिए देश में 1181 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) उन व्यक्तियों से पकड़ी गई स्वापक औषधियों, स्वर्ण, चांदी, विदेशी और भारतीय करेंसी और अन्य विदेशी वस्तुओं की मात्रा और उन पर क्षेत्रवार उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत 3 वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001, और 2001-2002 के दौरान पकड़ी गई स्वापक औषधियों, स्वर्ण, चांदी, नकदी (विदेशी और भारतीय करेंसी) की मात्रा और उन पर क्षेत्रवार उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के क्षेत्रवार ब्यौरे

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सीमा शुल्क क्षेत्र का नाम	अभिग्रहण मूल्य (लाख रुपए में)						कालम (2) से (7) में दिए गए अभिग्रहीत माल पर उद्ग्रहणीय कुल सीमा शुल्क (लाख रुपए)
	स्वापक औषधियां	स्वर्ण	चांदी	विदेशी करेंसी (भारतीय रुपए के समतुल्य लाख रु०)	भारतीर करेंसी (लाख रु० में)	अभिगृहीत अन्य माल	
1	2	3	4	5	6	7	8
अहमदाबाद	63.26	438.47		23.16	0.95	33080.10	2780.41
बंगलौर	1222.14	637.12		369.26	137.54	3269.97	489.12
चेन्नई	907.41	2061.61		1026.10	163.73	26539.49	4353.43
हैदराबाद		743.42	0.16	82.14	17.65	4958.86	2068.62
जयपुर	140.36	49.56	26.37	0.03	4.61	586.73	15.66
कोलकाता	1793.14	681.08	12.99	495.50	125.42	16751.65	1977.42
लखनऊ	14554.29	177.75	0.52	222.20	3226.17	3427.95	181.81
मुम्बई	326.65	2633.09	0.17	1083.93	565.98	57258.69	21940.80
नई दिल्ली	735.18	652.69	2.25	1757.31	79.00	30385.89	14228.15
पुणे	860.34		12.60	15.45	0.02	1230.51	56.60

बिहार झारखंड में अनाथों का कल्याण

4036. श्री राजो सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार एवं झारखंड में अनाथों के कल्याण हेतु कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों में से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या इनमें से कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने इस वित्तीय सहायता का दुर्विनियोजन किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) एक गैर-सरकारी संगठन – बिहार स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी बिहार में अनाथों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसका पता है – मार्फत ईस्ट एण्ड वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी, अरोग्य मंदिर कैम्पस, आर०के० एवेन्यू, नाला रोड़, पटना-800 041 इस संगठन को कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया है। ऐसा कोई संगठन झारखंड में कार्यरत नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेशम कीट पालन में रोजगार की संभावना

4037. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वस्त्र** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में रेशम कीट पालन उद्योग के क्षेत्र में रोजगार सृजन की व्यापक संभावना है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन हेतु किसी योजना का प्रयोजन किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार उक्त योजना का किस वर्ष आरंभ हुआ; और

(घ) मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में तसर एवं मलबरी रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड, मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए अनुसंधान व विकास, बीज, विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी सहायता देने के अतिरिक्त अनेक केन्द्रीय और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है जिनमें उत्प्रेरक विकास योजना, गैर शहतूती रेशम के विकास के लिए यू०एन०डी०पी० सहायित उप कार्यक्रम बाह्य सहायित सेरी-2000 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) इन योजनाओं के शुरू होने के वर्ष के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में शहतूती और तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान 958.08 लाख रुपए की राशि खर्च की गयी और देश में तसर और शहतूती रेशम सहित समस्त चार प्रकार की रेशम के उत्पादन के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा नौवीं योजना के दौरान 32069.50 लाख रुपए खर्च किए गए।

विवरण

रेशम उत्पादन से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं के शुरू होने के वर्ष का राज्य-वार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य का नाम	शुरू होने का वर्ष		
		यूएनडीपी	सैरी-2000	सीडीपी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1999-2000	1997-98	1997-98
2.	अरुणाचल प्रदेश			1998-99
3.	असम	1999-2000		1997-98
4.	बिहार	1999-2000		1997-98
5.	छत्तीसगढ़	2001-2002		
6.	गुजरात			1998-99
7.	हरियाणा			1998-99
8.	हिमाचल प्रदेश			1998-99
9.	जम्मू व कश्मीर			1997-98
10.	झारखंड	1999-2000		2001-02
11.	कर्नाटक		1997-98	1997-98
12.	केरल			1997-98
13.	मध्य प्रदेश			1997-98
14.	महाराष्ट्र			1997-98
15.	मणिपुर			1997-98
16.	मेघालय	1999-2000		1998-98
17.	मिजोरम			1998-99
18.	नागालैण्ड	1999-2000		1997-98
19.	उड़ीसा	1999-2000		1997-98
20.	पंजाब			1998-99
21.	राजस्थान			1997-98
22.	सिक्किम			1998-99
23.	तमिलनाडु		1997-98	1997-98
24.	त्रिपुरा			1998-99
25.	उत्तर प्रदेश			1997-98
26.	उत्तरांचल	2001-2002		2001-02
27.	पश्चिम बंगाल	1999-2000	1997-98	1997-98

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के समक्ष लंबित आवेदन पत्र

4038. श्री सुबोध राय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के बड़ी संख्या में आवेदन पत्र कई महीनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के समक्ष लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्रमश: बारह माह, छ: माह एवं तीन माह से लंबित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) इन आवेदनों को मंजूरी देने में क्या मुख्य बाधाएं आ रही हैं; और

(घ) उद्यमियों को यथाशीघ्र अनुदान उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०सी०डी०सी०) से दिनांक 11.3.2002 को प्राप्त केवल एक आवेदन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के पास लम्बित है।

(ख) तीन माह से अधिक एक आवेदन लम्बित है।

(ग) और (घ) बिहार राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड (बी०एस०सी०डी०सी०) से मांगे गए स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है और उन्हें अनुस्मरण कराया गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए आयात सौदों की जांच

4039. **प्रो० रासासिंह रावत** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा किए गए आयात सौदों से संबंधित आरोपों की जांच करने वाले अभिकरण कौन से हैं और इसमें अंतर्ग्रस्त मद कौन से हैं;

(ख) गत दो वर्ष के दौरान ऐसी जांच के क्या परिणाम निकले और कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया;

(ग) क्या ये आयात सौदे अभी भी बने हुए हैं अथवा उन्हें रद्द कर दिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे आयात सौदों की त्वरित जांच इनमें पारदर्शिता लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०), वर्ष 1998 में ऑस्ट्रेलिया व्हीट बोर्ड (ए०डब्ल्यू०बी०) से एस०टी०सी० द्वारा आयात किए गए 1.5 मिलियन टन गेहूं के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही हैं। सी०बी०आई० ने सितम्बर, 2001 में नियमित मामला दर्ज किया है। गेहूं के आयात के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं। चूंकि अभी यह मामला सी०बी०आई० के अधिकार में है, इसलिए इस स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

[अनुवाद]

आयात-निर्यात बैंक

4040. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात-निर्यात बैंक के संगठनात्मक ढांचे में पूर्ण सुधार लाने का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवीन संगठनात्मक ढांचा कब तक स्थापित हो जाएगा ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने 2001 में एक्जिम बैंक के संगठनात्मक ढांचे में संशोधन से संबंधित बोर्ड की उप-समिति की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया है। संबोधित संगठनात्मक ढांचा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन परिकल्पित विद्यमान ढांचे के अन्दर है और इसमें अधिनियम या अधिनियम के अधीन विनियमों में कोई संशोधन अंतर्ग्रस्त नहीं है।

(ख) संशोधित संगठनात्मक ढांचे में भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कम्पनियों को ऋण सहायता, ऋणों की वसूली पर अधिक जोर और संगठन के अन्दर सम्प्रेषण में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(ग) संशोधित संगठनात्मक ढांचा पहले ही लागू हो गया है।

गरीबी उपशमन हेतु कर्नाटक को विश्व बैंक से ऋण

4041. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में गरीबी कम करने के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा संस्वीकृत ऋण की धनराशि कितनी है; और

(घ) इस सहायता से गरीबी कम करने के कितने कार्यक्रम चलाए गए ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जनवरी, 2002 में केंद्र सरकार को "चेतना" (कम्यूनिटी हेराल्डिड एम्पावरमेंट, ट्रांसफार्मेशन एंड न्यू अवेकनिंग-समुदाय प्रेरित अधिकारिता, परिवर्तन और जागरुकता) नामक एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य निर्धन लोगों की क्षमता और योग्यता में सुधार लाकर, उद्यमशीलता का निर्माण करके और सहायता प्रदान कर तथा आय-सृजन की गतिविधियों को सुदृढ़ करके निर्धनों को आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह शामिल करना है।

यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान गरीबी कम करने के विशिष्ट कार्यक्रम के लिए राज्य क्षेत्र में कर्नाटक हेतु विश्व बैंक द्वारा किसी ऋण को मंजूरी नहीं दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मांस का निर्यात

4042. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्ष के दौरान मांस का निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन जानवरों के मांस का निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान मांस का आयात भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आयातित मांस के कारण भारत में कई प्रकार के पशुजनित रोगों का प्रसार हुआ है;

(च) यदि हां, तो क्या संक्रमित मांस के आयात की रोकथाम के लिए इस संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मांस तथा मांस से बनी वस्तुओं के निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1999-2000	819.43
2000-2001	1469.69
2001-2002	1193.23

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी० सी०आई० एंड एस०), कोलकाता।

मांस तथा मांस से बनी विभिन्न प्रकार की निर्यातित वस्तुओं में गोजातीय मांस, भेड़ का मांस, बकरे का मांस तथा सूअर का मांस शामिल है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मांस तथा मांस से बनी वस्तुओं का नगण्य आयात हुआ है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

डीफरैन्शियल रेट ऑफ इन्टरेस्ट (डी०आर०आई०) योजना के अंतर्गत ऋण

4043. श्री सुकदेव पासवान : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीफरैन्शियल रेट ऑफ इन्टरेस्ट (डी०आर०आई०) योजना का आरम्भ जून, 1972 में निर्बलतम लोगों द्वारा छोटे उत्पादनकारी उद्यमों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उनके प्रयासों को समर्थन देने हेतु उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था; परन्तु गत तीन वर्ष के दौरान स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के अलावा सरकारी क्षेत्र का कोई भी बैंक निर्धारित प्रतिशत तक डी०आर०आई० योजना के अंतर्गत ऋण नहीं दे पाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले पर गौर किया गया है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पिछले वर्ष की अंत तक अपनी कुल अग्रिम राशि का 1% विभेदी ब्याज दर योजना के तहत 4% की रियायती दर पर उधार देना है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि विभेदी ब्याज दर योजना के तहत उनकी अग्रिम राशि का कम से कम 40% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिया जाए। उत्पादक प्रयोजन हेतु प्रति लाभग्राही के लिए अधिकतम सहायता 6,500/-रु० निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य 6,500/- रु० के ऋण के अतिरिक्त प्रति लाभग्राही 5,000/-रु० तक आवास ऋण ले सकते हैं। बैंक जिनमें स्टेट बैंक आफ हैदराबाद शामिल है, पिछले तीन वर्ष के दौरान लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि विभेदी ब्याज दर योजना एक ब्याज सब्सिडी योजना है, जो वर्ष 1972 में शुरू की गई थी, जबकि सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ पूंजी सब्सिडी योजनाएं जैसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, स्कवैन्जरों की मुक्ति एवं पुनर्वास की योजना बाद में शुरू की गई है, जिनमें अधिक ऋण राशि एवं अधिक पूंजी सब्सिडी की पेशकश की जाती है और जो ऋणकर्ताओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हैं। ऋणकर्ताओं ने इन योजनाओं के लिए अधिमानता दर्शाई है।

(ख) और (ग) विभेदी ब्याज दर योजना के निष्पादन की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति डी०सी०सी० और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस०एल०बी०सी०) जैसे विभिन्न मंचों में पुनरीक्षा की जाती है और उस पर विचार-विमर्श किया जाता है। विभेदी ब्याज दर योजना के तहत ऋण बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से अनुरोध किया है कि योजना के कार्यान्वयन

में कार्य-निष्पादन बढ़ाने हेतु ठोस उपाय करने की तत्काल आवश्यकता पर फिर जोर दें। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि विभेदी ब्याज दर योजना के तहत ऋण संवितरण के संबंध में बैंकों का कार्य-निष्पादन बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय करें।

[हिन्दी]

बैंकों की शाखाएं

4044. **श्रीमती जस कौर मीणा :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्ष के दौरान विदेशों में अपनी शाखाएं खोलने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वर्षवार, देशवार नाम क्या हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : वर्ष 20000 में केवल बैंक आफ बड़ौदा ने फ्लेक्क, मारिशस में एक शाखा खोली थी। वर्ष 2001 एवं 2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कोई शाखा नहीं खोली गई थी।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन क्षेत्र में व्यापारिक इकाइयों के गठन पर प्रतिबंध

4045. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री वाई०वी० राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों में नई व्यापारिक इकाइयों के गठन पर और विद्यमान व्यापारिक इकाइयों द्वारा शुल्क उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सेवा प्रदाताओं द्वारा किए जाने वाले शुल्क मुक्त आयातों पर भी प्रतिबंध लगाया है;

(घ) क्या निर्यात संवर्द्धन इकाइयां भारत में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को शुल्क का भुगतान किए बिना खरीदने की पात्र हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) निर्यात एवं आयात नीति (1 अप्रैल, 2002-31 मार्च, 2007) के अध्याय-6 में निर्यातोन्मुखी (ई०ओ०यू०) तथा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई०पी०जेड०) स्कीम के तहत नई व्यापारिक इकाइयों की स्थापना से संबंधित पैराग्राफ को हटा दिया गया है। तथापि, उन व्यापारिक इकाइयों द्वारा निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयातों पर नीति में कोई रोक नहीं है, जो 31.3.2002 को निर्यातों के लिए प्रचालनरत थीं।

(ग) ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड० के तहत सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों को निर्यात और आयात नीति के अनुसार सेवाओं के वास्तविक और माने गए निर्यात करने हेतु माल का आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(घ) और (ङ) निर्यात और आयात नीति के पैरा 7.2 (ग) के अनुसार विशेष आर्थिक जोनों की इकाइयां भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में शुल्क का भुगतान किए बगैर अपनी अपेक्षित वस्तुओं की खरीद कर सकती हैं।

आयकर विवरणी

4046. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व विभाग ने वर्ष 2001-2002 में जमा कराई गई आयकर विवरणियों में दी गई जानकारी के संबंध में कोई विश्लेषण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह बात विभाग के ध्यान में आयी है कि गैर-वेतनभोगी लोग अपनी आय के संबंध में सूचना नहीं दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा और गैर-वेतन भोगी लोगों को आयकर ढांचे के अन्तर्गत लाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों के लिए संस्थान

4047. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीनों, विकलांगों तथा मूक और बधिरों के लाभार्थ राज्यवार कितने (व्यावसायिक/तकनीकी) शिक्षा संस्थान और प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(ख) इन संस्थानों के लिए वर्ष 2001-2002 हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कार्यों में लगे विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नि:शक्तता की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत जनशक्ति विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए छह शीर्ष स्तर की संस्थाओं की स्थापना की गई है। इसके अलावा, निशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देने की योजना के अंतर्गत दृष्टि बाधितार्थ, अस्थि विकलांग और श्रवण विकलांग व्यक्तियों की शैक्षिक संस्थाओं, प्रशिक्षण केन्द्रों की परियोजनाओं के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत राज्यवार/संगठनवार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल संगठनों की संख्या, और राज्यवार निर्मुक्त धनराशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों की संख्या और निर्मुक्त धनराशि

राज्य	1999-00		2000-01		2001-02	
	संख्या	रु० लाख में	संख्या	रु० लाख में	संख्या	रु० लाख में
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	84	1208.35	91	1283.57	106	1151.64
अरुणाचल प्रदेश	2	13.00	1	6.32	2	18.98
असम	3	30.56	8	40.11	13	51.41
बिहार	11	57.68	8	162.47	19	225.42
चंडीगढ़	2	1.42	2	6.57	2	5.22
छत्तीसगढ़			1	9.08	3	12.49
दादरा और नगर हवेली					1	1.53
दिल्ली	31	679.04	34	649.54	36	527.78
गोवा	2	17.68	2	12.64	3	24.07
गुजरात	17	75.36	25	114.52	17	125.83
हरियाणा	10	59.51	15	95.44	17	73.42
हिमाचल प्रदेश	1	32.42	2	15.85	3	24.49
जम्मू और कश्मीर	2	7.24	3	12.23	4	4.36
झारखण्ड					3	7.00
कर्नाटक	58	571.99	57	640.58	67	658.89
केरल	49	442.04	55	483.72	62	539.83
मध्य प्रदेश	8	17.43	10	39.32	15	79.19
महाराष्ट्र	26	263.72	18	197.99	27	209.39
मणिपुर	7	57.06	5	56.63	8	59.89
मेघालय	4	17.41	4	46.38	5	60.10
मिजोरम	1	25.31	3	29.52	2	30.06

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड			1	2.83	1	1.78
उड़ीसा	21	193.96	24	252.26	27	313.47
पांडिचेरी	2	1.44	1	6.59	1	5.85
पंजाब	10	64.94	11	91.39	11	79.85
राजस्थान	6	88.13	11	93.99	22	155.81
सिक्किम					1	1.94
तमिलनाडु	34	325.69	37	396.07	50	426.57
त्रिपुरा	1	6.83	1	6.02	1	6.50
उत्तर प्रदेश	67	772.39	57	873.19	59	715.33
उत्तरांचल			5	95.85	8	35.18
पश्चिम बंगाल	43	365.53	42	492.52	48	448.64

[हिन्दी]

अ०जा०/अ०ज०जा० की शिक्षा

4048. श्री पी०आर० खूंटे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों विशेषकर इन जातियों से संबंधित महिलाओं और बालिकाओं के शिक्षा स्तर में सुधार लाने हेतु कोई विशेष वरीयता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन करते हैं। इन योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रम/योजनाएं

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(i) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(ii) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

(iii) अनुसूचित जाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास

(iv) पुस्तक बैंक योजना

(v) योग्यता का उन्नयन

(vi) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

(vii) अत्यन्त कम साक्षरता स्तरों वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम

(viii) कोचिंग एवं संबद्ध सहायता

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय

(i) लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण

(ii) लड़कों के छात्रावासों का निर्माण

(iii) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना

(iv) पुस्तक बैंक योजना

(v) महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर

(vi) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(vii) विदेश में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

(viii) योग्यता का उन्नयन

[अनुवाद]

एल०आई०सी० सॉफ्टवेयर परियोजना

4049. श्री पी०आर० किन्दिया : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम अन्तर्राष्ट्रीय बीमा बाजार के लिए सॉफ्टवेयर उत्पाद डिजाइन करने हेतु अग्रणी सॉफ्टवेयर फर्मों के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पूरी परियोजना की लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना किस तिथि तक चालू हो जाएगी ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वह ऐसे किसी प्रस्ताव पर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में वृद्धाश्रम

4050. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जिलावार कितने वृद्धाश्रम कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में विशेषकर कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों में और अधिक वृद्धाश्रम स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन गृहों को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान इन गृहों से जिलावार कितने वृद्ध लाभान्वित हुए हैं; और

(च) इन गृहों को क्या अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने पर प्रस्ताव है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) उड़ीसा में वृद्धाश्रमों की एक जिलेवार सूची, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता तथा वर्ष 2000-01 और 2001-02 के सम्बन्ध में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। राज्यों/जिलों में नए वृद्धाश्रमों की स्थापना गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त आवेदन, बजट की उपलब्धता तथा राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर की जाती है।

इस सूची के अंतर्गत के०बी०के० जिलों की स्थिति शामिल है, जहां इन तीन जिलों में से प्रत्येक में एक-एक वृद्धाश्रम है।

(च) जी, नहीं। सुविधाओं का वित्त पोषण अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाता है।

विवरण

वित्त वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान उड़ीसा में जिलेवार वृद्धाश्रम, प्रदान की गई वित्तीय सहायता तथा लाभग्राहियों की संख्या

क्रम सं०	जिला	गैर-सरकारी संगठन का नाम	परियोजना संख्या	2000-01		2001-02	
				लाभग्राहियों की संख्या	रु० लाखों में	लाभग्राहियों की संख्या	रु० लाखों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंगुल	ग्राम सेवा मंडल	*-1	25	1.38	25	2.76
2.	बोलंगीर	ग्राम मंगल पथगार	*-1	25	3.88	25	1.38
3.	भुवनेश्वर	उड़ीसा बहुद्देशीय विकास केन्द्र	*-1	0	0	25	5.42
4.	भुवनेश्वर	जनकल्याण समिति	*-1	0	0	25	2.39
5.	भुवनेश्वर	आर्गेनाइजेशन फॉर शोसल चेन्ज एण्ड रूरल डेवलपमेंट	*-1	0	0	25	3.94
6.	कटक	सामाजिक पुनर्निर्माण कार्यकलाप संगठन	*-1	0	0	25	4.14
7.	कटक	बासुदेव पथागार	*-1	25	2.54	25	2.76
8.	कटक	डॉ० अम्बेडकर रूरल ओलम्पिक एसोसिऐशन	*-1	0	0	25	0.76
9.	धेनकनाल	आदर्श सेवा संगठन	*-1	25	2.47	25	1.38
10.	धनेकनाल	अरुण इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स	*-1	25	2.7	25	1.38

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	धेनकनाल	कम्युनिटी लीगल एक्शन एण्ड रिसर्च सेन्टर	*-1	25	1.33	0	0
12.	धेनकनाल	महर्षि दयानन्द सर्विस मिशन	*-1	25	2.76	25	2.76
13.	धेनकनाल	सोसाइटी फॉर रूरल एडवांसमेंट एण्ड डेमोक्रेटिक ह्युमेनिटेरियन एक्शन	*-1	25	2.47	25	1.34
14.	गंजाम	इन्स्टीट्यूट फॉर वुमेन्स वेल्फेयर	*-1	0	0	25	2.18
15.	कालाहांडी	श्री रामकृष्ण आश्रम	*-1	25	1.39	25	2.76
16.	केन्द्रपाड़ा	जन सेवा परिषद	* 1	25	2.14	25	4.03
17.	केन्द्रपाड़ा	इण्डियन विलेज डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन	*-1	0	0	25	1
18.	केन्द्रपाड़ा	लुथरन महिला समिति	*-1	25	1.32	25	1.32
19.	केन्द्रपाड़ा	जनकल्याण सेवा संस्था	*-1	25	2.53	25	1.38
20.	क्योंझार	विष्णुप्रिया बालाश्रम	*-1	0	0	25	4.11
21.	खुर्दा	राष्ट्रीय महिला विकास संसाधन केन्द्र	*-1	0	0	25	1.25
22.	खुर्दा	भैरवी क्लब	*-1	25	1.38	25	2.52
23.	खुर्दा	युवा ज्योति क्लब	*-1	0	0	25	2.67
24.	खुर्दा	यूनियन फॉर लर्निंग ट्रेनिंग एण्ड रिफार्मेटिव एक्टिविटी	*-1	0	0	25	2.54
25.	खुर्दा	विश्व जीवन सेवा संघ	*-2	50	5.52	50	5.52
26.	कोरापुट	गांधीयन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट	*-1	0	0	25	1.25
27.	नयागढ़	नेशनल इन्स्टीट्यूट पुट ऑफ ट्राइबल वेल्फेयर एण्ड सोसल एक्शन	*-1	0	0	25	1.09
28.	नयागढ़	अनेथ परित्यक्ता बालाश्रम	*-1	25	2.53	0	0
29.	नयागढ़	जनविकास	* 1	25	2.76	0	1.38
30.	फुलबनी	बनवासी सेवा समिति	*-1	25	2.37	25	2.36
31.	फुलबनी	सुभद्रा मेहताब सेवा सदन	*-1	0	0	25	2.67
32.	पुरी	एसोसियेशन फॉर वोलन्ट्री एक्शन	*-1	0	0	25	2.76
33.	पुरी	बांकेश्वरी युवक संघ	*-1	25	2.76	25	2.76
34.	पुरी	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	*-2	50	2.76	50	8.82
35.	पुरी	रत्नाचिरा	*-1	25	2.76	25	1.38
36.	पुरी	जयकिशन यूथ क्लब	*-1	0	0	25	1.51
37.	पुरी	अदल बदल महिला समिति	*-1	0	0	25	1.52
38.	मयुरभंज	रूरल डेवलपमेंट एक्शन सेल	*-1	0	0	25	4.72
	कुल			550	49.75	925	93.91

* = वृद्धाश्रम

अंत्योदय योजना

4051. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अंत्योदय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आपूर्ति की जाने वाली चीनी के मूल्य को कम करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है और उसे स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित की जा रही लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य को संशोधित कर उसे अंत्योदय योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों के लिए 13.25 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर 5.00 रुपये प्रति किलोग्राम करने और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 10.00 रुपये प्रति किलोग्राम करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के लिए महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को मानना संभव नहीं होगा क्योंकि इससे सरकारी राजकोष पर राजसहायता का बोझ बढ़ेगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों का निवारण

4052. डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर हुए अत्याचारों के निवारण के अंतर्गत कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 812.86 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

(ख) से (घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की केन्द्रीय सहायता का उपयोग 875.19 लाख रु० बनता है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता और उपयोग में भिन्नता, किए गए वास्तविक व्यय की तुलना में राज्य सरकार द्वारा प्रत्याशित व्यय में अंतर के कारण है।

अनुसंधान विस्तार केन्द्रों को बंद करना

4053. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रेशम बोर्ड के अन्तर्गत कुछ अनुसंधान विस्तार केन्द्रों को बंद करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड को अपने किसी भी अधीनस्थ-एकक को आवश्यकतानुसार खोलने/पुन: स्थापित करने/बन्द करने की स्वायत्ता प्राप्त है।

अनधिकृत फसलें

4054. डा० डी०वी०जी० शंकर राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड अनधिकृत फसलों पर जुर्माना तय करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अतिशय और अनधिकृत फसलों में वर्ष-दर वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप बाजार में तम्बाकू के स्टाकों के ढेर लग रहे हैं और व्यापारियों को अतिशय स्टाकों के कारण घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो अनधिकृत और अतिशय फसलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) तम्बाकू बोर्ड अनधिकृत तथा फालतू उत्पादित फ्लू

क्योर्ड वर्जीनिया (एफ०सी०वी०) तम्बाकू पर सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेवा प्रभार वसूल करता है।

(ख) से (घ) पिछले कुछ वर्षों में उत्पादकों द्वारा उत्पादित फालतू तथा अनधिकृत फसल से बाजार में मांग तथा आपूर्ति का संतुलन प्रभावित हुआ है। तथापि, संचित स्टाक की समस्या पिछले वर्ष में कम हो गई है। सरकार ने अनधिकृत तम्बाकू पर जुर्मानों में वृद्धि करके ऐसे फालतू उत्पादन को अलाभकारी बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को ऐसा अधिक उत्पादन न करने तथा वैकल्पिक फसलों का उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक सघन शैक्षणिक अभियान शुरू किया है।

तम्बाकू बोर्ड की ऑनलाइन प्रणाली

4055. **श्री राम मोहन गाइडे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड का विचार ऑनलाइन प्रणाली आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली को आरंभ करने में कितनी लागत आएगी; और

(ग) उचित ग्रेडिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के बिना ऑन लाइन प्रणाली को आरंभ करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। तम्बाकू बोर्ड की ऑनलाइन प्रणाली का आशय तम्बाकू बोर्ड के सभी क्रियाकलापों को स्वचालित करना और तम्बाकू बोर्ड के सभी कार्यालयों और नीलामी प्लेटफार्मों को इलेक्ट्रानिक रूप से जोड़ना है। इस प्रणाली से उत्पादकों, व्यापारियों और विनिर्माताओं को शीघ्रता से सूचना प्राप्त होने का सुनिश्चय हो जाएगा।

(ग) ऑनलाइन एक अलग स्कीम है जो ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है।

एस०टी०सी० का कारोबार

4056. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 से एस०टी०सी० के कुल कारोबार में एकदम गिरावट देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या एस०टी०सी० की शीर्ष प्रबंधन को सुचारू बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 से राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) जो एक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है, का कारोबार निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु० में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02 (अनंतिम)
सरकार का खाता	1693.00	1465.00	433.00	183.00	–
एसटीसी का खाता	1174.00	429.00	730.00	857.00	1582.00
कारोबार	2867.00	1894.00	1163.00	1040.00	1582.00

राज्य व्यापार तन्त्र के विघटन के फलस्वरूप एस०टी०सी० ने प्रतिस्पर्धात्मक गैर सरणीबद्ध व्यापार में निरन्तर वृद्धि दर्ज की है।

(ग) एस०टी०सी० के कार्य-निष्पादन की समीक्षा सामान्यतया वार्षिक रूप से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) और आवश्यकतानुसार उठाए गये सुधारात्मक कदमों के आधार पर की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में एस०टी०सी० के सम्पूर्ण कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा भी किया जाता है। मूल्यांकन के अनुसार, इस अवधि के दौरान एस०टी०सी० के निष्पादन को कुल मिलाकर "बहुत अच्छा" दर्जा दिया गया है।

(घ) जी नहीं, तथापि एस०टी०सी० में विनिवेश अग्रिम अवस्था में पहुंच गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शुल्क-मुक्त रियायत प्रमाण पत्र योजना में परिवर्तन

4057. **श्री ताराचन्द भगोरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एशोचेम" ने शुल्क-मुक्त रियायत प्रमाण पत्र योजना की निर्यात प्रोत्साहन योजना हेतु कुछ परिवहन सुझाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुल्क-मुक्त रियायत प्रमाण पत्र योजना निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने के बावजूद ईंधनों के हस्तान्तरण की अनुमति नहीं देती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की ''एशोचेम'' द्वारा दिये गये सुझावों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) एसोचेम ने सुझाव दिया है कि क्रिया-विधि पुस्तिका के पैराग्राफ 4.9 (ग) को समाप्त किया जाना चाहिए जिसमें यह शर्त निर्धारित की गई है कि ईंधन की अनुमति केवल किसी वास्तविक प्रयोक्त लाइसेंस पर ही दी जाएगी और इसलिए उसके आयात की अनुमति डी०एफ०आर०सी० के तहत नहीं दी जाएगी, जो स्वरूप में हस्तांतरणीय है।

(ङ) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत ईंधन के शुल्क-मुक्त आयात की सुविधा बहुत सीमित रूप में शुरू की गई है ताकि बिजली की कमी को दूर करने के लिए कारखानागत बिजली संयंत्र की स्थापना करने हेतु विनिर्माता निर्यातक को प्रोत्साहित किया जा सके। इसे विद्युत इमदाद योजना बनाने की मंशा नहीं है और यह केवल उनके लिए उपलब्ध है जो इसे वास्तविक प्रयोक्ता अग्रिम लाइसेंस के तहत अपना रहे हैं क्योंकि इस स्कीम का विनियामक तंत्र किसी लीकेज/दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त है।

धनशोधन रोधी कानून

4058. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने सिंगापुर में धन-शोधन कार्यकलापों में भारतीय बैंकों की संभावित संलिप्तता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को चेताया है;

(ख) यदि हां, तो सिंगापुर द्वारा जारी चेतायी गई सूची में प्रदर्शित किये जाने वाले भारतीय बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सिंगापुर प्राधिकरण ने भारत में कारगर धनशोधन रोधी कानूनों के अभाव पर चिंता व्यक्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की सिंगापुर की चेतावनी पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

शहरी सरकारी बैंक

4059. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ''संकटपूर्ण सूची'' में डाले गए शहरी सहकारी बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे शहरी सहकारी बैंकों में नामिती नियुक्त कियां है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों (यू०सी०बी०) को ''संकटपूर्ण'' के रूप में वर्गीकृत करने की कोई पद्धति नहीं है। तथापि, वर्ष 1999 से वित्तीय रूप से कमजोर शहरी विकास बैंकों को ''कमजोर'' अथवा ''रुग्ण'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन शहरी सहकारी बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है; उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक की नियुक्ति के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों को यथा लागू) में कोई उपबंध नहीं है। तथापि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 36(1) (घ) (झ) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दो कमजोर शहरी सहकारी बैंकों नामत: बम्बई मर्केन्टाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई और जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे में इन बैंकों के निदेशक मंडल की बैठकों की कार्यवाहियां देखने के लिए प्रेक्षक नियुक्त किए हैं।

विवरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान ''कमजोर'' कोटि में शामिल शहरी सहकारी बैंकों की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	बैंक का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	अन्नपुर्णा महिला शहरी सहकारी बैंक
2.		गुंटूर को-आपरेटिव शहरी बैंक लि०
3.	कर्नाटक	श्री मौनेश्वर शहरी सहकारी बैंक लि०
4.		अक्कामहादेवी महिला सहकारी बैंक लि०
5.		कावेरी शहरी सहकारी बैंक लि०
6.		महिला शक्ति शहरी सहकारी बैंक लि०
7.		अक्की-अलूर शहरी सहकारी बैंक लि०
8.		रामनगरम शहरी सहकारी बैंक लि०
9.		बंगलोर मर्केन्टाइल शहरी सहकारी बैंक
10.		वीरशैवा शहरी सहकारी बैंक लि०
11.		दि एस०एस०के० सहकारी बैंक लि०

1	2	3
12.	केरल	कर्मणा शहरी सहकारी बैंक लि०
13.		निलेश्वर शहरी सहकारी बैंक लि०
14.	महाराष्ट्र	जिजामाता महिला सहकारी बैंक लि०
15.		अन्नासाहेब कारले नागरिक जनता सहकारी बैंक लि०
16.		राहुरी पिपल्स सहाकारी बैंक लि०
17.		यशवन्त कामगार सहकारी बैंक लि०
18.		रहिमतपुर सहकारी बैंक लि०
19.		सेवालाल शहरी सहकारी बैंक लि०
20.		जैन सहकारी बैंक लि०
21.		यूवतमाल शहरी सहकारी बैंक लि०
22.		जिजामाता महिला नागरी सहकारी बैंक लि०
23.		परिवर्तन सहकारी बैंक लि०
24.	गुजरात	सहकारी बैंक आफ अहमदाबाद लि०
25.		उमरेठ पिपल्स सहकारी बैंक लि०
26.		डायमंड जुबली सहकारी बैंक लि०, सूरत
27.		ध्रानगांधारा पिपल्स सहकारी बैंक लि०
28.		कपडवांज पिपल्स सहकारी बैंक लि०
29.		श्री सावरकुंडला नागरिग सहकारी बैंक लि०
30.		श्री पार्श्वनाथ सहकारी बैंक, राजकोट
31.		नरोडा नागरिक सहकारी बैंक लि०, अहमदाबाद
32.		शेठ बी०बी० श्राफ बुलसर पिपल्स सहकारी बैंक लि०
33.		करमसाद शहरी सहकारी बैंक लि०
34.		गानदेवी पिपल्स सहकारी बैंक लि०
35.		सूरत नागरिक सहकारी बैंक लि०
36.		अदजान नागरिक सहकारी बैंक लि०
37.		नवसारी पिपल्स सहकारी बैंक लि०
38.		श्री चन्नी नागरिक सहकारी बैंक लि०
39.	रा०राज० क्षेत्र, दिल्ली	जैन सहकारी बैंक लि०
40.		इनोवेटिव शहरी सहकारी बैंक लि०
41.	मध्य प्रदेश	शेर नागरिक सहकारी बैंक लि०, जबलपुर
42.		जबलपुर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि०
43.		नागरिक सहकारी बैंक लि०, रतलाम
44.	छत्तीसगढ़	बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि०
45.	राजस्थान	भरतपुर शहरी सहकारी बैंक लि०
46.		बूंदी शहरी सहकारी बैंक लि०
47.		धौलपुर शहरी सहकारी बैंक लि०
48.		कोटा नागरिक सहकारी बैंक लि०
49.	पश्चिम बंगाल	बारानगर सहकारी बैंक लि०

चाय उद्योग के लिए समिति

4060. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चाय उद्योग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति को किन-किन प्रमुख पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बुरी तरह प्रभावित होने वाले देश के उन छोटे चाय उत्पादकों के लिए एक सुनिश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) चाय, कॉफी, प्राकृतिक रबड़ और तम्बाकू के लिए एक कीमत स्थिरीकरण निधि जो एक नई संकल्पना है और जिसकी जटिलताओं का गहन आकलन करने की जरूरत है, को प्रारंभ करने की दृष्टि से एक समिति का गठन किया गया है जिसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन०सी०ए०ई०आर०) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(घ) फिलहाल लघु चाय उत्पादकों के लिए आश्वस्त कीमत सुनिश्चित करने के लिए कोई स्कीम प्रचालित नहीं है।

सीमा-शुल्क विभाग का कार्यकरण

4061. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में सीमा-शुल्क विभाग की विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या आने वाले भारतीय और विदेशी यात्रियों के साथ सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया अपनाए जाने के कारण इनके द्वारा काफी उत्पीड़न झेले जाने की सूचना है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में पता लगे मामलों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। सीमा-शुल्क विभाग का अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कार्य कर रही अन्य एजेंसियों के साथ समुचित और प्रभावपूर्ण तालमेल है। जिसमें विभाग कंपनियां, आप्रवासन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आदि, शामिल हैं।

(ख) से (घ) परेशान करने की शिकायतों के मामले विभाग के ध्यान में आए हैं, जिनका उल्लेख किया गया है :–

वर्ष	सूचित मामलों की संख्या
1999-2000	38
2000-2001	25
2001-2002	11

सूचित किए गए परेशान करने संबंधी मामलों की जांच की जाती है और दोषी पाए गए अधिकारियों को दंडित करने की आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

पंजाब में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4062. श्री भान सिंह भौरा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में कुछ परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है;

(घ) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत अभी तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना को पूरा करने हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां। समेकित जलसंभर विकास परियोजना (पर्वतीय) II नामक एक राज्य क्षेत्र (बहुराज्यीय) परियोजना पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें भागीदार राज्यों में से पंजाब एक राज्य है।

(ख) से (ङ) इस परियोजना पर दिनांक 14.7.1999 को विश्व बैंक के साथ के साथ 85 मि० अमरीकी डालर की कुल ऋण राशि तथा 50 मि० अमरीकी डालर के कुल उधार के लिए हस्ताक्षर हुए थे। इस परियोजना ने जून, 2002 तक 49.83 मि० अमरीकी डालर की राशि का उपयोग किया है, जिसमें से 9.94 मि० अमरीकी डालर का उपयोग पंजाब घटक के लिए किया गया है। इस परियोजना के दिनांक 31.3.2005 को समाप्त होने की सम्भावना है।

तम्बाकू बोर्ड द्वारा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

4063. श्री वाई०वी० राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू बोर्ड द्वारा कौन-सा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड ने केन्द्र सरकार से ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम हेतु अनुदान-सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) तम्बाकू बोर्ड द्वारा कार्यान्वित उर्जा संरक्षण स्कीमों में दो घटक अर्थात् ''रूफ इन्सुलेशन ऑफ बार्नस'' तथा ''इम्प्रूव्ड डिजाइन ऑफ वेनटूरी फरनेस'' शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि निम्नानुसार है :–

वर्ष	राशि लाख रु० में
1999-2000	0.45
2000-2001	0.90
2001-2002	2.36
कुल	3.71

(ग) और (घ) तम्बाकू बोर्ड ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में ''इम्प्रूव्ड डिजाइन ऑफ वेनटूरी फरनेस'' स्कीमों को जारी रखने का अनुरोध किया था। इस स्कीम को वर्ष 2002-03 की वार्षिक योजना में क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

टी०आर०आई०एफ०ई०डी० (ट्राइफेड) के अंतर्गत आवंटित निधियां

4064. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जून, 2002 तक इंडियन ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट लि० के अंतर्गत योजनाओं के निष्पादन हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया और कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) "ट्राइफेड" के माध्यम से देश में कराए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान झारखंड और बिहार में क्या कार्य कराये गए हैं ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

(ग) ट्राइफेड द्वारा, झारखंड और बिहार राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया प्रापण (मूल्य दर) निम्नलिखित है :-

वर्ष	मूल्य (रुपए लाख में)
1999-2000	17.66
2000-2001	158.74
2001-2002	शून्य

विद्यमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई प्रापण अब तक नहीं किया गया है। तथापि, ट्राइफेड का लक्ष्य 162.76 रुपए मूल्य वाले कुसुम बीज, काला चना, नाइगर बीज और लाल चने का प्रापण करने का है।

विवरण-I

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के अधीन ट्राइफेड को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

योजना	1999-2000		2000-2001		20001-2002		2002-2003	
	आवंटित बजट	निर्मुक्त धनराशि	आवंटित बजट	निर्मुक्त धनराशि	आवंटित बजट	निर्मुक्त धनराशि	आवंटित बजट	निर्मुक्त धनराशि
ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	500.00	296.56	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	शून्य
शेयर पूंजी में निवेश	25.00	25.00	100.00	शून्य*	100.00	शून्य*	1.00	शून्य
अन्न बैंक	400.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	2000.00	शून्य

* ट्राइफेड की 100.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के मुकाबले प्रदत्त शेयर पूंजी 99.98 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अतः निधियां निर्मुक्त नहीं की गई।

विवरण-II

ट्राइफेड के माध्यम से देश में किए जा रहे कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(क) जनजातीय क्षेत्रों से कृषि और लघु वन उत्पाद की अभिप्राप्ति :

देश की जनजातियों को उनके द्वारा पैदा किए गए/संग्रहित उत्पाद के लाभकारी मूल्य देने तथा उन्हें शोषणकारी ताकतों से संरक्षित रखने को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड देश के जनजातीय क्षेत्रों से कृषि और लघु वन उत्पादों की अभिप्राप्ति करता है।

ट्राइफेड देश में स्थापित प्रादेशिक कार्यालयों के माध्यम से जो जगदलपुर, भुवनेश्वर, मुम्बई, हैदराबाद, जयपुर, गुवाहाटी, रांची, भोपाल, बंगलौर अहमदाबाद और दिल्ली (नार्थ सैल) में स्थित है, कार्य करता है।

यह कार्य ट्राइफेड सीधे अपने कार्यालयों तथा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों, वित्त विकास निगमों, जिला स्तर की सहकारी समितियों, वन धन समितियों (स्वयं सहायता समूहों) तथा ऐसे क्रियाकलापों से जुड़े राज्य के सम्बद्ध अभिकरणों के माध्यम से करता है।

ट्राइफेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई मूल्य दर प्रापण तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान 30.6.2002 तक के प्रापण निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	प्रापण का मूल्य (रुपए लाख में)
1999-2000	7667.00
2000-2001	8339.00
2001-2002 (बिना लेखा परीक्षा के)	3930.00
2002-2003 (30.6.2002 तक स्थायी)	1181.00

भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग ने ट्राइफेड को जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में, तेल के बीजों और दालों के प्रापण के लिए समर्थन मूल्य संबंधी कार्यों के लिए एक अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है। पिछली 2002 की रबी की फसल से ट्राइफेड ने न्यूनतम सहायता मूल्य के अधीन 139.55 लाख रुपए का प्रापण किया।

(ख) निर्यात :

नाइगर बीज और गम कराया के निर्यात के लिए ट्राइफेड एक अकेला माध्यम अभिकरण है, इसके अलावा, लाख के निर्यात और लाख उत्पादों के निर्यात के रजिस्टर करने का भी यह एक प्राधिकरण है। गत तीन वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष निर्यातों सहित निम्नलिखित मूल्य के निर्यात किए गए :–

वर्ष	निर्यात का मूल्य (रुपए लाख में)
1999-2000	1520.90
2000-2001	1433.00
2001-2002	2238.06
2002-2003 (30 जून, 2002 तक)	468.63

(ग) प्रशिक्षण और विकास :

लाख, हिल ब्रूम, अदरक, इमली, नीम बीज, गम कराया, औषधीय जड़ी बूटियां इत्यादि जैसी विभिन्न वस्तुओं के संबंध में बेहतर उपज, संग्रहण, संरक्षण, मूल्य वृद्धि और विपणन के लिए ट्राइफेड जनजातियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(घ) अन्न बैंक :

अन्न बैंक की योजना दूरदराज में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के पोषाहार के स्तर में गिरावट के विरुद्ध उपाय के रूप में तथा भुखमरी कुपोषण इत्यादि के कारण जनजातियों की मृत्यु रोकने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान शुरू की गई थी। ट्राइफेड को अन्न बैंकों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/चैनेलाइजिंग अभिकरणों को धनराशि निर्मुक्त करने के लिए संवितरण प्राधिकरण नामित किया गया है। ट्राइफेड ने विभिन्न राज्यों को 1876 अन्न बैंक स्थापित करने के लिए 2001-2002 तथा 1024.38 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की है।

(ङ) परियोजनाएं

ट्राइब्स :

ट्राइफेड ने दिल्ली में जनजातीय कारीगरों द्वारा निर्मित हस्तशिल्पों के संवर्धन के लिए दिल्ली में ''ट्राइब्स'' नामक बिक्री केन्द्र की स्थापना की है। जनजातीय हस्तशिल्पों के विपणन के साथ-साथ जनजातीय कारीगरों द्वारा निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शिनी व बिक्री भी समय-समय पर ''ट्राइब्स'' द्वारा आयोजित की जाती है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में नैदानिक मनोविज्ञान महाविद्यालय

4065. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद मध्य प्रदेश में नैदानिक मनोविज्ञान पर एक विशेष महाविद्यालय स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी है;

(ग) यह महाविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थापित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे ही महाविद्यालय अन्य राज्यों में भी स्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी गोदाम किराये पर लेना

4066. श्री अशोक ना० मोहोल :
डा० (श्रीमती) सुधा यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य-वार कितने निजी गोदामों को किराये पर लिया गया है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का अनाज-वार बफर-स्टाक कितना है; और

(ग) महाराष्ट्र में ''बोल्ट'' योजना के अंतर्गत कितने गोदाम निर्मित किए गए ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए निजी गोदामों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	ढके हुए	ढके हुए और प्लिंथ (कैप)	जोड़
2000-2001*	265	116	381
2001-2002**	254	120	374
2002-2003*** (अनंतिम)	254	114	368

* 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार

** 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार

*** 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार

राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों की अनाजवार बफर स्टाक स्थिति निम्नानुसार है :–

(आंकड़े लाख टन में)

जिंस	भारतीय खाद्य निगम के पास स्टाक
चावल	203.32
गेहूं	121.20
जोड़	324.52

(ग) महाराष्ट्र सहित देश में कहीं भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिल्ड-ओन-लीज ट्रांसफर (बोल्ट) योजना के अंतर्गत किसी गोदाम का निर्माण नहीं किया गया है।

विवरण

*31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार

**31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार

***30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार

राज्य	भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए निजी गोदामों की संख्या					
	2000-2001*		2001-2002**		2002-2003*** (अनंतिम)	
	ढकी हुई	कैप	ढकी हुई	कैप	ढकी हुई	कैप
1	2	3	4	5	6	7
बिहार	12	–	12	–	12	–
झारखण्ड	4	–	4	–	4	–
उड़ीसा	1	–	1	–	1	–
पश्चिम बंगाल	13	–	12	–	12	–
सिक्किम	–	–	–	–	–	–
असम	18	–	16	–	16	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
मेघालय	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	–	–	–
नागालैण्ड	1	–	1	–	1	–
त्रिपुरा	1	–	1	–	1	–
दिल्ली	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	21	3	22	7	22	5
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	3	—	5	—	5	—
पंजाब	107	73	111	74	111	60
चंडीगढ़	2	5	1	4	1	3
राजस्थान	11	15	12	18	12	18
उत्तर प्रदेश	19	7	18	1	18	14
उत्तरांचल	8	—	3	1	3	—
आंध्र प्रदेश	16	1	11	—	11	—
केरल	1	—	1	—	1	—
कर्नाटक	4	—	1	—	1	—
तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
गुजरात/कांडला	6	6	5	5	5	5
महाराष्ट्र और गोआ	7	2	7	3	7	3
मध्य प्रदेश	6	5	7	7	7	6
छत्तीसगढ़	4	—	—	—	3	—
जोड़	265	116	254	120	254	114

बैंकों के लाभ

4067. डा० मन्दा जगन्नाथ :
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान देश की कुल बैंकिंग में सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का लाभ तथा हिस्सा विदेशी बैंकों की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित निवल लाभ और बैंकों की कुल आस्तियों में अनके प्रतिशत हिस्से का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु० में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्रों के बैंक		विदेशी बैंक	
	लाभ	कुल आस्तियों में % हिस्सा	लाभ	कुल आस्तियों में % हिस्सा
1999-00	5116	80.56	968	7.49
2000-01	4317	79.52	945	7.86
2001-02	8071	74.27	1493	7.61

पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रु० में)

संस्थाएं	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4
आईडीबीआई	947.0	691.0	424.27
आईएफसीआई	59.4	(-)265.9	-891.00
आइंसीआईसीआई	1205.8	537.3 @	+

1	2	3	4
आईआईबीआई	37.95	110.29	41*
सिडबी	459.4	477.5	281.74

@ 813 करोड़ रु० के त्वरित प्रावधान और बट्टे खाते को छोड़कर

+ अब वित्तीय संस्था नहीं है

* आंकड़े अनन्तिम

वर्ष 2000-01 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर व्यय की वजह से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निवल लाभ में गिरावट आई थी। तथापि, वर्ष 2001-02 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ में पर्याप्त वृद्धि दिखाई दी।

वर्ष 2000-2001 में भारत में बैंकों की कुल आस्तियों में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में मामूली गिरावट आई थी। वर्ष 2001-02 में आई०सी०आई०सी०आई० लि० का आई०सी० आई०सी०आई० बैंक के साथ विलय होने के कारण वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति के आकार में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की पर्याप्त वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की कुल आस्तियों में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए कई उपाय करने का परामर्श दिया है जिसमें उनकी स्टाफ संख्या और शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने, अंचल कार्यालयों को युक्तिसंगत बनाने, अनुपयोज्य आस्तियों में कमी करने तथा नई अनुपयोज्य आस्तियों की घटना को रोकने, निधियों की लागत, परिचालनों की लागत को कम करने तथा उनकी दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय शामिल हैं।

उदारीकरण नीति की समीक्षा

4068. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान आर्थिक मंदी के मद्देनजर उदारीकरण नीति के विधान ढांचे के समीक्षा की है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य एशियाई देशों यथा चीन, जापान के आर्थिक मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) वर्ष 1991 के बाद से सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने और विकास की प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करने के लिए व्यापार, उद्योग, वित्तीय और सरकारी क्षेत्रों में कई सुधार किए हैं। उदारीकरण की इन नीतियों की सरकार द्वारा निरन्तर संवीक्षा की जाती है और बदलते हुए आर्थिक परिवेश पर निर्भर करते हुए जब भी आवश्यक हो उचित नीतियां तैयार की जाती हैं और उपाय किए जाते हैं। देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय बजट, 2002-03 में और सुधारों की घोषणा की गई है। ये उपाय इस प्रकार हैं : कृषि और खाद्य अर्थव्यवस्था सुधार, आधारढांचे में निवेश बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करना, संरचनात्मक सुधारों को गहन बनाना, औद्योगिक विकास को उन्नत बनाना तथा कर सुधारों का समेकन आदि।

(ग) और (घ) सरकार, देश के लिए उपयुक्त आर्थिक नीतियां तैयार करते समय चीन और जापान सहित कई देशों के विकास संबंधी अनुभवों को ध्यान में रखती है।

बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां

4069. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के वित्तीय निष्पादन से पता चलता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल गैर-निष्पादक आस्तियां वर्ष 2000-2001 में 14,34,171 करोड़ रुपए की तुलना में 14,36,763 करोड़ रुपए हो गई थी;

(ख) क्या बहुत से विदेशी बैंक वर्ष 2001-2002 के दौरान अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर कम करने में सफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की घटी संख्या के कारण बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली करने के प्रयास नहीं कर सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 35208.63 करोड़ रु० थीं, जबकि 31.3.2001 को अनुपयोज्य आस्तियां 33082.76 करोड़ रु० की थीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 41 विदेशी बैंकों में से केवल 19 बैंकों ने 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार निवल अनुपयोज्य आस्तियों के अनुपात में गिरावट की सूचना दी है। सभी विदेशी बैंकों की निवल अनुपयोज्य आस्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार एक साथ 393 करोड़ रु० (अनन्तिम) या 53.11% बढ़ीं।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंक निपटान सलाहकार समितियों, एकबारगी निपटान योजनाओं, लोक अदालतों, कंपनी ऋण पुनर्गठन तंत्र, ऋण वसूली अधिकरण एवं न्यायालयों के जरिए अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए प्रभावी प्रयास कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

यू०टी०आई० बैंक में यू०टी०आई० की हिस्सेदारी

4070. **श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू०टी०आई० ने हाल ही में यू०टी०आई० बैंक में अपनी लगभग 21 प्रतिशत धारिताएं बेच दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यू०टी०आई० अन्य कंपनियों तथा आई०टी०सी०, बी०एस०ई०एम० और एल० एण्ड टी० की धारिताएं बेचने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में यू०टी०आई० का ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि उसने यू०टी०आई० बैंक में अपनी धारिता की 21 प्रतिशत की बिक्री नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यू०टी०आई० द्वारा निवेश/विनिवेश संबंधी निर्णय स्वयं अपने वाणिज्यिक फैसले के आधार पर लिए जाते हैं। यू०टी०आई० ने सूचित किया है कि विशिष्ट कार्यवाहियों के ब्यौरे पहले ही प्रकट नहीं किए जा सकते क्योंकि इससे निवेशकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय

4071. **श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने के लिए योजना आयोग को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे आवासीय विद्यालय स्थान-वार कब तक खोले जाने का प्रस्ताव है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) जी, हां। छठी से बारहवीं कक्षा तक में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना करने संबंधी एक प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया है। एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए, सरकार संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना करने संबंधी एक कार्यक्रम को पहले ही कार्यान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

चीनी विकास कोष के ऋण का पुनर्भुगतान

4072. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**
श्री के० येरननायडू :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने चीनी विकास कोष के ऋण के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान पर स्थगन की अवधि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ही अनुरोध अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अनुरोधों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सर्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने चीनी विकास निधि के ऋण की अदायगी के संबंध में ऋणस्थगन अवधि 8 वर्ष से बढ़ाकर 11 वर्ष करने का अनुरोध किया था ताकि निजाम शुगर्ज लि० की उन 3 चीनी यूनिटों को कुछ राहत प्रदान की जा सके, जिन्हें प्राइवेट प्रोमोटरों को अंतरित करने के समय तक आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से 17.89 करोड़ रुपये का कुल ऋण वितरित किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया था कि उसने निजाम शुगर्ज लि० की सभी यूनिटों का निजीकरण करने का निर्णय ले लिया है। चीनी विकास निधि नियम, 1983 में ऋणस्थगन अवधि बढ़ाने की व्यवस्था नहीं है।

तथापि, चीनी विकास निधि नियम, 1983 में यह व्यवस्था है कि यदि ऋण की राशि की अदायगी अथवा इसकी किसी किस्त या उस

पर ब्याज की अदायगी में चूक होती है तो चूक की राशि पर अढ़ाई प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर अतिरिक्त ब्याज भुगतान करना होगा। अभी ऋणों की अदायगी चीनी विकास निधि नियम, 1983 में विहित उपबंधों के अनुसार की जानी अपेक्षित होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु बचत योजना

4073. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लोक भविष्य निधि सहित, लघु बचत योजनाओं के अधीन 40,000 करोड़ रुपए का निवल संग्रहण होने का भुगतान लगाया गया है। राज्यवार लक्ष्यों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

राजस्व विभाग में प्रोत्साहन और तैनाती

4074. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्व की एक निश्चित राशि एकत्र करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को उसी नगर और शहर में बने रहने की अनुमति देने संबंधी एक योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने अधिकारी अपनी रुचि के स्थानों पर बने हुए हैं; और

(घ) प्रोत्साहन और तैनाती की इस प्रणाली की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निम्न आय वर्ग के लिए बीमा

4075. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने चालू वर्ष के दौरान निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कोई नई योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम इन योजनाओं के अंतर्गत अच्छा कारोबार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चालू वर्ष के दौरान गरीब लोगों के कल्याण हेतु कितनी राशि खर्च की गई है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, उनके द्वारा सरकार की ओर से मौजूदा सामाजिक सुरक्षा समूह योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(i) **जनश्री बीमा योजना** में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को तथा गरीबी रेखा से कुछ ऊपर के लोगों के लिए भी बशर्ते कि वे किसी पहचान किए गए व्यावसायिक समूह से संबद्ध हों, स्वाभाविक मृत्यु की दशा में 20,000 रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु/सम्पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपए तथा दुर्घटना की वजह से आंशिक स्थायी विकलांगता की हालत में 25,000 रुपए प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत 18-59 आयु वर्ग के व्यक्ति कुल 200/-रुपए के प्रीमियम का भुगतान करने पर पात्र हैं, इस राशि में से 100/-रुपए का वहन सामाजिक सुरक्षा निधि (एसएसएफ) से किया जाता है। बीमा कवच का लाभ 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर समाप्त हो जाता है। सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने के लिए पात्रता हेतु 40 व्यावसायिक समूहों/क्षेत्रों को स्वीकृति प्रदान की है।

(ii) **कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना** दिनांक 1.7.2001 को प्रारम्भ हुई थी। इस योजना में 10 वर्षों के अन्तराल पर समय-समय पर एकमुश्त उत्तरजीविता लाभ तथा 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 100/- रुपए प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था है। यह लाभ जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत 18-50 आयु वर्ग के खेतिहर कामगारों को उपलब्ध लाभों के अतिरिक्त है। इसमें सदस्य को 1/-रुपया प्रति दिवस का अंशदान करना होता है और सरकार प्रति कामगार 2/-रुपए प्रति दिवस का भुगतान करती है।

(iii) **शिक्षा सहयोग योजना** दिनांक 31.12.2001 को प्रारम्भ हुई थी। इसमें नौवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत जनश्री बीमा योजना के सदस्य के अधिकतम दो बच्चों के लिए 100/- रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। ये लाभ जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदत्त लाभों के अलावा हैं। छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य अथवा लाभग्राही द्वारा कोई प्रीमियम अदा नहीं किया जाएगा। तथापि, जनश्री बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान उपर्युक्तानुसार किया जाएगा।

(iv) **सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना** में 18-59 आयु वर्ग के समाज के कमजोर तथा असहाय वर्गों से सम्बद्ध लोगों के लिए स्वाभाविक मृत्यु पर 5,000/-रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु/सम्पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 25,000/-रुपए तथा दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता की हालत में 12,500/-रुपए के बीमा कवच की व्यवस्था है। 50/- रुपए के कुल प्रीमियम में से 50 प्रतिशत प्रीमियम का वहन सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने प्रीमियम सब्सिडी की पात्रता हेतु 24 व्यावसायिक समूहों/क्षेत्रों को स्वीकृति प्रदान की है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान निष्पादन (अनन्तिम) इस प्रकार रहा :

(i) **जनश्री बीमा योजना** के तहत 8,19,012 व्यक्तियों का बीमा कराया गया जिसमें से प्रीमियम आय लगभग 16 करोड़ रुपए एकत्र की गयी। 8.78 करोड़ रुपए की राशि के 4,309 दावों का निपटान किया गया।

(ii) **कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना** के अंतर्गत 1,01,209 व्यक्तियों को बीमित किया गया जिससे लगभग 9.98 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय एकत्र की गयी।

(iii) **शिक्षा सहयोग योजना** के तहत लगभग 6 लाख रुपए की 765 छात्रवृत्तियां संवितरित की गयीं।

(iv) **सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना** के तहत 41,90,729 लोगों का बीमा कराया गया जिसमें से 13.24 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय जमा की गयी। 14.77 कोड़ रुपए के 36,862 दावों का भुगतान किया गया।

(घ) उक्त योजनाओं में गरीब लोगों के लिए प्रीमियम का एक भाग सामाजिक सुरक्षा निधि में से आर्थिक सहायता प्राप्त है।

इस विषय में सामाजिक सुरक्षा निधि द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान खर्च की गयी कुल राशि 23.91 करोड़ रुपए (अनन्तिम) है

जनजातियों के लिए व्ययों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की सिफारिश

4076. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समता बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने सिफारिश की है कि कुल लाभ का 20 प्रतिशत स्थानीय जनजातीय लोगों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सिफारिश किन स्थानों पर लागू की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ङ) खान विभाग ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में कार्यरत समता नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू०पी० 9513/93 और 7725/97 में दिए गए निर्णय (समता निर्णय) के विरुद्ध दायर सिविल अपील संख्या 4601 और 4602/96 में 11.7.1997 को उच्चतम न्यायालय ने अनूसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण के मामले में खानों को पट्टे पर देने के लिए बहुमत से निर्णय दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-अनुसूचित जनजातियों को पट्टे पर खानें देना अथवा पट्टे का नवीकरण करना संविधान की पांचवीं अनुसूची का उल्लंघन है। अत: ये सभी अमान्य हैं।

उपर्युक्त निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि जब राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि गैर अनुसूचित जनजातीय लोगों को खनिज संसाधनों के दोहन के लिए पट्टे पर दे तो लाइसेंस-धारी अथवा पट्टाधारी को जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक बेहतरी के लिए खर्च करना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में उच्चतम न्यायालय ने सिफारिश की थी कि लाइसेंसधारी/पट्टाधारी को निवल लाभ की कम-से-कम 20% धनराशि स्थायी निधि के रूप में रखनी चाहिए, जिसे जल संसाधन स्कूल, अस्पताल, सफाई और यातायात आदि जैसी सुविधाएं संस्थापित करने और उनके रख-रखाव पर उपयोग में लाया जाए।

राज्य सरकारें, खानों के पट्टे, खान और खनिज (विकास-विनिमय) अधिनियम, 1957 के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन देती है। राज्य सरकारें स्थानीय क्षेत्र विकास और खनन और खनिजों के लिए भी उत्तरदायी हैं। अत: राज्य सरकारों को चाहिए कि वे खानों को पट्टे खनन संबंधी कानूनों और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दें।

भारत सरकार द्वारा किसी समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार में कमजोर वर्गों का पुनर्वास

4077. श्री राजो सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के कमजोर वर्गों के पुनर्वास हेतु बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों में कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितने जिलों का चयन किया गया है और गत दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम हेतु कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) इन राज्यों के शेष जिलों को कब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय के कमजोर वर्गों के पुनर्वास के लिए दो योजनाएं शुरू की हैं :–

(1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारीमुक्ति और पुनर्वास योजना (एन० एस०एल०आर०एस०); और

(2) राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति पुनर्वास कार्यक्रम (एन०पी० आर०पी०डी०)।

(ख) एन०एस०एल०आर०एस० एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और निधियां राज्यों को निर्मुक्त की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। झारखंड सरकार से 2000-01 के दौरान चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, साहेबगंज और पश्चिम सिंहभूम जिलों में सैनिटरी मार्टों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। एन०पी०आर०पी०डी० एक राज्य क्षेत्र योजना है जो 1999-2000 में शुरू की गई थी। नौवीं योजना-वधि के दौरान मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त की, लेकिन दसवीं योजना के दौरान राज्यों को इस कार्यक्रम का वित्त-पोषण अपने संसाधनों से करना है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के निम्नलिखित जिलों को कवर किया गया है :–

बिहार :– भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण।

झारखण्ड :– हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची।

पिछले दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त राशि इस प्रकार हैं :–

राज्य/वर्ष	निर्मुक्त राशि (रु० लाख में)	
	एनएसएलआरएस	एनपीआरपीडी
बिहार		
2000-01	शून्य	322.25
2001-02	शून्य	251.75
झारखण्ड		
2000-01	1085.00	शून्य
2001-02	शून्य	156.05

(ग) एन०एस०एल०आर०एस० योजना के अंतर्गत, शेष जिलों को शामिल करने के लिए बिहार तथा झारखण्ड राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अधिक जिलों को शामिल करना राज्यों पर निर्भर होगा।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश व्यापार समझौता

4078. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान भारत-बांग्लादेश व्यापार समझौते की बढ़ाई गई अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंध बनाए रखने के लिए कोई नया समझौता किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) भारत-बंगलादेश व्यापार करार की वैधता अवधि आगे और दो महीनों अर्थात् 4 अगस्त, 2002 से 3 अक्तूबर, 2002 तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर बढ़ा दी गई है।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना

4079. श्री ए० नरेन्द्र : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 से राज्य-वार कितने कारीगर, किसान और बेरोजगार व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को वर्ष-वार कुल कितनी सहायता दी गई ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) 31 मार्च, 1991 को कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (ए०आर०डी०आर०) योजना, 1990 समाप्त कर दी गई थी और तदनन्तर इसको पुनरुज्जीवित नहीं किया गया है। इस योजना के तहत सभी निपटारे हो चुके हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई ग्रामीण ऋण राहत योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

घटिया किस्म की चाय का आयात

4080. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रसिद्ध निर्यातक बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए घटिया किस्म की चाय का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच कराने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश से इस चाय का निर्यात किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस कार्य से विश्व बाजार में भारतीय चाय की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) भारत में चाय का आयात खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पी.एफ.ए.) के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत चाय के लिए उल्लिखित विनिर्दिष्टताएं न्यूनाधिक आई०एस०ओ० 3720 मानक के समान हैं। पी०एफ०ए० की विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप घटिया गुणवत्ता वाली चाय का आयात किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है और इसलिए आयातित घटिया गुणवत्ता वाली चाय के भारत से पुनर्निर्यात की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी भंडारण क्षमता का इष्टतम उपयोग

4081. **श्री रामजी मांझी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निकम अपनी भंडारण क्षमता का इष्टतम स्तर तक उपयोग नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी भंडारण क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम अपनी भंडारण क्षमता का उपयोग इष्टतम स्तर पर कर रहा है। 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार इसकी कुल उपलब्ध क्षमता के 86 प्रतिशत का उपयोग हो रहा है।

हीरे एवं जवाहरात का निर्यात

4082. **श्री पी०डी० एलानगोवन :**
श्री मोहन रावले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा तथा मूल्य के हीरे एवं जवाहरात पत्थरों का उत्पादन किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में कितनी मात्रा एवं मूल्य के हीरे एवं जवाहरात पत्थरों की बिक्री और निर्यात हुआ;

(ग) क्या चालू वर्ष की प्रथम तिमही में गत वित्तीय वर्ष की तुलना में जवाहरातों एवं आभूषणों के निर्यात में बहुत अधिक गिरावट दर्ज की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और इस प्रकार की गिरावट के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान देश में उत्पादित हीरों एवं जवाहरात पत्थरों की कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है :–

वर्ष	हीरे		जवाहरात पत्थर गार्नेट	
	मात्रा के कैरेट में	मूल्य रु० (करोड़ में)	मात्रा किग्रा० में	हजार रुपए में
1999-2000	40956	21.40	458	42
2000-2001	57047	30.07	800	112
2001-2002 (अनंतिम)	81448	39.61	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०)।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान पन्ना की खानों के बिना तराशे हीरे की बिक्रियां निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	बिना तराशे हुए हीरे	
	मात्रा कैरेट में	मूल्य करोड़ रुपए में
1999-2000	45198	20.70
2000-2001	51698	27.60
2001-2002	68056	30.24

तराशे गए एवं पालिश किए गए हीरे तथा रंगीन जवाहरात पत्थरों की घरेलू बिक्री/खपत के समेकित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारत से निर्यात

वर्ष	तराशे गए तथा पालिश किए गए हीरे		बिना तराशे गए हीरे		तराशे तथा पालिश किए गए जवाहरात पत्थर	
	मात्रा लाख कैरेट में	मूल्य करोड़ रुपए में	मात्रा लाख कैरेट में	मूल्य करोड़ रुपए में	मात्रा लाख कैरेट में	मूल्य करोड़ रुपए में
1999 2000	331.17	28706.51	447.50	581.86	उपलब्ध नहीं	884.97
2000 2001	299.00	28041.80	403.47	713.11	उपलब्ध नहीं	824.20
2001 2002	328.86	28343.49	302.26	673.01	उपलब्ध नहीं	866.19

स्रोत : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विकास परियोजनाओं हेतु अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता

4083. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई विकास परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय में **उड़ीसा राजकोषीय सुधार कार्यक्रम** के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी सहायता से सम्बद्ध प्रस्ताव वर्ष 2000 के दौरान प्राप्त हुआ था। यह परियोजना विश्व बैंक तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए तैयार की जा रही है।

तम्बाकू बोर्ड की नीलामी पद्धति

4084. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने वर्ष 1984 में नीलामी पद्धति शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या तम्बाकू को श्रेणीबद्ध करने के 15 वर्षों के बाद भी नीलामी के लिए आने वाले 50 प्रतिशत से ज्यादा तम्बाकू के गठ्ठरों को निम्न श्रेणीबद्ध पद्धति के कारण मिश्रित, क्षारीय एवं निम्न श्रेणी में रखा गया; और

(ग) यदि हां, तो बाजार मूल्यों के अलावा उचित रूप से श्रेणीबद्ध किए गए तम्बाकू की बिक्री और इसे श्रेणीबद्ध करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विपणन की गई कुल मात्रा में मिश्रित ग्रेडों का प्रतिशत 25% से 35% के बीच है। तंबाकू बोर्ड ग्रेडिंग मानकों के संबंध में अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ तम्बाकू उत्पादकों को शिक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है। गांठों की उचित ग्रेडिंग की जरूरत के बारे में उत्पादकों को भी शिक्षित किया जा रहा है ताकि बेहतर कीमतें सुनिश्चित की जा सकें।

तम्बाकू के उत्पादन के लिए तम्बाकू खलिहान कोटा

4085. **डा० डी०वी०जी० शंकर राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का उत्पादन करने वाले किसानों को कर्नाटक के किसानों की तुलना में तम्बाकू खलिहान का कम कोटा मिल रहा है जबकि वे भी तम्बाकू की उन्हीं किस्मों का उत्पादन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों के लिए तम्बाकू खलिहान का कोटा निर्धारण करने में विसंगति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड का विचार तम्बाकू के उपयोग को नियंत्रित करके एन०बी०एस०/सी०बी०एस०/एस०एल०एस० के किसानों के लिए और अधिक कोटा निर्धारित करने का है क्योंकि यह कोटा खेती के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में

उगायी जाने वाली तम्बाकू की किस्में तुलनीय नहीं हैं। तम्बाकू बोर्ड की उत्पादन समिति व्यापार एवं उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवश्यकता के आधार पर मृदा क्षेत्र-वार खलिहान कोटा निर्धारित करती है। वर्ष 2002-03 में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को कर्नाटक के क्षेत्रों से अधिक कोटा मिला था जबकि अन्य को कम कोटा प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) तम्बाकू बोर्ड व्यापार एवं उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक मृदा क्षेत्र, जिनमें एन०बी०एस०, सी०ओ०एस० तथा एस०एल०एस० शामिल हैं, के लिए खलिहान कोटे के निर्धारण को जारी रखेगा।

तेल के निष्कर्षण कार्य से राज्य व्यापार निगम को हानि

4086. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को तेल के निष्कर्षण कार्य से 35 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) को वर्ष 1989 से 1999 तक बीजों से तेल निकालने के कार्य में कुल 28.71 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। एक विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिन कुछेक प्रमुख कारणों, से घाटा हुआ उनमें अमरीका और ब्राजील में अल्पाधिक फसल, एशियायी मुद्रा का संकट और एल-निनों कारक जिसकी वजह से फसलोत्तर मौसम के दौरान अनियमित वर्षा हुई, एस०टी०सी० की क्षेत्रीय शाखाओं को अत्यधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन जिसके कारण बीजों की अत्यधिक खरीद हुई, लम्बी अवधि तक माल रखे जाने के कारण स्टॉक की बर्बादी, प्रसंस्करण, भण्डारण और पारगमन के लिए निर्धारित मानकों की अत्यन्त कमी शामिल थे।

(ग) एस०टी०सी० ने तब तक कोई व्यवसाय न करने के विशिष्ट निर्देश जारी किए थे जब तक कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें समान न हो जाएं। एस०टी०सी० ने भी निष्कर्षण कार्य स्थगित कर दिया था। आगे और घाटे की संभावना को रोकने के लिए एस०टी०सी० के प्रबंधन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। प्राप्त अनुभव के आलोक में एस०टी०सी० ने 2000-01 में उचित समय पर तेल निष्कर्षण का कार्य पुन: शुरू किया और 15.45 करोड़ रुपए की तेल रहित खली का निर्यात कर 12 लाख रुपए का व्यापारिक लाभ अर्जित किया।

यू०टी०आई० के लिए प्रायोजक

4087. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू०टी०आई० के नये प्रायोजक जुटाने के दौरान सरकार का विचार प्रायोजकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यू०टी०आई० के लिए प्रस्तावित पुनर्संरचना योजना के अंतर्गत प्रायोजकों को अन्य कौन से प्रोत्साहन देने की योजना बनाई जा रही है;

(घ) क्या नवगठित "एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन" यू०टी० आई० की देयता की समस्या को कम करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) आई०एफ०सी०आई०, आई०डी०बी०आई० और यू०टी०आई० के वित्तीय पुनर्गठन पर गौर करने के लिए वित्त और कंपनी कार्य मंत्री, विनिवेश मंत्री और उपाध्यक्ष, योजना आयोग को शामिल करते हुए एक मंत्री दल गठित किया गया है। इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

(घ) और (ङ) यू०टी०आई० ने सूचित किया है कि इसने अधिक ध्यान केन्द्रित करने के तरीके से ट्रस्ट की विभिन्न स्कीमों को देय राशि की वसूली का प्रयास करने के लिए यू०टी०आई० की खुली स्कीमों की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां अधिग्रहित करने हेतु परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है। वसूल की गई राशि वसूली के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि (ए०आर० एफ०) द्वारा खर्च की राशि की कटौती के बाद उन स्कीमों को अंतरित की जाएगी, जिसमें से परिसंपत्तियां मूल रूप से परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि को अंतरित की गई थीं।

राजस्व संग्रहण

4088. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के प्रथम तिमाही में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के इस प्रयास में व्यापार एवं उद्योगों को बेवजह परेशान किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिससे लोगों को परेशान न किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्दन) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व संग्रहण पिछले वर्ष की सदृश अवधि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :--

(रु० करोड़ों में)

	अप्रैल जून, 2001	अप्रैल-जून, 2002
निर्गामित कर	1692	4042
आयकर	6008	6385
अन्य प्रत्यक्ष कर	86	67
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	14377	17477
सीमा शुल्क	9409	9991
अन्य अप्रत्यक्ष कर	1007	1212
योग	32579	39174

(ग) ऐसा कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास के मूल्य

4089. श्री वाई०वी० राव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपास के उत्पादकों को निम्नस्तर की कपास का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने और भारत कपास निगम को किसानों से निम्नस्तर की कपास की खरीद करवाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा "कपास" (कपास के बीज) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) की घोषणा की गई है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सी०सी०आई०) के लिए "कपास" (कपास के बीज) के संबंध में समर्थन मूल्य अभियान चलाने अनिवार्य है तथा जब भी कपास के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूते हैं तब यह, महाराष्ट्र को छोड़कर, जहां महाराष्ट्र कच्ची कपास (अधिप्राप्ति प्रसंस्करण तथा विपणन) अधिनियम, 1971 प्रचालन में है, सभी कपास उपजाने वाले राज्यों में बिना किसी मात्रात्मक सीमा के 'कपास' की खरीद करती है। वर्तमान कपास वर्ष 2001-2002 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान, भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने समर्थन मूल्य प्रचालन के अंतर्गत लगभग 9 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 कि०ग्रा०) लिंट कपास के समान कपास की खरीद की है।

(ख) और (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित औसत गुणवत्ता (एफ०ए०क्यू०) वाली कपास के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, कपास उपजकर्ताओं की सहायता के उद्देश्य से, भारतीय कपास निगम लिमिटेड द्वारा न केवल एफ०ए०क्यू० ग्रेड की खरीद की गई, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उचित कटौती करते हुए एफ०ए०क्यू० से तीन स्तर नीचे की बिक्री योग्य ग्रेड की कपास की भी खरीद की गई है।

[हिन्दी]

कर संग्रहण

4090. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु के आयकर सर्किलों के आठ मामलों में अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन के समय कर निर्धारण में हुई त्रुटियों के परिणामस्वरूप 147.30 लाख रुपये कम कर संग्रहण किया गया है जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2002 के प्रतिवेदन संख्या 12 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 15.3.2002 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई अपनी रिपोर्ट संख्या 2002 की 12 में सूचित किया है कि असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु प्रभारों में आठ मामलों में अपीलीय आदेशों को लागू करने हेतु जारी आदेशों में की गई गलतियों के परिणामस्वरूप कुल 147.30 लाख रुपये कम कर की वसूली हुई।

(ख) मंत्रालय ने ऐसे आठ मामलों में से अब तक केवल दो मामलों के संबंध में लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 7.8.1995 के निर्देश सं० 1928 के अनुसार सभी आठ मामलों में उपचारी कार्रवाईयां आरम्भ की गई हैं।

विवरण

इन आठ मामलों के ब्यौरे निम्नवत् हैं

क्रम सं०	म०पै०सं०	कर-निर्धारिती का नाम	कर-प्रभाव (रुपये में)	प्रभार
1.	143 (सीटी)	मै० पोन्नी सुगर्स एण्ड केमिकल्स लि०	40.64 लाख	तमिलनाडु-IV
2.	542 (सीटी)	मै० ग्रीव्ज लि०	31.75 लाख	मुम्बई-IV
3.	109 (सीटी)	मै० विलियमसन्स फाइनेन्स सर्विसेज लि०	स्वीकृत 20.25 लाख	गुवाहाटी
4.	71 (सीटी)	मै० स्मीथ्क्लाइन बीचम कन्ज्यूमर्स हेल्थ केयर लि०	13.65 लाख	पटियाला
5.	145 (सीटी)	मै० फुलर इण्डिया लि०	13.55 लाख	तमिलनाडु-IV
6.	59 (सीटी)	मै० श्रीराम चिट्स (प्रा०) लि०	स्वीकृत 10.31 लाख	कर्नाटक-III
7.	28 (सीटी)	मै० पुर्णिमा केमिकल्स इण्ड० (प्रा०) लि०	9.65 लाख (पी०)	बड़ौदा
8.	474 (सीटी)	मै० सेन्चुरी टैक्सटाइल्स एण्ड इण्ड० लि०	7.50 लाख	मुम्बई सीटी-V

[अनुवाद]

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए भुगतान को अनिवार्य रूप से प्रकट करना

4091. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि सूचीबद्ध कंपनियों को प्रवर्तक घरानों द्वारा अपने निदेशकों को किए गए भुगतान को प्रकट करना होगा;

(ख) यदि हां, तो इस अनिवार्यता के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या इन दिशा-निर्देशों में उस वेतन की सीमा भी शामिल है जो परिवार मूल से बने निदेशक व्यक्तियों को दिया जाएगा;

(घ) क्या लाभ कमाने वाली एवं घाटा उठाने वाली कंपनियों के बीच किसी प्रकार का अंतर किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के अनिवार्य प्रकट के संबंध में लागू होने वाले नियमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 (भाग-II : पैरा 4 तथा 4क) की अनुसूची VI में वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कंपनी द्वारा निदेशकों के लिए प्रावधान किए गए अथवा किए गए भुगतानों के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाओं का प्रावधान है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के अंन्तर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में किसी कंपनी के निदेशकों को भुगतान किए गए/के लिए प्रावधान किए गए भत्तों, कमीशन, अनुलाभों, पेंशन आदि के ब्यौरे प्रत्येक वर्ष कंपनी के लाभ एवं हानि खाते में उद्घाटित किए जाने चाहिएं। स्टॉक एक्सचेंजों तथा कंपनियों के बीच सूचीबद्धता करार के जरिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह निर्दिष्ट किया है कि निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट के कार्पोरेट अभिशासन खंड में किए जाएंगे।

कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

4092. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 और 2002 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने पुणे, महाराष्ट्र में विभिन्न उद्योगों के विरुद्ध उत्पाद शुल्क अपवंचन से संबंधित कितने मामले दायर किए;

(ख) उसमें शामिल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक मामले के संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्ष 2000 और 2002 के बीच पुणे, महाराष्ट्र में विभिन्न कंपनियों के खिलाफ बुक किए गए शुल्क अपवंचन मामलों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशियां नीचे दी गई हैं :–

वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये में)
2000	58	3544.08
2001	69	4591.31
2002 (जुलाई तक)	20	1504.15

(ग) शुल्क अपवंचन का पता लगने पर प्रत्येक मामले की पूर्ण रूप से जांच की जाती है और रिकार्ड में उपलब्ध प्रमाण के आधार पर शुल्क वसूल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के उपबंधों के अनुरूप संबंधित व्यक्तियों पर अर्थदण्ड लगाने की कार्रवाई शुरू की जाती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों को सम्मिलित करना

4093. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जाति के संगठनों द्वारा उनकी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) सरकार ने इन जातियों को राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन०सी०बी०सी०) ने आंध्र प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में निम्नलिखित 9 जातियों/समुदायों को शामिल करने के लिए अभिवेदन प्राप्त किए हैं :–

1. मुस्लिम कटिका
2. मेनाफरोश
3. सौंधी/मुन्दी
4. पला एकारी के पर्यायों के रूप में एकिली, एकिला आदि।
5. रेड्डी गंडला
6. कुरेश
7. पात्रा
8. सिद्दुला
9. सिकलीगर

(ग) आयोग ने सरकार को की गई अपनी सिफारिश में उपर्युक्त क्रम संख्या (1) से (5) तक के 5 समुदायों को शामिल करने संबंधी अनुरोधों को अस्वीकृति तथा क्रम सं० (6) तथा (7) पर दो जातियों को शामिल करने की सलाह दी है। जहां तक आंध्र प्रदेश की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में कुरेश तथा पात्रा जातियों को शामिल करने के लिए आयोग द्वारा दी गई सलाह का संबंध है, इस बारे में अधिसूचना के जारी करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उस पर कार्रवाई की जा रही है। उपर्युक्त क्रम संख्या (8) तथा (9) पर शेष दो मामले आयोग के विचाराधीन हैं।

वित्तीय सुधारों के समझौता ज्ञापन

4094. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके साथ सरकार ने वित्तीय सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) इन समझौता ज्ञापनों की उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान कुछ और राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में तैयार किए गए राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05) प्रारूप के तहत अब तक कर्नाटक, केरल, मणिपुर, नागालैंड और उड़ीसा ने वित्त मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन/राजकोषीय सुधार संबंधी सहमत राजकोषीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य राज्यों, जिनके माध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम वित्त मंत्रालय में गठित मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं, के समझौता ज्ञापन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

राज्य अपनी राजकोषीय असंतुलन संबंधी समस्याओं के प्रति उत्तरोत्तर जागरूक हो रहे हैं तथा तद्नुसार 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि अर्थात् पांच वर्षों में राजस्व सवंर्धन एवं व्यय संपीडन पर एक वहनीय एवं स्वस्थ्य राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने समझौता ज्ञापन में विभिन्न उपायों की रूपरेखा तैयार कर ली है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प सहकारी सोसाइटियों को सहायता

4095. श्री रामदास आठवले : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार हस्तशिल्प सहकारी सोसाइटियों और राज्य हथकरघा वित्त निगम को करघों की स्थापना के बाद रद्दोबदल इत्यादि हेतु और करघों की स्थापना के पहले वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक राज्य वार कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) भारत सरकार दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत करघे लगाने, उनको बदलने आदि के लिए सहकारी समितियों, राज्य हथकरघा विकास निगम तथा शीर्ष समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) राज्यों के नाम और दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन्हें स्वीकृत और जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य का नाम	स्वीकृति निधियां	जारी निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2971.32	1884.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	312.30	156.04
3.	असम	3528.79	1856.78
4.	चंडीगढ़	40.71	32.58
5.	दिल्ली	20.00	20.00
6.	गुजरात	425.00	425.00
7.	हिमाचल प्रदेश	62.51	31.12
8.	जम्मू व कश्मीर	57.64	44.54

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2002-03 (आज तक) के

क्रम सं०	राज्य का नाम	समूह बीमा योजना				नई बीमा योजना			
		99-00	00-01	01-02	02-03	99-00	00-01	01-02	02-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–		–	–	–	
2.	आन्ध्र प्रदेश	16.00	24.00	22.73	2.27	15.19	–	–	
3.	असम	1.50	–	–		0.25	–	–	
4.	बिहार	–	–	–		3.59	0.37	–	
5.	छत्तीसगढ़	–	–	0.50		–	–	–	
6.	गोआ	–	–	–		–	–	–	
7.	गुजरात	0.97	1.57	2.15		2.63	2.73	2.99	
8.	हरियाणा	–	–	–		–	–	–	
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–		–	–	–	
10.	झारखण्ड	–	–	–		–	–	–	
11.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–		–	–	0.33	
12.	कर्नाटक	20.00	–	14.12		–	–	–	
13.	केरल	–	–	–		–	–	–	
14.	मध्य प्रदेश	–	1.13	0.05		1.83	0.74	1.13	

1	2	3	4
9.	कर्नाटक	301.00	298.50
10.	केरल	550.80	550.80
11.	मध्य प्रदेश	55.00	42.88
12.	मणिपुर	287.16	143.51
13.	मेघालय	12.04	6.00
14.	नागालैंड	579.73	379.60
15.	राजस्थान	5.00	5.00
16.	तमिलनाडु	2431.81	2339.42
17.	त्रिपुरा	66.61	37.06
18.	उत्तर प्रदेश	1213.77	697.40
19.	उत्तरांचल	80.66	40.25
20.	पश्चिम बंगाल	112.47	55.84
	कुल	13294.22	9046.39

(ग) राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा विधिवत सिफारिश की गई योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

(घ) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राज्य वार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जहां तक संख्या की पहचान की जा सकती है, वहां पर योजना के अंतर्गत 12,10,067 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

दीन हथकरघा क्षेत्र योजना के अंतर्गत रिलीज

(लाख रुपये में)

विपणन विकास सहायता योजना				जनता कपड़ा योजना				
99 00	00 01	01 02	02 -03	98-99	99-00	00 -01	01- 02	02-03
11	12	13	14	15	16	17	18	19
—	—	—		—	—	—	—	
451.31	295.95	70.07		—	—	—	—	
50.22	40.04	10.26		247.84	14.60	—	—	
5.76	—	—		5.54	9.00	—	—	
—	—	—		—	—	—	—	
—	—	—		—	—	—	—	
21.04	117.60	0.87		6.54	—	—	—	
116.59	16.46	16.98		0.88	—	—	—	
42.14	32.24	—		—	—	—	—	
—	—	—		—	—	—	—	
34.94	12.00	—		3.04	—	—	—	
102.52	193.12	—		144.38	—	—	—	
308.49	110.77	43.44		—	—	—	—	
99.59	21.85	—		45.64	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	महाराष्ट्र	–	–	–		–	–	–	
16.	मणिपुर	–	–	–		–	–	–	
17.	मिजोरम	–	–	–		–	–	–	
18.	मेघालय	–	–	–		–	–	–	
19.	नागालैण्ड	–	–	–		–	–	–	
20.	उड़ीसा	–	–	–		–	18.00	–	
21.	पाण्डिचेरी	–	–	–		–	–	1.23	
22.	पंजाब	–	–	–		–	–	–	
23.	राजस्थान	–	–	–		1.36	2.56	3.60	
24.	सिक्किम	–	–	–		–	–	–	
25.	तमिलनाडु	36.67	36.75	–		–	–	–	
26.	त्रिपुरा	–	–	–		0.15	0.60	0.51	
27.	उत्तर प्रदेश	–	–	–		–	–	–	
28.	उत्तरांचल	–	–	–		–	–	–	
29.	पश्चिम बंगाल	2.77	2.47	2.77		–	–	–	
30	दिल्ली	–	–	–		–	–	0.21	
	कुल	77.91	65.92	42.32	2.27	25.00	25.00	10.00	

वर्ष 1999-2000 से 2002-03 (आज तक) के

क्रम सं०	राज्य का नाम	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन				निर्यात योग्य उत्पादों के विकास और उनके विपणन संबंधित योजना			
		99-00	00-01	01-02	02-03	99-00	00-01	01-02	02-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	156.04		–	–	–	
2.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	1,176.82	707.25	14.72	5.00	6.00	
3.	असम	–	424.10	866.07	566.61	4.40	12.85	9.56	
4.	बिहार	–	–	–		–	–	6.50	
5.	छत्तीसगढ़	–	–	32.58		–	4.25	–	
6.	गोआ	–	–	–		–	–	–	
7.	गुजरात	–	212.50	212.50		–	–	–	
8.	हरियाणा	–	–	–		–	15.50	8.50	

11	12	13	14	15	16	17	18	19
–	46.97	–		65.44	–	–	–	
0.74	–	–		–	–	–	–	
–	–	–		–	–	–	–	
–	–	0.28		–	–	–	–	
–	–	–		–	–	–	–	
223.47	107.59	12.45		73.44	–	–	–	
57.80	28.37	–		–	5.90	–	–	
–	130.98	0.52	22.31	142.79	–	–	–	
11.99	37.63	18.02		2.27	6.93	0.05	–	
–	–	–		–	–	–	–	
700.00	921.62	–	38.06	200.63	–	–	–	
18.02	6.06	5.15		1.91	–	–	–	
125.66	233.40	31.22	113.15	0.16	1.63	–	–	
–	7.38	–		–	–	–	–	
400.00	110.08	–		34.84	97.29	–	–	
135.09	220.63	3.33		–	–	–	–	
2,905.37	2,690.74	212.59	173.52	975.34	135.35	0.05	–	

दौरान हथकरघा क्षेत्र योजना के अंतर्गत रिलीज

(लाख रुपये में)

कार्यशाला-सह-आवास				प्रोजेक्ट पैकेज योजना				
99-00	00-01	01-02	02-03	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03
11	12	13	14	15	16	17	18	19
72.08	129.23	320.00		28.90	39.90	55.55	12.12	6.50
340.20	119.59	253.96		782.68	420.09	307.01	31.88	
59.18	–	–		1,052.40	546.72	513.43	–	
–	–	–		8.50	8.85	3.25	–	
–	–	–		–	–	–	19.82	
–	–	–		–	–	–	–	
–	230.00	–		10.99	18.65	7.35	4.29	
–	–	–		1.08	4.00	–	6.56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	—	6.89	24.23		56.25	53.97	44.00	
10.	झारखण्ड	—	—	—		—	—	—	
11.	जम्मू व कश्मीर	—	44.54	—		2.64	—	—	
12.	कर्नाटक	—	—	298.50		—	—	7.95	
13.	केरल	—	—	225.00	325.80	—	8.90	—	
14.	मध्य प्रदेश	—	32.71	9.34	0.83	7.50	—	16.25	
15.	महाराष्ट्र	—	—	—		—	—	—	
16.	मणिपुर	—	143.51	—		—	—	—	
17.	मिजोरम	—	—	—		7.48	—	—	
18.	मेघालय	—	6.00	—		—	—	—	
19.	नागालैण्ड	—	33.10	346.50		—	12.25	18.00	
20.	उड़ीसा	—	—	—		7.50	—	—	
21.	पाण्डिचेरी	—	—	—		—	—	—	
22.	पंजाब	—	—	—		13.25	4.25	28.50	
23.	राजस्थान	—	—	—	5.00	—	—	—	
24.	सिक्किम	—	—	—		—	—	—	
25.	तमिलनाडु	—	677.05	1,662.37		13.13	5.25	—	
26.	त्रिपुरा	—	33.14	3.92		—	—	—	
27.	उत्तर प्रदेश	—	54.15	643.25		37.75	14.25	44.75	
28.	उत्तरांचल	—	—	40.25		—	—	—	
29.	पश्चिम बंगाल	—	28.15	27.69		36.00	16.25	4.20	
30.	दिल्ली	—	—	—		8.25	5.00	8.75	
	कुल	—	1,695.84	5,725.06	1,605.49	208.87	157.72	202.96	

वर्ष 1999-2000 से 2002-03 (आज तक) के

क्रम	राज्य का नाम	प्रचार एवं प्रदर्शिनी				मार्जिन मनी फार डेस्टिट्यूट बुनकर			
सं०		99-00	00-01	01-02	02-03	99-00	00-01	01-02	02-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	2.31	10.51		—	—	—	
2.	आन्ध्र प्रदेश	15.50	66.25	52.47		26.50	—	—	

11	12	13	14	15	16	17	18	19
22.93	—	2.21		35.26	34.16	10.47	19.17	
—	—	—		—	—	—	—	
—	—	—		54.18	28.55	47.83	—	
—	57.07	113.10		16.85	20.95	18.16	20.27	6.76
—	—	90.00		233.68	68.80	283.45	486.30	3.25
—	—	—		37.76	29.50	16.02	1.25	1.00
0.95	8.42	50.00	35.00	14.78	5.03	89.87	2.00	2.82
127.50	188.75	—		111.40	180.80	236.24	19.04	
—	10.25	—		10.00	7.50	—	—	
—	20.76	10.53		—	—	—	—	
150.00	136.96	—		214.19	189.14	127.08	—	
180.00	45.00	—		103.55	154.53	1.38	—	
—	—	—		—	—	—	—	
—	—	—		5.10	8.90	3.40	—	
92.24	—	26.61		34.05	92.99	—	—	
—	—	—		—	—	—	—	
199.92	181.46	114.13		252.53	121.38	141.76	11.96	
—	14.05	—		11.25	24.00	4.54	—	
—	—	—		610.96	644.51	314.84	—	
—	—	—		—	—	—	—	
—	358.45	—		56.74	144.52	73.85	—	
—	—	—		—	—	—	—	
1,245.00	1,499.99	980.54	35.00	3,686.83	2,793.47	2,255.48	634.46	20.33

दौरान हथकरघा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत रिलीज

(लाख रुपये में)

एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास				एच०डी०सी०/क्यू०डी०यू० योजना				
99-00	00-01	01-02	02-03	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03
11	12	13	14	15	16	17	18	19
—	—	—	—	—	—	—	—	
33.00	129.00	—	12.50	—	13.69	27.89	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	27.80	67.48	64.96	12.99	—	—	—	
4.	बिहार	5.82	21.94	—		—	—	—	
5.	छत्तीसगढ़	—	—	9.00		—	—	—	
6.	गोआ	—	34.27	—		—	—	—	
7.	गुजरात	9.50	—	19.00		0.70	—	—	
8.	हरियाणा	12.61	—	12.00		—	—	—	
9.	हिमाचल प्रदेश	1.00	12.39	10.17		—	—	—	
10.	झारखण्ड	—	—	—		—	—	—	
11.	जम्मू व कश्मीर	13.98	25.89	65.78		—	—	—	
12.	कर्नाटक	6.51	1.00	6.70		—	4.50	—	
13.	केरल	—	—	—		—	—	—	
14.	मध्य प्रदेश	29.13	26.30	64.98		—	—	—	
15.	महाराष्ट्र	59.96	38.93	40.00	21.00	—	—	—	
16.	मणिपुर	8.58	9.34	6.00		—	—	—	
17.	मिजोरम	—	1.00	9.00	2.00	—	—	—	
18.	मेघालय	1.00	1.08	1.93		—	—	—	
19.	नागालैण्ड	1.00	7.84	12.70	8.00	—	—	—	
20.	उड़ीसा	5.00	16.90	45.34		—	—	—	
21.	पाण्डिचेरी	—	—	—		—	—	—	
22.	पंजाब	1.00	2.00	0.36		0.50	—	—	
23.	राजस्थान	2.77	22.00	16.00	5.00	—	—	—	
24.	सिक्किम	1.99	4.97	3.99	2.97	—	—	—	
25.	तमिलनाडु	4.51	29.15	—		—	—	—	
26.	त्रिपुरा	4.63	4.19	5.76		—	—	—	
27.	उत्तर प्रदेश	6.89	30.72	43.64	4.96	—	8.86	1.00	
28.	उत्तरांचल	—	—	—		—	—	—	
29.	पश्चिम बंगाल	28.63	23.15	34.52		—	0.50	—	
30.	दिल्ली	4.00	19.73	9.00		—	—	—	
	कुल	252.81	467.83	543.81	56.92	27.70	5.86	1.00	

11	12	13	14	15	16	17	18	19
44.75	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	2.84	5.10	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	71.07	—	—	15.99	—	—	
48.90	10.00	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
57.15	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2.00	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	61.39	78.84	—	
44.00	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1.78	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	63.00	—	—	—	290.09	—	—	
42.75	—	10.50	—	—	—	—	—	
—	—	6.00	—	—	12.19	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
6.00	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
276.55	202.00	89.57	12.50	—	396.19	111.83	1.78	

वर्ष 1999-2000 से 2002-03 (आज तक) के दौरान हथकरघा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत रिलीज

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्वास्थ्य पैकेज योजना				थ्रिफ्ट फण्ड योजना			
		99-00	00-01	01-02	02-03	99-00	00-01	01-02	02-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	50.35	—		—	—	—	
2.	आन्ध्र प्रदेश	86.99	96.25	—		41.04	—	—	
3.	असम	24.40	112.25	—		—	—	—	
4.	बिहार	—	—	—		—	—	—	
5.	छत्तीसगढ़	—	1.60	—		—	—	—	
6.	गोआ	—	—	—		—	—	—	
7.	गुजरात	—	55.11	—		8.00	—	—	
8.	हरियाणा	—	—	—		—	—	—	
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—		—	—	—	
10.	झारखण्ड	—	—	—		—	—	—	
11.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—		—	0.79	—	
12.	कर्नाटक	22.00	—	—		29.00	30.00	20.00	
13.	केरल	6.43	37.22	—		—	—	10.43	
14.	मध्य प्रदेश	—	—	—		2.96	1.03	3.72	
15.	महाराष्ट्र	—	—	—		25.83	4.78	2.26	
16.	मणिपुर	—	32.53	—		—	—	—	
17.	मिजोरम	—	—	—		—	—	—	
18.	मेघालय	1.96	2.34	—		—	—	—	
19.	नागालैण्ड	19.46	74.77	—		—	—	—	
20.	उड़ीसा	—	—	—		—	—	—	
21.	पाण्डिचेरी	—	—	—		—	—	—	
22.	पंजाब	—	—	—		—	—	—	
23.	राजस्थान	5.00	—	—		1.00	—	—	
24.	सिक्किम	18.80	2.50	—		—	—	—	
25.	तमिलनाडु	83.06	37.79	35.31		241.15	262.16	281.22	
26.	त्रिपुरा	—	29.83	—		—	0.29	0.13	
27.	उत्तर प्रदेश	—	—	—		—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	उत्तरांचल	—	—	—		—	—	—	
29.	पश्चिम बंगाल	5.00	7.35	2.35		—	—	—	
30.	दिल्ली	—	—	—		—	—	2.39	
	कुल	273.10	539.89	37.66		348.98	299.05	320.15	

[अनुवाद]

चावल का निर्यात

4096. श्री ए० ब्रह्मनैया :
डा० वी० सरोजा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने सड़क मार्ग से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस चुनिन्दा प्रतिबंध के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त निर्णय के कारण चावल निर्यातक गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को पोर्तों को दिए जा रहे विलम्ब शुल्क के कारण होने वाले भारी घाटे के संबंध में अखिल भारतीय चावल निर्यातक एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चावल निर्यातकों द्वारा अन्य कौन सी समस्याओं का सामना किया जा रहा है; और

(च) इन मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) पंजाब और हरियाणा में सड़क द्वारा निर्यात के प्रयोजनार्थ चावल का संचलन कथित कदाचार की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। तथापि, निर्यातकों की वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ सड़क द्वारा संचलन करने की अनुमति दे दी गई थी ताकि स्टाक के विपथन को रोका जा सके।

(घ) से (च) इस मामले के संबंध में अखिल भारत चावल निर्यातक संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उनका अनुरोध यह था कि 1.8.2002 से निर्यात मूल्यों में की जाने वाली वृद्धि को 1.9.2002 तथा आस्थगित रखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है।

श्रीलंका से चाय आयात के लिए पत्तनों को खोलना

4097. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार श्रीलंका के लिए शुल्क दर कोटा के अंतर्गत चाय के आयात के लिए पत्तनों को खोलने पर सहमत नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो श्रीलंका के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में भारत द्वारा कोई स्पष्ट नीति अपनायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अनुसार, भारत ने कोचीन और कोलकाता पत्तनों के जरिए श्रीलंका से टैरिफ रेट कोटा के अंतर्गत अधिमानी टैरिफ दर पर प्रति वर्ष 15 मिलियन किग्रा० चाय की एक निश्चित मात्रा का आयात किए जाने की अनुमति दी है। भारत 4-5 जुलाई, 2002 को कोलम्बो में दोनों पक्षों के बीच हुई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णयों के पश्चात् अब मुंबई और विशाखापत्तनम् के दो और पत्तनों के जरिए टी०आर०क्यू० के अंतर्गत चाय का आयात किए जाने पर सहमत हो गया है।

दलहनों का आयात

4098. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी मात्रा में दलहनों का आयात किय गया;

(ख) किन-किन देशों से यह आयात किया गया; और

(ग) उक्त आयात पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) दलहनों का आयात खुले

सामान्य लाइसेंस के अधीन है। दलहनों का आयात मुख्यत: म्यांमार, कनाडा, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमरीका और इंडोनेशिया से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात निम्नानुसार था :–

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1999-2000	2.51	354.69
2000 2001	3.50	493.79
2001 2002	21.80	3155.66

सरकारी खाते पर दलहनों का आयात केवल 1999-2000 के दौरान हुआ। 156.07 करोड़ रुपये मूल्य के एक लाख टन दलहन का आयात किया गया था।

उपग्रह चैनलों द्वारा दिया गया आयकर

4099. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में कार्य कर रहे विभिन्न उपग्रह चैनलों द्वारा चैनल-वार कितना आयकर दिया गया है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महंगाई भत्ता

4100. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 2002 से केन्द्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते की एक और किस्त के पात्र हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में दो बार, पहली जनवरी और पहली जुलाई को किया जाता है तथा जिसका भुगतान क्रमश: मार्च एवं सितम्बर माह के वेतन के साथ किया जाता है। पहली जुलाई से दी जाने वाली किस्त सामान्यत: सितम्बर महीने के वेतन के साथ देय होती है और इस संबंध में निर्णय उचित समय पर ले लिया जाएगा।

तोलन प्रणाली में प्रिंट आऊट

4101. श्री राम मोहन गाह्डे : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने तोलन प्रणाली में प्रिंट आऊट तीन वर्ष पूर्व शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे केवल किसानों के लिए ही किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो व्यापारियों और उत्पादकों को यह सुविधा प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) जी, हां। मानवीय त्रुटि के अवयव को कम करने तथा कदाचार की संभावना से बचने के लिए फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ०सी०वी०) तम्बाकू के उत्पादकों के संबंध में तौलने तथा प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण किया गया है। जहां तक क्रेताओं का संबंध है, प्रत्येक दिन की नीलामी की समाप्ति पर खरीदी गई गांठों की संख्या, कुल मात्रा, मूल्य तथा भुगतान योग्य कुल राशि को दर्शाने वाले बीजक जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, डिलीवरी के समय क्रेता को गांठों का भार दर्शाने वाला एक ट्रांजिट नोट भी जारी किया जाता है।

लेखापरीक्षकों के विनियामक

4102. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लेखा परीक्षकों के लिए एक स्वतंत्र विनियामक का गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार जब भी आवश्यक हो तब लेखा परीक्षा कंपनियों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने में किस सीमा तक समर्थ होगी ?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम्पनी अधिनियम के संबंधित उपबन्धों की गैर-अनुपालना के लिए, सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 के अंतर्गत सीधे ही चार्टर्ड एकाइउंटेंटों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।

मुख्य खाद्य पदार्थों को शक्तिवर्धक बनाना

4103. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिकतम उपयोग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों यथा गेहूं, आटा, चीनी, खाद्य तेल और दूध को शक्तिवर्धक बनाने के प्रयास करने का प्रस्ताव करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या विकासात्मक प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने शक्तिवर्धक खाद्य फार्मूला विकसित किया है;

(घ) सी०एफ०टी०आर०आई० की उन तकनीकों का ब्यौरा क्या है जिसका व्यावसायिक उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या शिशु कुपोषण से लड़ने के लिए पोषण कार्यक्रमों, मध्याह्न भोजन के लिए शक्तिवर्धक खाद्य फार्मूले आदर्श रहेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने एनर्जी फूड और मेलटेड विनिंग फूड जैसे अनुपूरक पोषक खाद्य पदार्थों के लिए सूत्र विकसित किए हैं। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान में रोलर फ्लोर मिलों और चक्की स्तर पर गेहूं के आटे को पुष्ट बनाने की प्रौद्योगिकी और क्रिया भी विकसित की है। खनिजों और विटामिनों से मानक स्तर तक पुष्ट ब्रैड और बिस्कुट जैसी पुष्ट बेकरी उत्पादों के सूत्र विकसित किए गए। इसी प्रकार चपाती, पूरी और परांठा जैसे परंपरागत और पसंदीदा खाद्य पदार्थ तैयार करने में पुष्ट आटे का इस्तेमाल किया गया था। पुष्ट सेमियों का सूत्र भी विकसित किया गया था।

पौषणिक कार्यक्रमों के लिए कुछ राज्य सरकारों तथा अनेक प्राइवेट उद्यमियों द्वारा इनर्जी फूड और मेलटेड विनिंग फूड तथा पोषक बिस्कुटों संबंधी केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान की प्रौद्योगिकीयों का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया गया है। ''न्यूटरो बिस्कुट'' के उत्पादन में अधिकांश बेकरी उत्पादक कंपनियों द्वारा भी पुष्ट खाद्य उत्पादों संबंधी केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान की प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक रूप से दोहन किया गया था।

(ङ) और (च) जी, हां। समन्वित बाल विकास स्कीम जैसे पौषणिक कार्यक्रमों के लिए खाद्य सूत्र आधारित संसाधित अनाज अथवा अनुपूरक खाद्य पदार्थों का फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी अत्यधिक संभावनाएं मौजूद हैं।

नि:शक्तों को बेरोजगारी भत्ता

4104. श्री डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नि:शक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 के तहत विशेष रोजगार कार्यालयों में दो वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत नि:शक्त व्यक्तियों, जिन्हें किसी लाभप्रद व्यवसाय में नियोजित नहीं किया जा सकता, को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकारों द्वारा उनकी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के भीतर एक योजना तैयार करने का प्रावधान किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 12 राज्य सरकारें नि:शक्त व्यक्तियों को 50 रु० प्रतिमाह से 250/-रु० प्रतिमाह के दायरे में बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करा रही हैं। इस क्षेत्र में कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

सीमा-शुल्क विभाग का कार्यकरण

4105. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क विभाग चल-फिर पाने में अन्य रोगियों द्वारा लाए जा रहे कुर्सी-यानों पर सीमा-शुल्क प्रभार मनमाने ढंग से लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में सीमा-शुल्क विभाग को क्या मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) क्या सीमा-शुल्क विभाग ऐसे लोगों की सहायता के लिए अपने विवेकाधिकारों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है जिन्हें अपनी असमर्थता के लिए सहायता की आवश्यकता होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही घटित मामले की जांच हेतु क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सीमा शुल्क मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि भारत में आयातित सारे माल पर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपबंधों और उनके अंतर्गत जारी नियमों और छूटों के अनुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है। उन अधिनियमों और नियमों के अधीन अनुमत अधिकारों को छोड़कर सीमा शुल्क अधिकारियों को कोई विवेकाधिकार नहीं दिए गए हैं।

एयर कार्गो कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली के जरिए "स्टेअर लिफ्ट" को "व्हील चेयर" कह कर आयात करने का एक मामला सरकार के ध्यान में आया है। "स्टेअर लिफ्ट" छूट अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आती है।

एन०आर०आई० (अनिवासी भारतीय) बॉण्ड्स

4106. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इण्डिया मिलेनियम डिपोजिट प्रोग्राम के समान कर्ज के माध्यम से 5-6 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए एक और पुन: अनिवासी भारतीय समुदाय का दोहन करने की सम्भावना तलाश रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय स्टेट बैंक, जिसने सरकार के लिए पिछले दो ऋणों रिसर्जेन्ट इण्डिया बाण्ड्स और आई०एम०डी० की व्यवस्था की थी, उसे नए ऋणों की भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनिवासी भारतीयों को यह प्रस्ताव कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई०डी०बी०आई० और आई०एफ०सी०आई० का विलय

4107. **श्री रामदास आठवले :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आई०एफ०सी०आई० की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने का है और आई०एफ० सी०आई० इन दोनों वित्तीय संस्थानों की समान सेवा शर्तों को ध्यान में रखते हुए इनका विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आई०एफ०सी०आई० को वर्तमान संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान, 1000 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज अनुमोदित किया गया था जिसमें से 400 करोड़ रु० भारत सरकार द्वारा आई०एफ०सी०आई० के 20 वर्षीय परिवर्तनीय डिबेंचरों में अंशदान करके उपलब्ध कराए गए थे, शेष राशि मुख्य शेयरधारकों द्वारा अंशदान की जानी थी। आई०एफ०सी०आई० के अनुरोध पर, भारत सरकार हाल ही में आई०एफ०सी०आई० की घरेलू उधार राशियों के संबंध में गारंटी की अवधि बढ़ाने और 100 मिलियन यू०एस० डालर विदेशी उधार राशियां जुटाने के संबंध में भी गारंटी देने के लिए सहमत हुई है, ताकि आई०एफ०सी०आई० अपना तात्कालिक चुकौती संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके।

[अनुवाद]

तम्बाकू बोर्ड के विस्तार कार्यक्रम के लिए धनराशि

4108. **श्री राम मोहन गाड्डे :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य बोर्डों यथा मसाला बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉयर बोर्ड और कॉफी बोर्ड इत्यादि द्वारा उत्पादकों पर खर्च की गयी राशि की तुलना में तम्बाकू विस्तार कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) क्या तम्बाकू बोर्ड ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) तम्बाकू बोर्ड ने वर्ष 2001-02 में तम्बाकू उत्पादकों के लिए विस्तार कार्यक्रमों पर 39.73 लाख रु० खर्च किए हैं। इसी अवधि में उत्पादकों के लिए विस्तार कार्यक्रमों पर मसाला बोर्ड ने 465.59 लाख रु०, चाय बोर्ड ने 319.74 लाख रु०, कॉफी बोर्ड ने 506 लाख रु० तथा रबड़ बोर्ड ने 226 लाख रु० खर्च किये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यातकों को चावल की बिक्री

4109. **डा० (श्रीमती) सुधा यादव :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने एक नयी योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत चावल-निर्यातक भारतीय खाद्य निगम से चावल खरीदकर उसका निर्यात कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन निर्यातकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विगत एक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम से चावल की खरीद की;

(घ) उक्त अवधि के दौरान चावल निर्यातकों द्वारा विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के चावल का निर्यात किया गया; और

(ङ) चालू वर्ष में निर्यातकों को किन-किन देशों से चावल के निर्यात के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) हाल ही में कोई नई योजना प्रारंभ नहीं की गई है। भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम, पी०ई०सी०, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ जैसी केन्द्रीय एजेंसियों और पंजाब मार्कफेड, हैफेड तथा पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम आदि जैसी राज्य एजेंसियों एवं अन्य निर्यातकों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की पेशकश करता है। 2001-02 के दौरान, विभिन्न देशों को निर्यात हेतु 19.85 लाख टन चावल का उठान हुआ।

(ङ) निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए आर्डरों से संबंधित सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

कम्पनी-निदेशकों को वेतन

4110. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कम्पनी-निदेशकों को दिये जाने वाले वेतन पर किसी सीमा का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कम्पनियों, विशेषकर 'एअर सहारा' द्वारा उक्त प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनी अधिनियम, 1956 के इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा इन कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनियों के निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की सीमाएं कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIII के साथ पठित धारा 198 व 309 के अंतर्गत निर्धारित हैं।

(ग) और (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एअर सहारा के नाम से कोई कम्पनी पंजीकृत नहीं है।

बाल विवाह

4111. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ राज्यों में बालिकाओं का विवाह 14 वर्ष की आयु के पूर्व ही कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ये कौन-कौन से राज्य हैं;

(ग) ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(घ) ऐसी विधि-अमान्य गतिविधि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में 14 वर्षों से कम उम्र सहित 15 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहले ही लड़कियों का विवाह कर दिए जाने के कुछ मामलों की रिपोर्ट प्रेस के एक खंड में आयी है।

(ग) सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से प्रेस रिपोर्ट से संबंधित सूचना की मांग की है।

(घ) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को 1978 से संशोधित किया गया है। संशोधित अधिनियम के अनुसार, विवाह के लिए न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को संज्ञेय बनाया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने छः राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बाल विवाह विरोधी अभियान आयोजित किया है, जहां आयोग का विचार है कि बाल विवाह अधिक प्रचलित हैं।

स्मृति में निकाले जाने वाले सिक्के

4112. **श्री सवशीभाई मकवाना : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक दैनिक उपयोग के लिए पांच, दो और एक रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों का उत्पादन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विवेकानन्द, उछंगराय देभर, मैडम कामा आदि जैसे महापुरुषों के नाम पर सिक्के चलाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्यवर्ग के सिक्कों का निर्माण करती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान कई प्रसिद्ध व्यक्तियों और घटनाओं की स्मृति में 12 सिक्के जारी किए हैं। इसके अलावा, इस समय टकसालें तीन और स्मारक सिक्कों के निर्माण में व्यस्त हैं। उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है जिससे इस वर्ष और कोई सिक्का जारी करने की गुंजाइश नहीं है।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग योजना

4113. श्री तूफानी सरोज :
श्री जय प्रकाश :
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में वस्त्र उद्योग और बुनकर केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मऊ जिलों में हथकरघा उद्योगों और बुनकरों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं, नामत:– (1) **निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना**–यह अपैरल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और निर्यात की गति बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने के लिए है, (2) **वस्त्र इंफ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना**–यह ऐसे विद्यमान केन्द्रों जिनके विकास की संभाव्यता है, में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने के लिए है, (3) **दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना**–यह फैब्रिक उत्पादन से संबंधित समग्र क्रियाकलापों के लिए हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए है ताकि उनकी गुणवत्ता, उत्पादकता और विपणन क्षमता में सुधार लाया जा सके तथा (4) विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटल लैस करघों और 2.5 लाख अर्द्धस्वचालित/स्वचालित करघों को शामिल करके बुनकर क्षमताओं के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 5% कम ब्याज पर अथवा 12% ऋण से संबद्ध पूंजी सब्सिडी से आधुनिकीकरण के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाती है। ये योजनाएं सभी राज्यों में उपलब्ध हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रेषित और अनुमोदित प्रस्तावों पर सहायता जारी की जाती है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मऊ जिलों में हथकरघा उद्योग की बदतर स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अभी तक मऊ जिले के लिए 5.525 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता वाली एक परियोजना की स्वीकृति दी गई है तथा वाराणसी जिले में 171.74 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता वाली 38 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इस राशि में से क्रमश: 2.76 लाख रुपए और 85.58 लाख रुपए पहले से ही जारी कर दिए गए हैं।

दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त सरकार हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, नामत: कार्यशाला सह-आवास, स्वास्थ्य पैकेज, सामूहिक बीमा, बचत निधि और नई बीमा योजना। पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों को लगभग 22.46 करोड़ की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

वैश्विक अर्थव्यवस्था

4114. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास रिपोर्ट में यह कहा गया है कि केवल भारत और चीन ने एशियाई क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में परिवर्तन प्रदर्शित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ग) क्या इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर से वर्ष 2001 के दौरान तेजी से मंदी आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास रिपोर्ट (2002) में यह उल्लेख किया गया है कि केवल चीन और भारत, जो दोनों ही बड़ी और अपेक्षतया आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, अधिकांशत: विश्व बाजार की मंदी के दबाव से अप्रभावित रहीं। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में 2001 के दौरान तेजी से मंदी आई। विकसित दुनिया के सभी तीन

अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं (अर्थात् संयुक्त राज्य, जापान तथा यूरोपीय संघ) का निष्पादन कमजोर रहा तथा 1990 के दशक में पिछली मंदी की तुलना में विकासशील देशों पर मंदी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूर्वी एशिया तथा लेटिन अमरीका की कुछ उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं भी मंदी की चपेट में आ गईं।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा उपयुक्त आर्थिक नीतियां तथा उपाय तैयार करते समय विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों तथा अन्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार ने देश में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाएं हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ व्यापार, उद्योग, आधारढांचा, वित्तीय क्षेत्रों की नीतियों का उदारीकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का यौक्तिकीकरण और उनमें कमी करना, ब्याज दरों में कमी करना, आधारढांचा और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश हेतु करावकाश तथा ठोस बृहत आर्थिक नीतियां शामिल हैं ताकि मूल्यों और विनिमय दरों में स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके।

[हिन्दी]

आयकर वापसी हेतु वाउचर

4115. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 2002 के दैनिक जागरण में ''जब वाउचर ही नहीं तो वक्त पर किसे मिलेगा आयकर रिफंड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वाउचरों के समय पर मुद्रण न किए जाने के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हैं;

(ग) क्या आयकर विभाग ने उनके मंत्रालय से निजी प्रेस से वाउचर मुद्रण कराने की अनुमति मांगी है; और

(घ) इसके लिए अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं और उक्त वाउचरों को मुद्रित कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) दी इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक धनवापसी वाउचरों को पर्याप्त संख्या में मुद्रित करने में समर्थ नहीं था।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुमति दी गई थी।

राजस्थान को वित्तीय सहायता

4116. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को शीर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान के हित में केन्द्रीय सहायता राशि और ऋण और सहायतानुदान के बीच के अनुपात को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या राजस्थान को कुल योजना सहायता में से 40 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य के व्यापक हित में इस स्थिति का नवीकरण किया जा रहा है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राजस्थान को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का शीर्ष-वार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

विवरण

वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के शीर्ष-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	573.01	528.82	599.90
2.	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ए०सी०ए०	188.09	248.42	99.12
3.	ए०सी०ए० (अन्य)	390.33	412.65	290.74
4.	केन्द्रीय करों में हिस्सा	2201.71	2836.61	2882.36
5.	लघु बचत अग्रिम	1705.34	2203.82	2638.41
6.	सी०आर०एफ०/एन०एफ०सी० आर०/एन०सी०सी०एफ०	258.18	281.00	201.23
7.	गैर-योजना सहायता	118.18	936.28	687.03

अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान हेतु प्रस्ताव

4117. **डॉ० चरणदास महंत** : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में आदिवासियों के विकास हेतु केन्द्र सरकार को पन्द्रह प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधि निर्मुक्त करने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण संलग्न है।

(ग) प्रस्तावों पर मंजूरी के लिए मंत्री और संबंधित राज्य के जनजातीय विकास के प्रभारी सचिवों की बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की पात्रता अर्थात् 2089.00 लाख रुपए के भीतर विचार किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वित्त व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव

क्रम सं०	परियोजना का नाम	शामिल किया जाने वाले क्षेत्र	अनुमानित राशि (रुपए लाख में)
1.	इब नदी पर पुल का निर्माण	लावाखेड़ा-खीरीबहार, जशपुर	447.00
2.	छत्तीसगढ़ के बिना बिजली वाले 1250 गांवों की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए एकीकृत परियोजना प्रस्ताव	छत्तीसगढ़ के 1250 गांव	22500.00
3.	महारानी अस्पताल, जगदलपुर के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद	बस्तर जिला	545.70
4.	सिंचाई, संयोजी सड़कों, संड़कों की मरम्मत, पुलों, पुलियों आदि का विकास	जनजातीय उपयोजना क्षेत्र लोहारा, जिला दुर्ग	1135.17
		कुल :	24627.87

[अनुवाद]

खाद्य पार्क

4118. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडारण निगम देश में खाद्य पार्क की स्थापना करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित योजना के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) खाद्य पार्क के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

यूरेका फोर्बस

4119. **श्री अरुण कुमार** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलीव इंडिया लिमि० के मामला संख्या 1995 (76) ई०एल०टी० 186 टी० में अधिकरण ने यह निर्णय दिया था कि फैक्ट्री पर बिक्री मान्य नहीं होगी और संपूर्ण उत्पादन को डिपो को स्थानांतरित करना होगा और इसके मूल्य का निर्धारण डिपो बिक्री मूल्य के आधार पर किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरेका फोर्बस लिमि० नैनीताल ने "टरबोक्लीन" का संपूर्ण उत्पादन डिपो को हस्तांतरित किया था लेकिन फैक्ट्री में उत्पादों के मूल्य को 3.14 करोड़ रुपये कम दिखा कर इन्होंने कम उत्पाद शुल्क का भुगतान किया; यदि उपरोक्त निर्णय को दृष्टि में रखते हुए उत्पाद शुल्क लगाया जाता तो यह 56.51 लाख रुपये बैठता; और

(ग) यदि हां, तो हस्तांतरित किए गए स्टॉक पर लगने वाले शुल्क की चोरी पर लगने वाले पेनल्टी और ब्याज सहित देय

उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स यूरेका फोर्बस लिमि०, भोवाली, नैनीताल को 56.51 लाख रुपये के शुल्क की मांग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

रेशम का आयात

4120. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर चीन द्वारा रेशम आयात किये जाने से घरेलू उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विदेशी रेशम पर शुल्क को 44 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) क्या बहुत पहले ही धागे के लच्छों पर 10 प्रतिशत राजसहायता की घोषणा की गई थी लेकिन इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के आश्वासन पर कुछ राज्य सरकारें पहले से ही राजसहायता योजना का क्रियान्वयन कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो राज्य सरकारों को राज्य सहायता की प्रतिपूर्ति करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) वर्ष 2001-2002 में कच्चे रेशम के प्रमुख रूप से चीन से आयात की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है जबकि इनकी कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस प्रवृति ने कच्चे रेशम तथा कोयों की घरेलू कीमतों पर दबाव डालते हुए घरेलू बाजार को प्रभावित किया है।

(ख) रेशम-उत्पादक राज्यों, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार शामिल है, ने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार से कच्चे रेशम पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की मांग करते हुए घरेलू कीमतों में गिरावट पर नियंत्रण हेतु उपाय करने के लिए अनुरोध किया।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा आयात शुल्क में बढ़ोतरी के संबंध में वित्त मंत्रालय से तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को पॉटन-रोधी क्षेत्र में अन्वेषण करने हेतु सिफारिश की गई है।

(घ) से (च) राज्य सरकारों को नामित संगठनों से माध्यम से हथकरघा बुनकरों को शुल्क मुक्त हैंक यार्न के वितरण की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, जिस पर हथकरघा बुनकरों को शुल्क मुक्त हैंक यार्न वितरित किए गए हैं। इस प्रयोजन से इस योजना के पूरा होने पर उनके द्वारा वहन की गई "कैनवेट" के प्रभारों को उन्हें वापिस कर दिया जाएगा।

सी०बी०डी०टी०/सी०बी०ई०सी० की पुनर्संरचना

4121. **श्री अनंत गुडे** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व संग्रहण लक्ष्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से सी०बी०डी०टी० और सी०बी०ई०सी० की पुनर्संरचना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वास्तविक वसूली की तुलना में चालू वर्ष के लिए सी०बी० डी०टी० और सी०बी०ई०सी० समाहरणालय द्वारा निर्धारित राजस्व संग्रहण लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर आधार को व्यापक बनाने के लिए वसंत साठे के प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य हेतु किया गया है। इस पुनर्गठन के भाग के रूप में, वर्तमान आयुक्तालयों तथा मंडलों को अधिक सुसंबद्ध बनाया गया है। इसका उद्देश्य इन कार्यालयों के कार्यभार का यौक्तिकीकरण करना, गहन पर्यवेक्षण की संभव सुविधा प्रदान करना तथा वैयक्तिक कर अदाकर्ताओं के साथ-साथ व्यापार तथा उद्योग को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कर प्रशासन तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए चालू वर्ष के राजस्व संग्रहण के कर-वार बजट अनुमानों तथा जून, 2002 तक वास्तविक संग्रहण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(रु० करोड़ों में)

	बजट अनुमान 2002-03	वास्तविक संग्रहण (जून, 2002 तक)
	1	2
निगमित कर	48616	4042
आयकर	42524	6385
अन्य प्रत्यक्ष कर	445	67

	1	2
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	91141	17477
सीमा शुल्क	45193	9991
अन्य अप्रत्यक्ष कर	7076	1212
योग	234995	39174

(घ) प्रत्यक्ष कराधार को विस्तृत करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में वैयक्तिकों आदि द्वारा विवरणियां दर्ज करने के लिए छः में से एक स्कीम, कम्पनियों द्वारा अनिवार्य रूप से विवरणियां दर्ज करना, कतिपय बड़ी राशि के लेन-देनों में पैन का उल्लेख अनिवार्य करना, केन्द्रित सर्वेक्षण तथा तलाशियां करना और विभिन्न वित्तीय गति-विधियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टी०डी०एस०) प्रावधानों की प्रयोज्यता को विस्तृत करना शामिल है।

व्यापारियों द्वारा सी फार्मों का भरा जाना

4122. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में आते छोटे व्यापारियों द्वारा 'सी' फार्म भरे जाने की शर्त की अनिवार्यता के कारण इस संघ राज्य क्षेत्र में व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) सरकार द्वारा इस शर्त को हटाने/समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव प्रशासन ने सूचित किया है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान

4123. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) कर्नाटक राज्य में ऐसे जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक में जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) केन्द्र प्रायोजित योजना "अनुसंधान एवं प्रशिक्षण" के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना के लिए लागत शेयरिंग आधार पर 50% अनुदान देता है बशर्ते राज्य सरकारें अपने बजट में 50% की बराबर की धनराशि रखें।

(ख) से (घ) कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 10.7.2002 के अद्यतन आदेशों के अनुसार स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष अर्थात् 2002-2003 में जारी रखने की मंजूरी के बाद लिया जाएगा।

अनंकेक्षित आय में वृद्धि का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ दल

4124. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था में अनंकेक्षित आय की वृद्धि का अध्ययन करने हेतु एक व्यापक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के विचारार्थ विषय क्या हैं और उसका स्वरूप क्या है;

(ग) क्या दल ने अर्थव्यवस्था में अनंकेक्षित आय में वृद्धि के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) दल का गठन अर्थव्यवस्था में लेखा बाह्य धन के प्रवाह एवं भंडार का व्यापक अध्ययन करने एवं उसे रोकने हेतु उपाय सुझाने के लिए किया गया था। उक्त दल में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे तथा जिसके अध्यक्ष, मुख्य आयकर आयुक्त थे।

(ग) जी, हां।

(घ) दल ने लेखा बाह्य धन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कतिपय उपायों के बारे में सुझाव दिया था।

(ङ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

जूट से बने थैलों को बढ़ावा देना

4125. श्री जे०एस० बराड़ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी बड़े शहरों में प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलों का निर्माण, बिक्री और उनका उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्लास्टिक के थैलों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए हल्के जूट के थैलों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारत में प्लास्टिक थैलों के स्थान पर जूट से बने थैलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में जूट उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारत में जूट के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) प्रयुक्त और अप्रयुक्त प्लास्टिक से बने कैरी बैग्स जो प्रयुक्त प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 के अनुरूप हैं, के विनिर्माण और उपयोग को अनुमति दी जा सकती है। इन नियमों के अनुसार अप्रयुक्त प्लास्टिक और प्रयुक्त प्लास्टिक से बने कैरी बैग्स का न्यूनतम मोटापन 20 माइक्रोन से कम नहीं होगा। ये नियम पूरे भारत में लागू हैं और इनका क्रियान्वयन निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

(ख) हल्के पटसन बोरों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार राष्ट्रीय पटसन विविधिकरण केन्द्र (एन०सी० जे०डी०) और पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे०एम०डी०सी०) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ये दो अभिकरण अभियान, मेले, प्रदर्शनी, संपर्क संवर्द्धन कार्यक्रम, क्रेता-विक्रेता बैठक आदि का आयोजन कर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में पटसन बोरे के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान परिसंघ (इजिरा) को भी सहायता दे रही है। हाल में चलाई गई एक योजना जिसका नाम पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना है, को राजस्व विभाग द्वारा संग्रहित उपकर से पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे०एम०डी०सी०) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पटसन मिलों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु चयनित पटसन मशीनरी की लागत के 15% की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे पटसन और पटसन सामानों का औसत उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। पटसन उत्पादकों को सहायता देने के उद्देश्य से सरकार कच्चे पटसन और मेस्टा के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त सरकार पटसन किसानों तथा पटसन वस्तुओं के विनिर्माण में लगे व्यक्तियों को पटसन पैकेजिंग सामान (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत सहायता भी प्रदान करती है।

विवरण

पटसन सामान का उत्पादन

मात्रा : हजार टन में

अप्रैल-मार्च	हैसियन	सैकिंग	सी०बी०सी०	अन्य	कुल
1999-2000	344.5	909.2	8.0	328.5	1590.2
2000-2001	337.9	952.9	6.6	327.5	1624.9
2001-2002	275.3	1034.3	5.0	286.2	1600.8
2002-2003 (अप्रैल, 02-मई, 02)	48.0	139.7	0.5	42.5	230.8

कच्चा पटसन सामान का उत्पादन

(मात्रा : लाख गांठ में)

वर्ष	कुल
1999-2000	78.58
2000-2001	94.00
2001-2002	105.00
2002-2003 (अनुमानित)	115.00

[हिन्दी]

बिहार में अनुसूचित जाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं

4126. श्री सुबोध राय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में बिहार की अनुसूचित जातियों के लोगों के कल्याण हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु आबंटन राशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि कितनी है और अब तक इसमें से कितनी धनराशि जारी की गई है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बिहार में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और

अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 138.95 करोड़ रु० निर्मुक्त किए गए हैं, जैस कि बिहार द्वारा सूचना दी गई है, निर्मुक्त राशि में से 59.37 करोड़ रु० व्यय कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दसवीं योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निधियों की निर्मुक्ति नौवीं योजना की तुलना में अधिक होने की संभावना है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं किन्तु राज्यों द्वारा निधियों की वृद्धि पूर्व में की गई निर्मुक्तियों से संबंधित उपयोग रिपोर्टों तथा प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करती है।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान की योजना के अंतर्गत अब तक 0.55 करोड़ रु० की राशि निर्मुक्त की गई है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वर्ष 2002-03 के दौरान बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बी०एस०सी०डी० सी०) के लिए सांकेतिक रूप से 13.14 करोड़ रु० आबंटित किए हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार राज्य के लिए 0.86 करोड़ रु० का सांकेतिक आवंटन किया है।

[अनुवाद]

वित्त अधिनियम, 1997

4127. श्री अरुण कुमार : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वित्त अधिनियम, 1997 के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1994 में धारा 3क अंत:स्थापित किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त धारा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं जिसे लागू किया गया है;

(ग) उक्त अधिनियम में पाई गई कमियों/खामियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) धारा 3क को कर अपवंचन पर रोक लगाने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि उत्पाद शुल्क उत्पादन क्षमता के आधार पर एकत्र किया जाए। तथापि, कार्यान्वयन में व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा इस धारा को हटा दिया गया था।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त के कार्यालय का स्थानांतरण

4128. श्री एम०के० सुब्बा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्य केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त के कार्यालय को कोलकाता से गुवाहाटी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) शिलांग में मुख्यालय के साथ पूर्वोत्तर के लिए मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त कार्यालय का सृजन किया जा रहा है।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए दो मुख्य आयुक्त अलग से कोलकाता में बने रहेंगे।

एड्स संबंधी उत्पाद शुल्क

4129. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के बजट में एड्स की दवाओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 15 प्रतिशत की कमी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पाद शुल्क में यह कमी से आम उपभोक्ता तक पहुंच पायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा आम जनता के हित में एड्स दवाओं की कीमत कम करने हेतु क्या प्रयास किए जाने/कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) इस वर्ष में बजट में कुछ एड्स दवाइयों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गई है।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं को प्रभारित कीमतों का मांग और आपूर्ति के कारण बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारण किया जाता है और यह विभिन्न कारकों, जैसे कि निवेशों की लागत, अनुसंधान एवं विकास लागत, उत्पाद गुणवत्ता, बिक्री संवर्धन लागत, व्यापार कमीशन, मालभाड़ा प्रभार और करों पर निर्भर करता है। उत्पाद कानूनों में उपभोक्ताओं को शुल्क में कटौती अंतरित करने का कोई विशेष

प्रावधान नहीं है। एड्स दवाइयों की कीमतें सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं हैं।

राज्यों का ऋण

4130. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार से अतिरिक्त ऋण के लिए अनुरोध किया है;

(ग) अतिरिक्त ऋण कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) संघ सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा राज्यों को दिए गए अग्रिम ऋणों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण सलंग्न है।

(ख) से (घ) कुछ राज्य सरकारों ने उनके द्वारा झेले जा रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए लचीली शर्तों पर ऋण के लिए अनुरोध किया है। भारत सरकार ने अर्थोपाय अग्रिम मुहैया कराके और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों की प्राप्तियों तथा व्यय में व्याप्त अस्थायी असंतुलन को देखते हुए योजना तथा गैर-योजना सहायता राशि प्रदान करके राज्यों की मदद की है।

विवरण

चालू वित्त वर्ष 2002-03 (दिनांक 01.04.02 से 31.07.02 तक) के दौरान संघ सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा राज्यों को अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों के ब्यौरों (सकल ऋणों, तथा अर्थोपाय अग्रिमों) को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	1.4.02 से 31.7.02 तक जारी सकल ऋण	1.4.02 से 31.7.02 तक जारी अर्थोपाय अग्रिम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	998.53	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.69	0.00
3.	असम	51.21	470.00
4.	बिहार	354.29	0.00
5.	छत्तीसगढ़	93.36	0.00
6.	गोवा	21.45	0.00
7.	गुजरात	340.11	0.00
8.	हरियाणा	127.70	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	29.90	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	84.67	0.00
11.	झारखण्ड	118.06	0.00
12.	कर्नाटक	333.64	0.00
13.	केरल	208.99	35.00
14.	मध्य प्रदेश	327.90	0.00
15.	महाराष्ट्र	390.26	25.00
16.	मणिपुर	13.06	309.68
17.	मेघालय	13.76	65.00
18.	मिजोरम	14.31	0.00
19.	नागालैंड	14.23	50.00
20.	उड़ीसा	445.45	417.00
21.	पंजाब	116.51	0.00
22.	राजस्थान	230.55	0.00
23.	सिक्किम	12.09	0.00
24.	तमिलनाडु	341.39	0.00
25.	त्रिपुरा	17.97	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	967.01	0.00
27.	उत्तरांचल	32.40	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	571.68	350.00
	कुल	6288.17	1721.68

टैक्सनेट के अंतर्गत सेवा क्षेत्र

4131. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार केवल चार फार्मदा से भी कम सेवा क्षेत्र को टैक्स नेट के अंतर्गत ला पाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सेवा क्षेत्र के केवल कुछ सेगमेंटों/सब सेगमेंटों को तदर्थ आधार पर इसके अंतर्गत लाने की बजाय सेवा क्षेत्र के टैक्सनेट को और व्यापक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा कर की संकल्पना नई नई है। इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र अत्यधिक विकेन्द्रीकृत है और कई मामलों में ये गैर-व्यावसायिक है। इसलिए कर के अनुपालन को समुन्नत करने में कुछ समय लगेगा। तथापि, सेवा कर के क्षेत्र का क्रमिक रूप से विस्तार किया गया है और वर्ष 1994-95 में 3 सेवाओं से लेकर यह क्षेत्र 50 सेवाओं तक फैल गया है।

[हिन्दी]

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर संग्रहण संबंधी टिप्पणी

4132. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट संख्या 12 के अनुसार वर्ष 1998-99 से 2000-01 के लिए निगमित कर और आयकर से प्राप्त राजस्व आय बजट अनुमानों के अनुरूप थी किन्तु प्रत्यक्ष कर का संग्रहण बजट अनुमानों से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट सं० 12 के अनुसार, वित्त वर्ष 1998-99 और वित्त वर्ष 1999-2000 के लिए निगमित कर और आयकर का संग्रहण उन वर्षों के बजट अनुमानों से कम हुआ। तथापि, वित्त वर्ष 2000-2001 में संग्रहण बजट अनुमानों से अधिक था।

(ख) वित्त वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक के लिए बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राजस्व संग्रहण कई आर्थिक कारकों जैसे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, मुद्रास्फीति की दर सरकार की कर नीति, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां, विदेश व्यापार आदि पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ के बारे में पूर्वानुमान करना कठिन है।

(घ) सरकार बजट अनुमानों एवं वास्तविक संग्रहणों के मध्य अन्तर को कम करने के लिए सतत प्रयास कर रही है।

विवरण

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता	भिन्नता का प्रतिशत
1	2	3	4	5
		0020-निगमित कर		
1998-99	26,550.00	24,528.87	(-) 2,021.13	(-) 7.61
1999-00	30,850.00	30,692.29	(-) 157.71	(-) 0.51
2000-01	35,040.00	35,696.27	656.27	1.81
		0021-निगमित कर से भिन्न आय पर कर		
1998-99	20,930.00	20,240.15	(-) 689.85	(-) 3.30
1999-00	26,910.00	25,654.50	(-) 1,255.50	(-) 4.67
2000-01	3,510.00	31,763.98	1253.98	4.11
		0028 आय और व्यय पर अन्य कर		
1998-99	330.00	395.11	95.11	31.70
1999-00	330.00	271.65	(-) 58.37	(-) 17.68
2000-01	330.00	298.17	(-) 31.83	(-) 9.65
		0032-सम्पत्ति कर		
1998-99	145.00	162.04	17.04	11.75
1999-00	145.00	132.91	(-) 12.09	(-) 8.33
2000-01	145.00	131.73	(-) 13.27	(-) 9.15

[अनुवाद]

मुखबिरों को इनाम

4133. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन मुखबिरों को कोई इनाम दिया है जिन्होंने तस्करों को पकड़वाने में मदद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान मुखबिरों को कुल कितने मूल्य के इनाम दिए गए;

(ग) क्या प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क, डी०आर०आई० के कुछ अधिकारी अपने पसंदीदा लोगों को मुखबिरों के रूप में बताकर ऐसे इनाम ले लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) मुखबिर, अभिगृहीत निषिद्ध माल के शुद्ध बिक्री आगमों और/अथवा उद्गृहीत/अधिरोपित और वसूल किए गए जुर्माने एवं अर्थदण्ड की राशि सहित अपवंचित शुल्क के 20% तक की राशि तक पुरस्कार हेतु पात्र होते हैं। तथापि अभिगृहीत सोने, चांदी और स्वापक औषधियों के संबंध में पुरस्कार की सारी ऊपरी सीमाएं विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार होती हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग द्वारा मुखबिरों को 14.54 करोड़ रुपए (लगभग) की धनराशि पुरस्कार में दी गई है।

(ग) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कपास उत्पादकों के लिए योजना

4134. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारंपरिक एवं अपारंपरिक राज्यों में कपास उत्पादकों की सहायता के लिए कोई योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चलाई गई योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमा योजना में कपास उत्पादकों को सम्मिलित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, को फरवरी, 2000 से शुरू किया है। मिशन का लघु मिशन 2 परंपरागत और गैर-परंपरागत राज्यों दोनों में क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस योजना में राज्य सरकारों के माध्यम से कपास उत्पादकों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है और इसमें उत्पादन संबंधी प्रदर्शन द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के संघटक, समन्वित कीट प्रबंधन और किसानों/विस्तार श्रमिकों का प्रशिक्षण और बीज, स्प्रेयर्स, स्प्रिंक्लर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फेरोमोन ट्रेप, बायो-एजेन्ट आदि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट की आपूर्ति शामिल है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन०ए०आई०एस०) के अंतर्गत, कपास फसल को भी अन्य क्षेत्र फसलों के साथ शामिल किया गया है। योजना में कर्जधारक और कर्जमुक्त दोनों किसान शामिल हैं और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को यह योजना उपलब्ध है। केन्द्र और राज्य सरकार योजना के कारण 50:50 आधार पर दायित्व का वहन करते हैं। कपास के एक व्यापारिक फसल होने के कारण, प्रीमियम की वास्तविक दर ली जाती है जो राज्य-राज्य और वर्ष प्रति वर्ष अलग-अलग होता है।

सामान्य वित्तीय नियम

4135. श्री अरुण कुमार :
श्री रामजी मांझी :

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत कोटेशन के माध्यम से 10,000 रुपए तक की खरीद करना अनिवार्य है;

(ख) क्या कुछ सरकारी विभागों ने कोटेशन आमंत्रित न करके इस अधिदेश का उल्लंघन किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सामान्य वित्तीय नियमों के उल्लंघन के ऐसे मामलों की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सामान्य वित्तीय नियमों के प्रतिबंधों के संबंध में दी गई छूट की समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 102(1) के अनुबंध में दिए गए परिशिष्ट 8 (भाग-I) में नियम 2 के नीचे नोट के अनुसार 1000/- से 10,000/- रुपए के बीच की लागत के भण्डारों के सभी खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

(ख) से (घ) यह भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों का कार्य है कि वे सामान्य वित्तीय नियामवली (जी०एफ०आर०) में निर्धारित प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करें।

(ङ) और (च) सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस मंत्रालय के साथ परामर्श करके दिनांक 14.07.1981 को सामान्य वित्तीय नियमावली (जी०एफ०आर०) में निर्धारित निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने की प्रक्रिया में छूट देते हुए एक आदेश जारी किया था, जिसमें केन्द्र सरकार के सभी विभागों, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित तथा/अथवा नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए लेखन सामग्री एवं अन्य मदों की सभी स्थानीय खरीद केवल केन्द्रीय भण्डार से ही करना अनिवार्य कर दिया था। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए तथा सरकारी संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार और एन०सी० सी०एफ० को दी गई मौजूदा विशेष व्यवस्था की समीक्षा करने तथा

इसके बदले जी०एफ०आर० के प्रावधानों का अनुपालन करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से दिनांक 14.07.1981 के का०ज्ञा० की समीक्षा करने तथा तीनों सहकारी समितियों के हितों की रक्षा करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों को उपयुक्त सुरक्षा कवच के साथ अपनाने का अनुरोध किया गया था।

केन्द्रीय भण्डार से खरीद

4136. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय भण्डार से ऐसी खरीद जो की जाती रही है, के लिए निविदा आमंत्रित करने से संबंधित सामान्य वित्तीय नियमों के अध्याय 8 में निर्धारित प्रक्रिया को हटा दिया था;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकारी विभाग डी०ओ०पी० एंड ए०आर० द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के आधार पर केन्द्रीय भण्डार से सामग्री खरीदना जारी रखते हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या डी०ओ०पी० एंड ए०आर० एक विधिमान्य संस्था है;

(च) क्या सामग्री की खरीद नीति के संबंध में यह आवश्यक है कि सभी सामग्री की खरीद न्यूनतम मूल्य पर की जाए;

(छ) क्या केन्द्रीय भण्डार से सामग्री की खरीद सर्वाधिक महंगी है;

(ज) क्या स्वीकृत मूल्यों की अपेक्षा खुदरा मूल्य पर कम्प्यूटरों को बेचने के विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में लाए गए थे लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई; और

(झ) इस मुद्दे को जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को न सौंपने और दोषी व्यक्तियों को सजा न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ङ) सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस मंत्रालय के साथ परामर्श करके दिनांक 14.07.1981 को सामान्य वित्तीय नियमावली (जी०एफ०आर०) में निर्धारित निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने की प्रक्रिया में छूट देते हुए एक आदेश जारी किया था, जिसमें केन्द्र सरकार के सभी विभागों, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित तथा/अथवा नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए लेखन-सामग्री एवं अन्य मदों की सभी स्थानीय खरीद केवल केन्द्रीय भण्डार से ही करना अनिवार्य कर दिया था। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए तथा सरकारी संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं आत्म-निर्भर बनाने पर जोर देते हुए केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार और एन०सी०सी०एफ० को दी गई मौजूदा विशेष व्यवस्था की समीक्षा करने तथा इसके बदले जी०एफ०आर० के प्रावधानों का अनुपालन करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से दिनांक 14.07.1981 के का०ज्ञा० की समीक्षा करने तथा तीनों सहकारी समितियों के हितों की रक्षा करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों को उपयुक्त सुरक्षा कवच के साथ अपनाने का अनुरोध किया गया था।

(च) जी, हां।

(छ) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय श्री कोडीकुनील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : अध्यक्ष महोदय, श्री जसवंत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभाटल पर रखता हूं :–

(1) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उपधारा (5) के अंतर्गत लागत और संकर्म अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2002 जो 26 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० जी०/18-सी०डब्ल्यू०ए०आई०/2000/नं० सी०डब्ल्यू०आर० (1)

2002 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5949/2002]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी लॉ बोर्ड (आवेदनों और याचिकाओं पर फीस संशोधन नियम, 2002 जो 22 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 510(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5950/2002]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : अध्यक्ष महोदय, श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा०का०नि० 292(अ) जो 19 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात-आयात नीति 2002–2007, जो 1 अप्रैल, 2002 से लागू हुई थी, में घोषित अग्रिम लाइसेंस स्कीम को कार्यान्वित करना है तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 26 जून, 2002 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 450(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 292(अ) जो 19 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात-आयात नीति 2002–2007, जो 1 अप्रैल, 2002 से लागू हुई थी, में घोषित निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम को कार्यान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 298(अ) जो 22 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात-आयात नीति 2002–2007, जो 1 अप्रैल, 2002 से लागू हुई थी, में घोषित शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम को कार्यान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 299(अ) जो 22 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात-आयात नीति 2002–2007, जो 1 अप्रैल, 2002 से लागू हुई थी, में घोषित शुल्क मुक्त छूट प्रमाणपत्र स्कीम को कार्यान्वित करना है तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 7 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 331(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 300(अ) जो 22 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यात-आयात नीति 2002–2007, जो 1 अप्रैल, 2002 से लागू हुई थी, में घोषित डीम्ड निर्यात स्कीम के लिए अग्रिम लाइसेंस नीति को कार्यान्वित करना है तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 26 जून, 2002 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 451(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 301(अ) जो 22 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी०शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 302(अ) जो 24 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का०आ० 797(अ) जो 26 जुलाई, 2002 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का०आ० 798(अ) जो 26 जुलाई, 2002 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5951/2002]

(2) आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

(एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2002 जो 7 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 494(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2002 जो 10 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 620(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2002 जो 21 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 658(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2002 जो 10 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 724(अ) मे प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(पांच) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 19 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 644(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(छह) का०आ० 645(अ) जो 19 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 और परवर्ती कर निर्धारण वर्षों के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (10ग) के प्रयोजनार्थ 'इन्टरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूटशन आफ दि सेमी एरीड ट्रापिक्स' को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2002 जो 19 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 646(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5952/2002]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 402(अ) जो 3 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के०उ०शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 434(अ) जो 18 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के०उ०शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 435(अ) जो 18 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के०उ०शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 441(अ) जो 21 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 29/2002-के०उ०शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5953/2002]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 436(अ) जो 18 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी०शु० में संशोधन करना है ताकि एन०टी०पी०सी० के पांच विद्युत संयंत्रों को सप्लाई किए गए नाफ्था पर अतिरिक्त सीमा शुल्क की छूट को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 506(अ) जो 22 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 91/2001-सी०शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 518(अ) जो 24 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा यथाअनुशंसित चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित थर्मल सेन्सिटिव पेपर (टी०एस०पी०) पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 520(अ) जो 24 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित

तथा भारत में आयातित एक्रेलिक यार्न पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 521(अ) जो 24 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 105/2001-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5954/2002]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यच्युअल फंड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, जो 11 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 652(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5955/2002]

(6) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) डाकघर बचत बैंक (सामान्य) (संशोधन) नियम, 2002 जो 10 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 348(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 2002 जो 10 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 349(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर (मासिक आय खाता) दूसरा संशोधन नियम, 2002 जो 10 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 350(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डाकघर बचत खाता दूसरा संशोधन नियम, 2002 जो 14 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 431(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) डाकघर आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 23 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 514(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5956/2002]

(7) बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (11) के अंतर्गत बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड (बैंक आफ बड़ौदा के साथ समामेलन) स्कीम, 2002 जो 19 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 648(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 19 जून, 2002 की अधिसूचना संख्या का०आ० 649(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5957/2002]

(8) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान बाजार से लिए गए उधारों के परिणामों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5958/2002]

(9) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों से संबंधित प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों से संबंधित प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) केनरा बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों से संबंधित प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) विजया बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों से संबंधित प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) आंध्रा बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों से संबंधित प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5959/2002]

(10) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5960/2002]

[श्री अनन्त गंगाराम गीते]

(11) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5961/2002]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : मैं, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 50 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चाय बोर्ड [उपनिदेशक, चाय विकास (बागान) की भर्ती और सेवा शर्तें] उपनियम, 2001, जो 26 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11(5)/स्था०/85 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5962/2002]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय 2002 के शीतकालीन सत्र के अंत तक बढ़ाती है।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय 2002 के शीतकालीन सत्र के अंत तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02½ बजे

[अनुवाद]

शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त समिति में रिक्ति भरे जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

''कि यह सभा शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त समिति से श्री अनंत गंगाराम गीते के त्यागपत्र से उत्पन्न हुई रिक्ति के स्थान पर श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल को नियुक्त करती है।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा शेयर बाजार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त समिति से श्री अनंत गंगाराम गीते के त्यागपत्र से उत्पन्न हुई रिक्ति के स्थान पर श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल को नियुक्त करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 2002-2003 अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1999-2000 और रेल अभिसमय समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करने के बारे में संकल्प

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 2002-2003 के लिए रेल मंत्रालय से संबंधित अनुपूरक अनुदान की मांग, वर्ष 1999-2000 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा रेल अभिसमय समिति संबंधी संकल्प पर संयुक्त चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए 4 घंटे का समय नियत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाये गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशि भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 2, 6 और 10 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि (रु०)
1	2	3
16	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	400,00,05,000
	रेलवे निधियां	55,000
	जोड़	400,00,60,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1999-2000 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि (रु०)
1	2	3
2	विविध व्यय (सामान्य)	1,01,31,416
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	41,41,694
10	परिचालन व्यय – ईंधन	54,86,76,7190
	जोड़	56,29,49,829

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध पण्डा, जिन्होंने वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग हेतु कटौती प्रस्ताव दिया है, अब अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रबोध पण्डा – उपस्थित नहीं।

अब मंत्री महोदय संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर, आदि की पुनरीक्षा के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (1999) के पांचवें प्रतिवेदन, जो लोक सभा में 26.2.2002 को प्रस्तुत किया गया था के पैरा 54, 55, 59, 60, 61, 64 और 65 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : चूंकि चर्चा में भाग लेने हेतु कोई वक्ता नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि श्री प्रबोध पण्डा ने कट मोशन मूव नहीं किया है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाये गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशि भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, वर्ष 1999-2000 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 2, 6 और 10 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय रेल मंत्री ने रेल अभिसमय समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है। अब मैं संकल्प को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर, आदि की पुनरीक्षा के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (1999) के पांचवें प्रतिवेदन, जो लोक सभा में 26.2.2002 को प्रस्तुत किया गया था के पैरा 54, 55, 59, 60, 61 64 और 65 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2002*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 9.8.2002 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2002-2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.10 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2002*

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 लेंगे जो विनियोग (रेल) संख्याक 4 विधेयक, 2002 है।

(व्यवधान)

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 9.8.2002 में प्रकाशित।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थीं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थीं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के ... रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थीं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थीं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : *अब सभा सोमवार, 12 अगस्त, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।*

अपराह्न 12.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 12 अगस्त, 2002/21 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।